अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website-http://updes.up.nic.in

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश

वार्षिक प्रतिवेदन

2020-21

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website-http://updes.up.nic.in

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश

वार्षिक प्रतिवेदन

2020-21

अर्थ एवं संख्या प्रभाग
राज्य नियोजन संस्थान,नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश
website-http://updes.up.nic.in

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या प्रभाग,
उत्तर प्रदेश।

प्राक्कथन

संतुलित विकास हेतु उपलब्ध संसाधनों एवं सुविधाओं का नियोजित अनुप्रयोग आवश्यक है और इस प्रक्रिया में सम्बन्धित सांख्यिकीय आँकड़ों की उपादेयता निर्विवाद है। इस क्रम में प्रदेश में अर्थ एवं संख्या प्रभाग सतत् प्रयत्नशील है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, सांख्यिकीय एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI), भारत सरकार के दिशा–निर्देश में अर्थ एवं संख्या प्रभाग स्तर पर विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी कार्य, सर्वेक्षण व अनुमान इत्यादि तैयार किये जाते हैं। प्रभाग स्तर पर सम्पादित होने वाले कार्यों की स्थिति व उद्देश्य के सन्दर्भ में वार्षिक प्रतिवेदन प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास वर्ष 2011 में किया गया था। इसी श्रृंखला में वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020–21 का प्रकाशन किया जा रहा है।

प्रस्तुत अंक में कुल 15 अध्याय हैं, जिसमें प्रभाग का परिचय, प्रभाग पर अनुभागवार सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण एवं क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित होने वाले कार्यों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकाशन को अल्प अवधि में तैयार किये जाने हेतु सम्पादक मण्डल के साथ प्रभाग के अधिकारियों / कर्मचारियों का योगदान प्रशंसनीय है।

दिनांकः 23.11.2021

(विवेक)

सम्पादक मण्डल

सदस्य

1. डा. श्रीमती दिव्या सरीन मेहरोत्रा, संयुक्त निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।
2. श्रीमती रश्मि, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।
3. श्रीमती शालू गोयल, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।

सदस्य सचिव

श्री विनोद कुमार, उप निदेशक, प्रभाग मुख्यालय।

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

विषय–वस्तु

अध्याय		पृष्ठ–संख्या
1.	अर्थ एवं संख्या प्रभाग–एक परिचय	1–10
2.	राज्य आय अनुभाग	11–23
3.	क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं विश्लेषण अनुभाग	24–40
4.	डेटा बैंक अनुभाग	41–50
5.	भाव अनुभाग	51–57
6.	औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग	58–66
7.	आवास सांख्यिकी अनुभाग	67–70
8.	संगणक अनुभाग	71
9.	ग्राफ अनुभाग	72–73
10.	वाह्य सहायतित कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण अनुभाग	74–79
11.	प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग	80–81
12.	समन्वय प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग	82–83
13.	स्थापना अनुभाग	84–86
14.	लेखा अनुभाग	87–89
15.	क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य	90–95
16.	फोटो सेक्शन	96–99

अध्याय–1
अर्थ एवं संख्या प्रभाग – एक परिचय

उत्तर प्रदेश में नियोजन प्रक्रिया की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु गठित राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत 09 प्रभाग कार्यरत हैं, जिनमें से एक प्रभाग अर्थ एवं संख्या प्रभाग है। संस्थान का अर्थ एवं संख्या प्रभाग ही एक मात्र ऐसा प्रभाग हैं, जिसके कार्यालय राज्य मुख्यालय के अतिरिक्त सभी मण्डलों एवं जनपदों में भी स्थित हैं। मण्डल स्तर पर श्रेणी–1 के उप निदेशक तथा सभी जनपदों में श्रेणी–2 के अर्थ एवं संख्याधिकारी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इस प्रभाग का एक कार्मिक–सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) वर्तमान में सहायक सांख्यिकीय अधिकारी तैनात रहता है, जो खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय में पद–स्थित होता है।

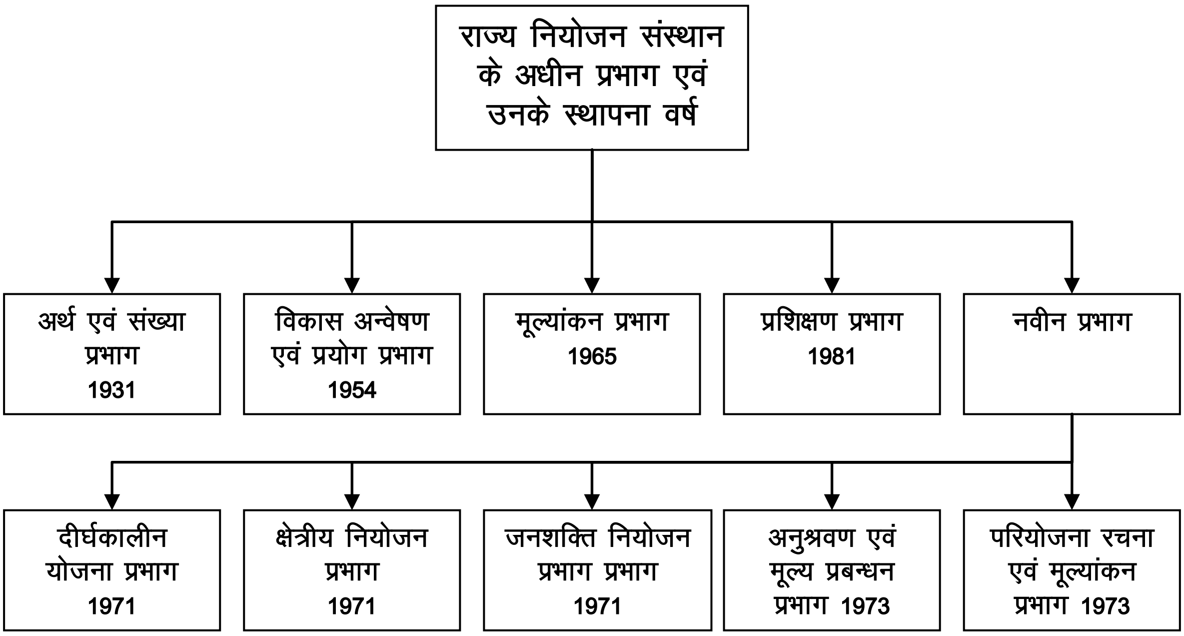

1.0 संक्षिप्त पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश में आँकड़ों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित व संकलित करने एवं शासन को उपलब्ध कराने के दायित्व की पूर्ति हेतु इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1931 में Bureau of Statistics and Economic Research नाम से की गई थी। वर्ष 1938 में इस Bureau को पुनर्गठित कर पहले उद्योग निदेशालय, तत्पश्चात् मूल्य नियंत्रण विभाग में संविलीन किया गया। वर्ष 1942 मे मूल्य नियंत्रण विभाग को समाप्त कर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग तथा अर्थ एवं संख्या विभाग बनाए गए। अर्थ एवं संख्या विभाग को आर्थिक सलाहकार के अधीन रखा गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त वर्ष 1947 में राज्य सचिवालय के अर्न्तगत आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक का पद सृजित करके अर्थ एवं संख्या विभाग को स्वतंत्र स्वरूप प्रदान किया गया। प्रयागराज विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रो0 एस0 के0 रूद्रा (1942–1947) को प्रथम आर्थिक सलाहकार एवं निदेशक नियुक्त किया गया। वर्ष 1961 में इस विभाग को अर्थ एवं संख्या निदेशालय के रूप में परिवर्तित किया गया। वर्ष 1971 में नियोजन विभाग के अन्तर्गत राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना के साथ ही विभाग को अर्थ एवं संख्या प्रभाग नाम. दिया गया।

वर्ष 1951 तक अर्थ एवं संख्या निदेशालय का दायित्व राज्य मुख्यालय तक ही सीमित रहा। वर्ष 1952 में प्रत्येक जनपद मे Economic Intelligence Inspector के पद का सृजन किया गया। तत्पश्चात् विभागीय कार्य सम्पादन एवं विभिन्न ग्राम्य विकास योजनाओं की प्रगति के विवरण के संकलन, भौतिक सत्यापन एवं अनुश्रवण हेतु वर्ष 1958 में प्रत्येक जनपद में जिला सांख्यिकीय अधिकारी के पद सृजित करते हुए उनके कार्यालयों की स्थापना की गई। विकास कार्यों से सम्बन्धित आँकड़ों के रखरखाव तथा प्रगति के अनुश्रवण, सत्यापन एवं मूल्यांकन कार्य के सम्पादन हेतु विकास खण्ड स्तर पर एक–एक प्रगति सहायक वर्तमान पदनाम सहायक सांख्यिकीय अधिकारी के पद का सृजन वर्ष 1959 में किया गया। विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया के अन्तर्गत जिला स्तर पर योजनाएं तैयार करने हेतु वर्ष 1973 में प्रत्येक जिला सांख्यिकीय कार्यालय में अर्थ अधिकारी के पद एवं अन्य अधीनस्थ पद सृजित किए गए। वर्ष 1988 में जनपद स्तरीय कार्यालय में पदस्थित श्रेणी–2 के पदों को अर्थ एवं संख्याधिकारी के पुनः पदाभिहीत संवर्ग में सम्मिलित और संविलीन किया गया।

मण्डल स्तर पर सांख्यिकीय कार्यों के सम्पादन, विकास कार्यों के नियोजन एवं अनुश्रवण में मण्डलायुक्त के सहायतार्थ तथा प्रभागीय जनपद कार्यालय के पर्यवेक्षण हेतु वर्ष 1979 में उप निदेशक कार्यालय की स्थापना की गयी।

1.1 प्रभाग का संगठनात्मक ढांचा

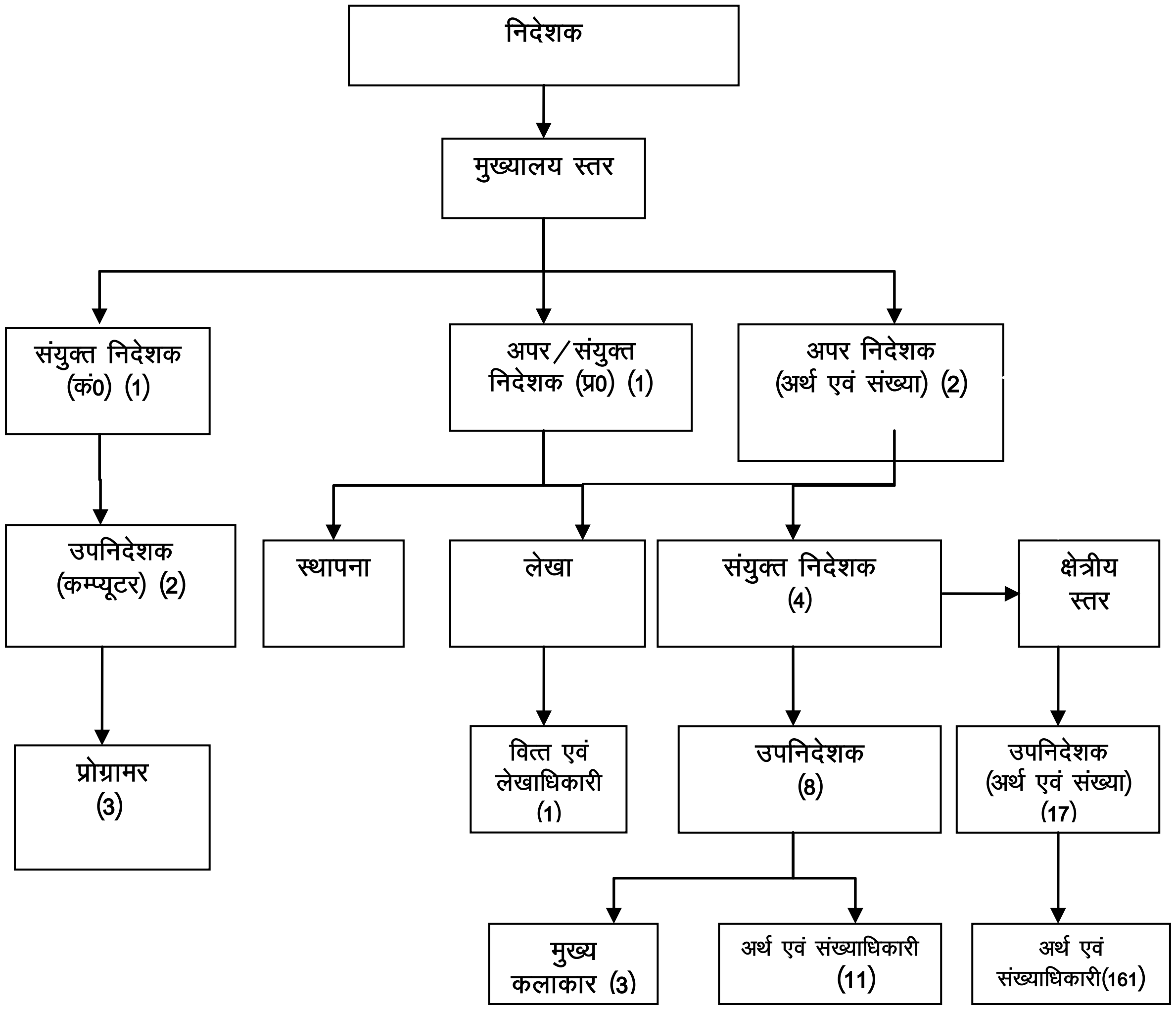

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में दिनांक 31–03–2021 को स्वीकृत एवं भरे पदों की संकलित स्थिति निम्नवत् रही–

राजपत्रित			अराजपत्रित			योग		
कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद		कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद	
	कुल	अनुसूचित जाति/जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति/जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति/जनजाति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
913	774	199/18	1937	731	176/11	2850	**1505**	375/29

1.1.1 प्रभाग की स्थापना के मुख्य उद्देश्य

(1) प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की नियमित समीक्षा करना तथा उसके निष्कर्षो से राज्य सरकार को अवगत कराना एवं परामर्श देना।

(2) प्रदेश के आर्थिक नियोजन हेतु विभिन्न आर्थिक एवं सामाजिक विषयों पर आँकड़ों का एकत्रीकरण, प्रशोधन, विश्लेषण एवं प्रकाशन।

(3) राज्य सरकार की नियोजन प्रक्रिया में वांछित सहयोग देना।

(4) केन्द्र तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को उनकी आवश्यकतानुसार आँकड़ों की आपूर्ति।

(5) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के सांख्यिकीय कार्यो में साँमन्जस्य स्थापित करना तथा व्यवस्थित एवं तार्किक आधार पर सांख्यिकीय कार्यो को समुचित दिशा प्रदान करना।

(6) विकास कार्यक्रमों की प्रगति का संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग देना।

(7) जिला योजनाओं की संरचना एवं अनुश्रवण।

1.2 प्रभाग की प्रमुख गतिविधियाँ

I. प्रदेश की अर्थ व्यवस्था की नियमित समीक्षा करना।

II. प्राथमिक और द्वितीयक आँकड़ों का एकत्रीकरण, संकलन, विश्लेषण तथा प्रसार करना।

III. राज्य में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं के संकलन, सत्यापन एवं अनुश्रवण कार्य में सहयोग प्रदान करना।

IV. जिला योजना को तैयार करना तथा उसका अनुश्रवण करना।

1.2.1 गतिविधि–I के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अग्रिम, त्वरित, संशोधित और तिमाही अनुमान तैयार करना।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमानों को तैयार करना।
- जनपदीय घरेलू उत्पाद के अनुमान को तैयार करना।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का निर्माण।
- थोक भाव सूचकांक, ग्रामीण एवं नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक तथा ग्रामीण और नगरीय मजदूरी दर सूचकांक का निर्माण।

1.2.2 गतिविधि–II के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य

- राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण के अन्तर्गत राज्य प्रतिदर्श का सर्वेक्षण एवं सम्बन्धित रिपोर्ट का प्रकाशन करना।
- 47 आवश्यक वस्तुओं का भाव संग्रह एवं संकलन करना।

- सांख्यिकीय डायरी, जिला और मण्डलीय सांख्यिकीय पत्रिका, जिलेवार विकास संकेतांकों, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक सांख्यिकी आदि का प्रकाशन करना।
- ग्रामवार आधारभूत आँकड़ों का संग्रह करना।
- आवास साँख्यिकी से सम्बन्धित आँकड़ों का संग्रह करना।
- भवन निर्माण लागत सूचकांक तैयार करना।
  उक्त से सम्बन्धित प्राथमिक आँकड़ों का एकत्रण जनपदीय कार्यालय के माध्यम से कराया जाता है।

1.2.3 गतिविधि–III एवं IV के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले कार्य
अर्थ एवं संख्या प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये जाने वाले प्रमुख कार्य–

- नियमित रूप से प्रभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार विभिन्न प्राथमिक आँकड़ों का संग्रह, मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट का संकलन तथा जिला एवं मण्डलीय प्रशासन को योजनाओं के सही क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान करना।
- जनपद/मण्डल में कार्यान्वित विभिन्न विकास योजनाओं का भौतिक सत्यापन करना।
- उ०प्र० सरकार के नियोजन विभाग द्वारा कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं यथा–राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, यूनिक आइडेन्टिफिकेशन, त्वरित आर्थिक विकास योजना, नवाचार निधि इत्यादि के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन को सहयोग प्रदान करना।
- जिला योजना को तैयार करना और उसकी जिला योजना समिति से मंजूरी प्राप्त करना।

1.3 प्रभाग मुख्यालय पर अनुभागीय संरचना

प्रभाग मुख्यालय पर प्रशासनिक प्रबन्धन एवं कार्य सम्पादन की दृष्टि से निम्नलिखित अनुभागों के अन्तर्गत कार्य संचालित किये जा रहे हैं :–

1. राज्य आय अनुभाग
2. क्षेत्राधीक्षण रा0प्र0स0–1 अनुभाग
3. विश्लेषण रा0प्र0स0–2 अनुभाग
4. डेटा बैंक अनुभाग
5. भाव अनुभाग
6. औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग
7. आवास सांख्यिकी अनुभाग
8. संगणक अनुभाग
9. ग्राफ अनुभाग
10. वाह्य सहायतीत कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण अनुभाग
11. समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग
12. प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग
13. स्थापना अनुभाग
14. लेखा अनुभाग–1
15. लेखा अनुभाग–2

1.4 प्रभाग में स्वीकृत पद

1.4.1 प्रभाग मुख्यालय पर स्वीकृत पदों की स्थिति (31.03.2021)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
समूह 'क'			
1	निदेशक, अर्थ एवं संख्या	37400–67000, 8900 लेवल 13क – 131100	1
2	अपर निदेशक (प्रशासन)	37400–67000, 8700 लेवल 13 – 118500	1
3	अपर निदेशक	37400–67000, 8700 लेवल 13 – 118500	2
4	संयुक्त निदेशक	15600–39100, 7600 लेवल 12 – 78800	4
5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 7600 लेवल 12 – 78800	1
6	उप निदेशक	15600–39100, 6600 लेवल 11– 67700	8
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 6600 लेवल 11– 67700	2
योग			**19**
समूह 'ख'			
8	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	11
9	प्रोग्रामर	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	3
10	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	88
11	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	4
12	वित्त एवं लेखाधिकारी	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	1
13	सहायक लेखाधिकारी	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा सृजित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1
14	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	1
योग			**109**
	योग राजपत्रित 'क' व 'ख'		**128**
समूह 'ग'			
15	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	2

16	वरिष्ठ कलाकार	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	3
17	कलाकार	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1
18	लेखाकार	आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय उ0प्र0 द्वारा सृजित पद के वेतनमान का उल्लेख नहीं	1
19	सहायक लेखाकार	तदैव	1
20	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	50
21	प्रधान सहायक	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	10
22	वैयक्तिक सहायक ग्रेड—1	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	5
23	वैयक्तिक सहायक ग्रेड—2	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	12
24	आशुलिपिक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1
25	वरिष्ठ सहायक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	13
26	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	5200—20200,2000 लेवल 3— 21700	28
27	पंच सुपरवाइजर	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1
28	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड—1	5200—20200,2400 लेवल 4— 25500	9
29	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड—2	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	1
30	जीप चालक	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	3
योग			**141**
समूह 'घ'			
30	मशीन आपरेटर	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	1
31	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफ्तरी	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	3
32	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	33
	योग		**37**
	महायोग		**306**

1.4.2 प्रभाग के मण्डल स्तरीय कार्यालयो में स्वीकृत पदों की स्थिति (31.03.2021)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	उप निदेशक	15600—39100, 6600 लेवल 11— 67700	1#
2	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600—39100, 5400 लेवल 10— 56100	1
3	मुख्य कलाकार / वरिष्ठ कलाकार	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	1
5	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	3
6	आशुलिपिक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1
7	वरिष्ठ सहायक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1
8	कनिष्ठ सहायक	5200—20200,2000 लेवल 3— 21700	1—2′
9	उर्दू अनुवादक / सह वरि0 सहायक	5200—20200,2400 लेवल 4— 25500	1′
10	जीप चालक	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	1′′
11	चपरासी	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	1—3

#अलीगढ मण्डल पर उप निदेशक का पद सृजित नहीं है।

′ मात्र 7 मण्डलीय कार्यालयों यथा बरेली, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ तथा अयोध्या में ही उर्दू अनुवादक के पद सृजित है। इन कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक का एक ही पद स्वीकृत है।

′′ देवीपाटन, बस्ती तथा चित्रकूटधाम मण्डल कार्यालय में पद सृजित नहीं है ।

1.4.3 प्रभाग के जनपद स्तरीय कार्यालयो में स्वीकृत पदों की स्थिति (31—03—2021)

क्र0सं0	पदनाम	वेतनमान, ग्रेड पे	स्वीकृत पद
(1)	(2)	(3)	(4)
1	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600—39100, 5400 लेवल 10— 56100	2′
2	वरिष्ठ कलाकार / कलाकार	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400 / 5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1
3	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	4—9′′
4	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	1—7′′
5	वरिष्ठ सहायक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1—2′′
6	कनिष्ठ सहायक	5200—20200,2000 लेवल 3— 21700	2#
7	डेटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक	—	1##
8	जीप चालक	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	1
9	चपरासी	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	1—3′′

′12 जनपदों — कन्नौज, बागपत, औरैया, कानपुर नगर, संत कबीर नगर, चित्रकूट, महोबा, ललितपुर, श्रावस्ती, भदोही, अमरोहा एवं रामपुर में अर्थ एवं संख्याधिकारी के 1 ही पद सृजित हैं।

′′ जनपद में कार्य की आवश्यतानुसार पद सृजित हैं।

#जनपद कानपुर नगर में एक ही पद सृजित है।

4 जनपदों — कन्नौज, बागपत, औरैय्या व संतकबीर नगर में ही यह पद सृजित है।

1.4.4 दिनांक 31–03–2021 को प्रभाग में कुल स्वीकृत एवं भरे पदों की स्थिति

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद (संख्या)			
				सामान्य	अनु0 जाति	अनु0जनजाति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
		समूह 'क'					
1	निदेशक, अर्थ एवं संख्या	37400–67000, 8900 लेवल 13क – 131100	1	–	–	–	–
2	अपर निदेशक	37400–67000, 8700 लेवल 13 – 118500	2	–	–	–	–
3	अपर निदेशक (प्रशासन)	–	1	–	–	–	–
4	संयुक्त निदेशक	15600–39100, 7600 लेवल 12 – 78800	4	3	–	–	3
5	संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 7600 लेवल 12 – 78800	1	–	1	–	1
6	उप निदेशक	15600–39100, 6600 लेवल 11– 67700	28	21	5	–	26
7	उप निदेशक (कम्प्यूटर)	15600–39100, 6600 लेवल 11– 67700	2	–	1	–	1
	योग		**39**	**24**	**7**	**0**	**31**
		समूह 'ख'					
8	प्रोग्रामर	15600–39100, 5400 लेवल 10– 56100	3	–	–	–	–
9	अर्थ एवं संख्याधिकारी	15600–39100,5400 लेवल 10– 56100	172	103	30	–	133
10	प्रशासनिक अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	4	3	–	–	3
11	वित्त लेखा अधिकारी	15600–39100,5400 लेवल 10– 56100	1	–	–	–	–
12	सहायक लेखाधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	1	1	–	–	1
13	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	692	425	162	18	605
14	मुख्य ग्राफ आर्टिस्ट परिवर्तित पदनाम मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	1	1	–	–	1
	योग		874	533	192	18	743
		समूह 'ग'					
15	मुख्य कलाकार	9300–34800,4600 लेवल 7– 44900	13	–	–	–	–
16	वरिष्ठ कलाकार	9300–34800,4200 लेवल 6– 35400	33	19	8	1	28
17	कलाकार	9300–34800,2800 लेवल 5– 29200	52	–	1	–	1

क्र0 सं0	पदनाम	वेतनमान	स्वीकृत पद	भरे पद (संख्या)			
				सामान्य	अनु0 जाति	अनु0जनजाति	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
18	लेखाकार		1	—	—	—	—
19	सहायक लेखाकार		1	1	—	—	1
20	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	1041	97	26	—	123
21	वैयक्तिक सहायक, ग्रेड—1	9300—34800,4600 लेवल 7— 44900	5	5	—	—	5
22	वैयक्तिक सहायक, ग्रेड—2	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	12	6	2	—	8
23	आशुलिपिक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	18	4	6	—	10
24	प्रधान सहायक	9300—34800,4200 लेवल 6— 35400	10	7	1	—	8
25	वरिष्ठ सहायक	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	171	119	43	3	165
26	कनिष्ठ सहायक/अवधाता	5200—20200,2000 लेवल 3— 21700	202	119	52	3	174
27	उर्दू अनुवादक/ सह प्रधान सहायक	5200—20200,2400 लेवल 4— 25500	7	7	—	—	7
28	पंच सुपरवाइजर	5200—20200,2800 लेवल 5— 29200	1	—	—	—	—
29	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड—1	5200—20200,2400 लेवल 4— 25500	9	1	—	—	1
30	पंचवेरीफायर आपरेटर ग्रेड—2	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	1	—	—	—	—
31	जीप चालक	5200—20200,1900 लेवल 2— 19900	83	40	9	1	50
32	डाटा इन्ट्री आपरेटर दैनिक		4	—	—	—	—
	योग		**1664**	**425**	**148**	**8**	**581**
		समूह 'घ'					
33	मशीन आपरेटर	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	1	—	—	—	—
34	साइक्लोस्टाइल आपरेटर, जमादार, दफ्तरी	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	3	2	—	—	2
35	कार्यालय चपरासी, फर्राश, अर्दली, चौकीदार, पानीवाला, स्वीपर	5200—20200,1800 लेवल 1— 18000	269	117	28	3	148
	योग		**273**	**119**	**28**	**3**	**150**
	महायोग		**2850**	**1101**	**375**	**29**	**1505**

1.5 प्रभाग मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के भवनों की स्थिति

वर्तमान में प्रभाग मुख्यालय का कार्यालय 9, सरोजिनी नायडू मार्ग, योजना भवन परिसर, लखनऊ स्थित अर्थ एवं संख्या भवन में स्थापित है। मण्डलीय उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) के 8 कार्यालय – आजमगढ़, अयोध्या, चित्रकूटधाम, अलीगढ़, झाँसी, बस्ती, कानपुर एवं लखनऊ मण्डल शासकीय भवन में तथा शेष 10 मण्डल कार्यालय निजी भवन में संचालित हैं। 68 जनपदो के अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय विकास भवन में स्थित एवं शेष 7 जनपदों के कार्यालय निजी भवनों में स्थापित है।

******

अध्याय–2
राज्य आय अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग के राज्य आय अनुभाग में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैं:–

1. राज्य आय अनुमान।
2. जिला घरेलू उत्पाद अनुमान।
3. उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण।
4. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा।
5. सकल स्थायी पूँजी निर्माण।
6. उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े।
7. स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण संबंधी कार्य।

2.1. राज्य आय अनुमान (State Income Estimates)

सामान्य परिचय

- राज्य आय अनुमान एक वर्ष की अवधि में राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के परिमाण का मापक है।
- राज्य आय अनुमान स्थायी एवं प्रचलित भावों पर तैयार किये जाते हैं। स्थायी भावों पर तैयार अनुमान भाव परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त होने के कारण अर्थव्यवस्था में हुई वास्तविक वृद्धि को दर्शाते हैं।
- सकल राज्य आय से स्थायी पूँजी के उपयोग/ह्रास को घटाने पर निवल राज्य अनुमान प्राप्त होते हैं।

अर्थव्यवस्था के आर्थिक स्तर के बोध के लिए, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आर्थिक स्थिति ज्ञात करने, समय के साथ अर्थव्यवस्था की खण्डीय संरचना में हुए परिवर्तन का संज्ञान करने एवं अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के मूल्यांकन एवं अनुश्रवण हेतु इन अनुमानों का प्रयोग किया जाता है।

2.1.2 राज्य स्तरीय अनुमानों की पृष्ठभूमि व आधार वर्ष

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा राज्य आय के अनुमान वर्ष 1950–51 से निरन्तर तैयार किये जा रहे हैं।
- सर्वप्रथम आधार वर्ष 1948–49 पर राज्य आय अनुमान तैयार किये गये। तद्‌परान्त आधार वर्ष 1960–61, 1970–71, 1980–81, 1993–94 व 1999–2000 व 2004–05 पर अनुमान तैयार किये गये। वर्ष 2019–20 में आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2020–21 (अग्रिम) तक के अनुमान तैयार किये गये हैं।

2.1.3 खण्डीय संरचना व आँकड़ों के स्रोत

- अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया–कलापों को 11 खण्डों में विभाजित कर खण्डवार आय अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- उक्त क्रिया–कलापों/खण्डों को 3 प्रमुख खण्डों यथा प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक खण्डों में वर्गीकृत किया गया है।
- आय अनुमान तैयार करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा कृषि, उद्यान, राजस्व, पशुपालन, वन, मत्स्य, खनिज, विद्युत, परिवहन, भण्डारण आदि, प्रदेश के स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थानों, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, राज्य सरकार के बजट अभिलेख, जनगणना 2011 तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा केन्द्रीय अंश के उपलब्ध कराये गये आँकड़ों का प्रयोग

किया जाता है। असंगठित क्षेत्र के अनुमान तैयार करने हेतु नवीनतम् सर्वेक्षणों/अध्ययनों के उपलब्ध परिणामों का प्रयोग किया जाता है।

2.1.4 रीति विधायन

- राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी रीति विधायन एवं दिशा–निर्देशन का अनुसरण करके अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- राज्य आय अनुमान के अन्तर्गत अर्थव्यवस्था के समस्त आर्थिक क्रिया–कलापों का मापन निहित है। अतः विभिन्न खण्डों के लिये आय मापन हेतु अलग–अलग विधि यथा प्रोडक्शन अप्रोच, इनकम अप्रोच एवं एक्सपेंडिचर अप्रोच का प्रयोग किया जाता है।
- राज्य आय के वार्षिक अनुमानों को प्रदेश की सांख्यिकीय समन्वय समिति की गठित उपसमिति "क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक" की बैठक आयोजित कराकर विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये आँकड़ों पर गहन विचार–विमर्श के उपरान्त आँकड़ों की पुष्टि कराकर अंतिम रूप दिया जाता है।
- राज्य आय अनुमानों को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ प्रत्येक वर्ष तुलनात्मक विचार–विमर्श एवं अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों के क्रम में संशोधित कराकर परिष्कृत किया जाता है।

2.1.5 वार्षिक कैलेंडर

वर्षान्तर्गत राज्य आय के त्वरित, अग्रिम व संशोधित अनुमान तथा त्रैमासिक अनुमान निर्गत किये जाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अपेक्षानुसार उक्त तैयार अनुमानों को जारी करने हेतु कैलेंडर का निर्धारण किया गया जो निम्नवत् है–

Revised Advance Release Calendar For Releasing Estimates of GSDP

क्र0 सं0	आय अनुमान	निर्धारित तिथि
1.	राज्य आय के अग्रिम अनुमान	15 फरवरी
2.	राज्य आय के संशोधित अनुमान	30 जून
3.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q1 (अप्रैल–जून)	30 सितम्बर
4.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q2 (जुलाई–सितम्बर)	15 जनवरी
5.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q3 (अक्टूबर–दिसम्बर)	31 मार्च
6.	राज्य आय के त्रैमासिक अनुमान Q4 (जनवरी–मार्च)	15 जुलाई
7.	राज्य आय के त्वरित अनुमान *	31 दिसम्बर

*राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश (वार्षिक प्रकाशन) जारी किये गये राज्य के त्वरित अनुमान के आधार पर तैयार किया जाता है, जोकि विधान मण्डल में वितरित किया जाता है।

2.1.6 वर्ष 2020–21 में सम्पादित कार्य

- आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2011–12 से वर्ष 2019–20 तक के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान तैयार करने हेतु प्रदेश की सांख्यिकीय समन्वय समिति की गठित उपसमिति "क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य

आय एवं आर्थिक सूचकांक'' की दिनांक 08 जनवरी, 2021 को आयोजित बैठक में विभिन्न खण्डों के आँकड़ों की पुष्टि करायी गयी।

- उक्त अनुमानों से सम्बन्धित विषयवस्तु, विभिन्न परिणामों की तालिकायें/ग्राफ/चार्ट तैयार करके एवं विश्लेषण कर प्रभाग का वार्षिक प्रकाशन ''राज्य आय अनुमान वर्ष 2011–12 से वर्ष 2019–20'' तैयार कर प्रकाशित कराया गया, जो कि नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है।
- प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 2020–2021 के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अग्रिम अनुमान तैयार किये गये।
- वर्षान्तर्गत निम्न 4 त्रैमासों के प्रचलित एवं स्थायी भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) व निवल राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP) के अनुमान निर्धारित कैलेंडर के अनुरूप तैयार किये गये–
- माह जनवरी 2020 से मार्च 2020– चतुर्थ त्रैमास (वर्ष 2019–20)
- माह अप्रैल 2020 से जून 2020– प्रथम त्रैमास (वर्ष 2020–21)
- माह जुलाई 2020 से सितम्बर 2020– द्वितीय त्रैमास (वर्ष 2020–21)
- माह अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020– तृतीय त्रैमास (वर्ष 2020–21)

2.1.7 प्रशिक्षण/सेमिनार/वर्कशाप

आधार वर्ष 2011–12 पर तैयार किए गए वर्ष 2018–19 एवं वर्ष 2019–20 के प्रदेश के आय अनुमानों पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अधिकारियों के साथ दिनांक 30.03.2021 से 30.04.2021 की अवधि में ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम द्वारा तुलनात्मक विचार–विमर्श में प्रतिभाग किया गया।

2.1.8 मुख्य परिणाम

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद*

वर्ष	प्रचलित भावों पर सकल आय (रू0 करोड़)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर सकल आय (रू0 करोड़)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर सकल आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2011-12	8736329	724050	8.3	8736329	724050	8.3		
2012-13	9944013	822393	8.3	9213017	758205	8.2	5.5	4.7
2013-14	11233522	940356	8.4	9801370	802070	8.2	6.4	5.8
2014-15	12467959	1011790	8.1	10527674	834432	7.9	7.4	4.0
2015-16	13771874	1137808	8.3	11369493	908241	8.0	8.0	8.8
2016-17	15391669	1288700	8.4	12308193	1011501	8.2	8.3	11.4
2017-18	17090042	1416006	8.3	13144582	1057747	8.0	6.8	4.6
2018-19	18886957	1584764	8.4	14003316	1123982	8.0	6.5	6.3
2019-20	20351013	1687818	8.3	14569268	1166817	8.0	4.0	3.8
2020-21	19745670	1705593	8.6	13512740	1092624	8.1	-7.3	-6.4

भारत तथा उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय*

वर्ष	प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय (रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय (रू0)		उत्तर प्रदेश का भारत से प्रतिशत	स्थायी (2011–12) भावों पर प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	
	भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश		भारत	उत्तर प्रदेश
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
2011-12	**63462**	**32002**	**50.4**	**63462**	**32002**	**50.4**		
2012-13	**70983**	**35812**	**50.5**	**65538**	**32908**	**50.2**	**3.3**	**2.8**
2013-14	**79118**	**40124**	**50.7**	**68572**	**34044**	**49.6**	**4.6**	**3.5**
2014-15	**86647**	**42267**	**48.8**	**72805**	**34583**	**47.5**	**6.2**	**1.6**
2015-16	**94797**	**47118**	**49.7**	**77659**	**36973**	**47.6**	**6.7**	**6.9**
2016-17	**104880**	**52671**	**50.2**	**83003**	**40847**	**49.2**	**6.9**	**10.5**
2017-18	**115224**	**56861**	**49.3**	**87586**	**41832**	**47.8**	**5.5**	**2.4**
2018-19	**125883**	**62652**	**49.8**	**92241**	**43670**	**47.3**	**5.3**	**4.4**
2019-20	**134186**	**65704**	**49.0**	**94566**	**44618**	**47.2**	**2.5**	**2.2**
2020-21	**128829**	**65431**	**50.8**	**86659**	**41023**	**47.3**	**-8.4**	**-8.1**

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल मूल्य वर्धित उत्पाद का प्रतिशत वितरण (प्रचलित भावों पर) *

खण्ड	2011–12		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		2018–19		2019–20		2020–21	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	18.5	26.9	18.2	25.8	17.7	25.8	18.0	24.9	18.3	24.4	17.6	23.6	18.4	23.7	20.1	26.1
प्राथमिक	21.7	27.8	20.9	26.9	20.1	26.8	20.4	25.9	20.4	26.4	19.8	25.3	20.3	25.3	21.7	27.5
विनिर्माण	17.4	12.9	16.3	11.1	17.1	12.4	16.7	15.1	16.6	13.5	16.3	13.2	14.7	12.1	14.4	11.7
माध्यमिक	29.3	26.7	27.3	25.1	27.6	25.5	27.0	27.9	27.0	26.2	26.8	26.3	24.7	24.9	24.3	23.6
तृतीयक	49.0	45.5	51.8	48.1	52.3	47.7	52.6	46.2	52.5	47.4	53.4	48.4	55.0	49.7	53.9	48.9
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

भारत तथा उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू उत्पाद में गतवर्ष से प्रतिशत वृद्धि (2011–12 भावों पर) *

खण्ड	2012–13		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		2018–19		2019–20		2020–21	
	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश	भारत	उत्तर प्रदेश
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**
कृषि, वानिकी एवं मत्स्यन	1.5	4.6	–0.2	–2.0	0.6	4.2	6.8	6.2	6.6	2.6	2.6	4.5	4.3	2.0	3.6	5.2
प्राथमिक	1.4	4.4	1.2	–0.9	2.1	5.6	7.3	6.4	4.5	8.9	2.2	3.6	3.3	1.9	1.9	3.7
विनिर्माण	5.5	4.1	7.9	–10.0	13.1	26.4	7.9	47.0	7.5	–11.0	5.3	5.2	–2.4	–3.5	–7.2	–5.6
माध्यमिक	3.6	2.8	6.7	–2.0	9.5	15.3	7.5	28.0	7.1	–4.7	5.8	6.6	–1.1	–0.5	–6.8	–8.0
तृतीयक	8.3	6.8	9.8	9.2	9.4	7.6	8..5	5.7	6.3	8.1	7.2	7.6	7.2	7.7	–8.4	–8.5
सकल मूल्य वर्धन (बुनियादी मूल्यों पर)	5.4	5.1	7.2	3.5	8.0	9.0	8.0	11.8	6.2	4.4	5.9	6.4	4.1	4.1	–6.2	–5.6
सकल घरेलू उत्पाद (बाजार मूल्यों पर)	5.5	4.7	7.4	4.0	8.0	8.8	8.3	11.4	6.8	4.6	6.5	6.3	4.0	3.8	–7.3	–6.4

नोट*:1.उ0प्र0 के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2018–19 के अनन्तिम, 2019–20 के त्वरित अनुमान व 2020–21 के अग्रिम अनुमान।

2.भारत के आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2018–19 के संशोधित अनुमान व वर्ष 2019–20 के संशोधित अनुमान व 2020–21 के अनन्तिम अनुमान।

2.2 जिला घरेलू उत्पाद अनुमान (District Domestic Product Estimates)

2.2.1 सामान्य परिचय

राज्य के संतुलित एवं समग्र विकास हेतु आवश्यक है कि क्षेत्रीय एवं अन्तर्जनपदीय आय असमानताओं (disparities) को कम किया जाये। अतः सुनियोजित विकास हेतु जनपद स्तरीय आर्थिक संकेतक अति आवश्यक हैं। विकेन्द्रीकृत नियोजन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में इन संकेतकों का महत्व एवं आवश्यकता और अधिक हो जाती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार किये जाते है। मानव विकास सूचकांक/प्रतिवेदन तैयार करने में इन अनुमानों का विशेष महत्व है।

2.2.2 पृष्ठभूमि व रीति विधायन

सर्वप्रथम नेशलन काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 1963 में वर्ष 1955–56 के प्रचलित भावों पर जिला घरेलू उत्पाद अनुमान अपने प्रकाशन ''इंटर डिस्ट्रिक्ट एण्ड इंटर स्टेट डिफरेंसियलस 1955–56'' में प्रकाशित किए गए। वर्ष 1974 में लखनऊ विश्वविद्यालय के स्व. प्रोफेसर बलजीत सिंह द्वारा मोनोग्राम ''इंटर डिस्ट्रिक्ट इन्कम एण्ड इकोनॉमिक प्रोफाइल्स ऑफ उत्तर प्रदेश'' प्रस्तुत किया गया।

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सर्वप्रथम प्रचलित भावों पर वर्ष 1968–69 में जनपदवार 5 वस्तु उत्पादन खण्डों यथा–कृषि एवं पशुपालन, वन उद्योग एवं लट्ठे बनाना, मछली उद्योग, खनन् तथा पत्थर निकालना एवं विनिर्माण के अनुमान तैयार किये गये। इन अनुमानों में अपनायी गयी पद्धति पर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली से विचार–विमर्श किया गया। वर्ष 1978 में उक्त 5 वस्तु उत्पादन खण्डों के अनुमान प्रचलित एवं स्थायी भावों पर वर्ष 1960–61, 1968–69 और 1970–71 से 1973–74 तक के लिए तैयार किये गये, जो वर्ष 1996–97 तक बनाये गये।

अगस्त 1996 में उत्तर प्रदेश तथा कर्नाटक राज्यों के अर्थ एवं संख्या विभाग ने संयुक्त रूप से अर्थ व्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार करने के लिए मेथोडोलॉजी निर्धारित की जो कि राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के अनुमोदनोपरान्त समस्त राज्यों में लागू की गयी। इस रीति विधायन का अनुसरण करके राज्य आय की ही भांति जिला घरेलू उत्पाद अनुमान अर्थव्यवस्था के समस्त 13 खण्डों के लिए वर्ष 1993–94 तथा 1997–98 के लिए तैयार किये गये। तत्पश्चात् आगामी वर्षों में इसी प्रकार समस्त 13 खण्डों के अनुमान तैयार किये जा रहे हैं।

2.2.3 आधार वर्ष

जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार करने हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान के आधार वर्ष के अनुसार ही रखा जाता है। जिला घरेलू उत्पाद अनुमान हेतु आधार वर्ष को राज्य आय अनुमान की ही भांति वर्ष 2011–12 से वर्ष 2019–20 (अनन्तिम) तक के अनुमान तैयार किये गये हैं।

2.2.4 कैलेंडर

जिला घरेलू उत्पाद अनुमान प्रतिवर्ष अनन्तिम एवं संशोधित जारी किये जाते हैं।

2.2.5 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

- विभिन्न विभागों से आँकड़ें एकत्र कर उनका संकलन एंव संगणन करके खण्डवार संकलित करके आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2017–18 (संशोधित), वर्ष 2018–19 (संशोधित) एवं वर्ष 2019–20 (अनन्तिम) के जिला घरेलू उत्पाद अनुमान तैयार किये गये।

- जिला घरेलू उत्पाद अनुमान अर्थ एवं संख्या प्रभाग की वेबसाइट http://updes.up.nic.in पर उपलब्ध हैं।

2.2.6 मुख्य परिणामः–

आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2017–18 (संशोधित), वर्ष 2018–19 (संशोधित) एवं वर्ष 2019–20 (अनन्तिम) के जिला घरेलू उत्पाद अनुमान के मुख्य परिणाम निम्नवत् हैं।

सकल घरेलू जिला उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले उच्चतम 5 जनपदों की स्थिति निम्नवत् है–

(रू.करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष 2017–18 (संशोधित)		वर्ष 2018–19 (संशोधित)		वर्ष 2019–20(अनन्तिम)	
1.	गौतमबुद्ध नगर	133172.23	गौतमबुद्ध नगर	1336650.53	गौतमबुद्ध नगर	145675.61
2.	आगरा	50955.06	आगरा	57065.22	आगरा	60488.30
3.	लखनऊ	50474.08	लखनऊ	56875.20	लखनऊ	59031.41
4.	प्रयागराज	47199.80	प्रयागराज	54020.07	प्रयागराज	56770.76
5.	मेरठ	45886.80	कानपुर नगर	50872.49	मेरठ	53402.91

सकल घरेलू जिला उत्पाद (प्रचलित भावों पर) वाले निम्नतम 5 जनपदों की स्थिति निम्नवत् है–

(रू.करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष 2017–18 (संशोधित)		वर्ष 2018–19 (संशोधित)		वर्ष 2019–20 (अनन्तिम)	
1.	श्रावस्ती	4046.51	श्रावस्ती	4421.85	श्रावस्ती	4369.91
2.	संत कबीर नगर	5858.11	चित्रकूट	5266.34	चित्रकूट	5712.70
3.	औरैया	6779.20	औरैया	7683.90	संत कबीर नगर	7031.03
4.	चित्रकूट	7142.23	संत कबीर नगर	7775.49	औरैया	7844.99
5.	हमीरपुर	7203.99	बलरामपुर	8982.76	बलरामपुर	9449.89

2.3 उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण

2.3.1 सामान्य परिचय

- आय–व्ययक (बजट) राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण अभिलेख है जिसमें सरकार के विभिन्न स्रोतों से आय तथा व्यय की मदों की धनराशि का स्पष्ट उल्लेख रहता है। इन अभिलेखों में संविधान के प्राविधानों एवं वैधानिक नियंत्रण की आवश्यकता तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं लेन देनों के लेखा संपरीक्षा संबंधी उद्देश्यों के अनुसार समस्त प्राप्तियों एवं संवितरणों का वर्णन निर्धारित लेखा शीर्षक के अन्तर्गत रहता है।
- आय–व्ययक संबंधी लेन देनों के आर्थिक एवं प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक (बजट) अनुमानों के विभिन्न मदों को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के द्वारा उपलब्ध कराई गई रीति विधान के अनुसार पुनः वर्गीकरण एवं पुनः समूहीकृत करके अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। यह प्रतिवेदन नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया जाता है।
- आर्थिक वर्गीकरण में सरकारी ब्यौरेवार व्यय को पृथक करके उनको अर्थपूर्ण आर्थिक श्रेणियों अर्थात् खपत, पूँजी निर्माण, वित्तीय निवेश आदि के रूप में वर्गीकृत किया गया है। प्रयोजनात्मक प्रभावों का अध्ययन करने के उद्देश्य से कार्यात्मक वर्गीकरण में व्ययों को संबंधित योजनाओं जैसे प्रशासन, सुरक्षा, शिक्षा तथा स्वास्थ्य आदि सेवाओं में बांटकर दिया गया है।
- उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक के समीक्षात्मक विश्लेषण के आधार पर सार्वजनिक प्रशासन का विभिन्न सेक्टरों यथा राज्य आय, पूँजी निर्माण आदि में अंश का आंकलन किया जाता है।

2.3.2 पृष्ठभूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा वर्ष 1965–66 से आर्थिक वर्गीकरण तथा वर्ष 1966–67 से आर्थिक वर्गीकरण के साथ–साथ कार्यात्मक वर्गीकरण किया जा रहा है। केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय का अर्थ प्रभाग राष्ट्रीय सरकार के आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण 1957–58 से तथा आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 1967–68 से कर रहा है।

2.3.3 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के बजट वर्ष 2020–21 से प्राप्तियों तथा व्यय की 11 पुस्तिकाओं के कोडिंग का कार्य कराने के उपरान्त वर्ष 2018–19 (वास्तविक), वर्ष 2019–20 (पुनःरीक्षित अनुमान) तथा वर्ष 2020–21 (आय–व्ययक) के संकलन का कार्य पूर्ण कराया गया।
- वर्ष 2018–19 (वास्तविक) एवं वर्ष 2019–20 (पुनःरीक्षित) एवं 2020–21 (आय–व्ययक) की लेखा तालिकायें तैयार कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयीं।
- वार्षिक प्रतिवेदन "उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण वर्ष 2020–21" तैयार करने के उपरान्त प्रकाशित कराकर नियोजन विभाग के बजट साहित्य के अन्तर्गत बजट सत्र में विधानमण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित किया गया।

2.3.4 मुख्य परिणाम

आय–व्ययक का आर्थिक वर्गीकरण

(रु० लाख में)

क्र.सं.	मद	वास्तविक 2018–19	पुनःरीक्षित अनुमान 2019–20	आय–व्ययक अनुमान 2020–21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**चालू व्यय**	26108286	30897185	33536800
1.1	खपत सम्बंधी शुद्ध व्यय	10358090	13210808	15574078
1.2	साधारण ऋण पर ब्याज	3038962	3287941	3611173
1.3	राज सहायतायें	2212073	2781663	2879449
1.4	परिवारों के आय खाते में तथा अन्य संस्थाओं को अन्तरण	9096920	10156265	9909491
1.5	स्थानीय निकायों को चालू कार्य संचालन के लिये अन्तरण	1402241	1460508	1562609
2	**पूँजीगत व्यय**	9597844	12058452	13873560
2.1	कुल स्थिर पूँजी निर्माण	4463006	6749959	6883406
2.2	स्टाकों में शुद्ध वृद्धि	435840	15003	14701
2.3	पूँजीगत अन्तरण	621694	1238415	2060921
2.4	पूँजी शेयरों में निवेश	1375379	1171691	1261104
2.5	ऋण एवं अग्रिम	630264	335789	163685
2.6	सार्वजनिक ऋणों की अदायगियां	2071661	2547595	3489743
योग		**35706130**	**42955637**	**47410360**

आय–व्ययक का कार्यात्मक वर्गीकरण

(रु० लाख में)

क्र.सं.	मद	वास्तविक 2018–19	पुनःरीक्षित अनुमान 2019–20	आय–व्ययक अनुमान 2020–21
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सामान्य सेवायें	8221337	9780145	10945877
2.	सुरक्षा	10775	12070	13225
3.	शिक्षा	5783292	7081518	7968502
4.	स्वास्थ्य	1978987	2398616	2741320
5.	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण संबंधी सेवायें	2314580	3052205	3253632
6.	आवास एवं सामुदायिक सेवायें	2020747	3445753	4005427
7.	सांस्कृतिक एवं धार्मिक सेवायें	192304	241271	254248
8.	आर्थिक सेवायें	10065818	11098844	11117971
9.	अन्य सेवायें	5118290	5845215	7110158
योग		**35706130**	**42955637**	**47410360**

2.4 उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा

2.4.1 सामान्य परिचय–

अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष ''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा'' नामक पुस्तिका प्रकाशित की जाती है जो कि बजट सत्र के अन्तर्गत नियोजन विभाग के बजट साहित्य के रूप में विधान मण्डल के माननीय सदस्यों में वितरित की जाती है। उक्त प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक कार्य–कलापों का तथ्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करना है। प्रादेशिक आर्थिक समीक्षा में विशेष रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण करने के साथ ही प्रमुख क्षेत्रों यथा जनांकिकी, कृषि, वन एवं पर्यावरण, पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, औद्योगिक विकास, सेवाक्षेत्र, अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार, श्रमशक्ति एवं सेवायोजन, प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति, ग्राम्य विकास के कार्यक्रम, खनिज एवं विद्युत तथा सतत् विकास लक्ष्य (एस0डी0जी0) आदि से सम्बन्धित विश्लेषण किया जाता है, साथ ही सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों तथा प्रदेश में व्याप्त चुनौतियों एवं सरकार की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जाती है।

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा तैयार करने हेतु प्रदेश के विभिन्न विभागों यथा– चिकित्सा, शिक्षा, पशुपालन, उद्योग, वन, खनिज, समाज कल्याण, विद्युत आदि एवं केन्द्र सरकार के अनेक महत्वपूर्ण प्रकाशनों से प्राप्त आँकडों/सूचनाओं का प्रयोग किया जाता है। पत्रिका को www.updes.nic.in पर अवलोकित किया जा सकता है।

2.4.2 वर्ष 2020–21 में सम्पादित कार्य–

1–''उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2020–21'' हेतु विभिन्न विभागों से आँकडे /रिपोर्ट प्राप्त कर उन्हें अध्यायवार संकलित किया गया।

2–प्राप्त आँकड़ों के आधार पर तालिकाएं/ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।

3–उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा वर्ष 2020–21 के 16 अध्यायों को तैयार किया गया।

4–तैयार पाण्डुलिपि को अपर मुख्य सचिव महोदय के अनुमोदनोपरान्त प्रकाशित कराया गया।

5–वर्तमान में उ0प्र0 की आगामी आर्थिक समीक्षा हेतु आँकड़े/सूचनाएं प्राप्त करने एवं आर्थिक समीक्षा के विभिन्न अध्यायों के ड्राफ्ट तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

वर्ष 2020–21 की आर्थिक समीक्षा में निम्नलिखित 16 अध्यायों में प्रदेश में आर्थिक एवं सामाजिक कार्यकलापों की समीक्षा की गयी हैः–

1 राज्य अर्थव्यवस्था एवं लोक वित्त
2 प्रादेशिक विकास में चुनौतियां तथा रणनीति
3 बैंकिंग एवं संस्थागत वित्त
4 कृषि, वन एवं पर्यावरण
5 पशुधन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य
6 उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
7 ग्राम्य विकास एवं पचांयत सशक्तिकरण
8 औद्योगिक विकास
9 सेवा क्षेत्र
10 अवस्थापना, ऊर्जा एवं संचार
11 पयर्टन एवं नागरिक विमानन
12 शिक्षा
13 स्वास्थ्य एवं चिकित्सा
14 समाज कल्याण
15 श्रमशक्ति एवं सेवा योजन
16 सतत् विकास

2.5 सकल स्थायी पूँजी निर्माण (Gross Fixed Capital Formation(GFCF))

2.5.1 सामान्य परिचय

अर्थ व्यवस्था का विकास मुख्य रूप से पूँजी निवेश (investment) की दर पर निर्भर करता है जिसका आंगणन सकल पूँजी निर्माण से किया जाता है। सकल पूँजी निर्माण के अनुमान में सकल स्थायी पूँजी निर्माण तथा स्टाक में परिवर्तन सम्मिलित होता है। राज्य स्तर पर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के ही अनुमान तैयार किये जाते हैं। सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थव्यवस्था के विकास की योजना के निर्माण हेतु एक आवश्यक संकेतक है।

2.5.2 पृष्ठभूमि एवं कार्यविधि

- अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने का कार्य वर्ष 1999–2000 से प्रारम्भ किया गया।
- सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध करायी गयी रीति विधान के अनुसार तैयार कराये जा रहे हैं।
- राज्य आय अनुमानों की ही भांति सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान अर्थव्यवस्था के समस्त 11 खण्डों हेतु तैयार किये जाते हैं।
- यह अनुमान सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के लिए तैयार किये जाते हैं। अधिक्षेत्रीय (Supra regional) क्षेत्र के अनुमान राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।
- सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग, विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान एवं स्थानीय निकाय के लिए अलग–अलग अनुमान तैयार किये जाते हैं।
- प्रशासनिक विभाग व विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान आय–व्ययक अभिलेखों से आंकलित किये जाते हैं।
- गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के अनुमान तैयार करने हेतु सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो से प्रत्येक वर्ष प्रदेश में कार्यरत प्रतिष्ठानों की सूची प्राप्त की जाती है। तदोपरान्त् प्रत्येक प्रतिष्ठान से उनकी

बैलेन्स शीट प्राप्त करके उसका विश्लेषण कर सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार किये जाते हैं।

स्थानीय निकायों के पूँजी निर्माण के अनुमान तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद, जल संस्थान, जिला पंचायत, नगर पंचायत एवं प्रत्येक जिले से चयनित ग्राम पंचायतों के आय–व्ययकों का वर्गीकरण करके स्थायी पूँजी निर्माण के आँकड़े तैयार किये जाते हैं।

- निजी क्षेत्र के अन्तर्गत पारिवारिक खण्ड के अनुमान विभिन्न समाजार्थिक एवं उद्यम सर्वेक्षणों के अधुनान्त उपलब्ध आँकड़ों/परिणामों का प्रयोग करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न खण्डों हेतु अलग–अलग तैयार किये जाते हैं।

2.5.3 कैलेंडर

प्रदेश के आय–व्ययक(बजट) में दिये गये वास्तविक व्यय के अनुक्रम में उस वर्ष के सकल स्थायी पूँजी निर्माण के अनुमान 31 मार्च तक तैयार किये जाते हैं। मार्च 2020 में वर्ष 2018–19 के अनुमान तैयार करने का कार्य किया गया।

2.5.4 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

- उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के ब्यौरेवार अनुमान वर्ष 2020–21 खण्ड 5 के सभी 10 भागों से वर्ष 2018–19 के वास्तविक व्यय के अन्तर्गत पूँजी निर्माण से सम्बन्धित मदों में हुए खर्चों का संकलन किया गया।
- वर्ष 2018–19 में प्रदेश में कार्यरत कुल 40 गैर विभागीय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से उनकी बैलेन्स शीट प्राप्त कर उनका विश्लेषण कर संकलन कार्य किया गया।
- स्थानीय निकायों के वर्ष 2018–19 के आय–व्ययक का विश्लेषण कर संकलन किया गया।

2.6 उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्ययक के आर्थिक वर्गीकरण सम्बन्धी आँकड़ेः–

स्थानीय निकायों से प्राप्त आँकड़ों का दो प्रकार से प्रयोग किया जाता है–

(1) स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य–

प्राप्त आँकड़ों से लेखा तालिकाऐं तैयार कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती है।

(2) स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़ें–

प्राप्त आँकड़ों से ''उ0प्र0 के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकडें'' प्रतिवेदन तैयार किया जाता है।

2.6.1 स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य–

2.6.1.1 उद्देश्य

राष्ट्रीय आय व राज्य आय में स्थानीय निकायों के अंश के आंकलन के लिये स्थानीय निकायों के वार्षिक आय–व्यय के आर्थिक वर्गीकरण की आवश्यकता होती है।

2.6.1.2 पृष्ठ भूमि

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुरुप स्थानीय निकायों के आय–व्ययक (बजट) वर्गीकरण सम्बंधी कार्य वर्ष 1976 में प्रारम्भ किया गया था।

2.6.1.3 विषय क्षेत्र

स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण सम्बंधी कार्य हेतु प्रदेश की समस्त नगर निगमों (17), नगर पालिका परिषदों (196), जिला पंचायतों (75) एवं जल संस्थानों (12) छावनी परिषदों (13) नगर पंचायत (443), समस्त जनपदों से चयनित ग्राम पंचायतों (4623) के आँकड़े एकत्रित कर उसका आर्थिक वर्गीकरण तैयार किया जाता है। (कोष्ठक में वर्ष 2019–20 की विद्यमान संख्या दर्शायी गयी है।)

2.6.1.4 कार्य विधि

स्थानीय निकायों से आय–व्ययक की सूचना प्राप्त करने हेतु प्रभाग स्तर पर अनुसूची निर्धारित की गयी हैं। जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा स्थानीय निकायों से सूचना प्राप्त की जाती है। ग्रामीण व शहरी समस्त निकायों को सूचना एक ही अनुसूची पर प्राप्त कर डेटा इन्ट्री का कार्य किया जाता है। प्राप्त आँकड़ों का प्रभाग मुख्यालय पर परिनिरीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय तालिकाओं का संकलन कार्य करके तालिकाओं को राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाता है।

2.6.1.5 वर्ष 2020–21 में सम्पादित कार्य

- स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2018–19 की समस्त राज्य स्तरीय तालिकायें तैयार कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की गयी।
- स्थानीय निकायों के आय–व्ययक वर्गीकरण वर्ष 2019–20 हेतु आँकड़े समस्त 75 जनपदों से प्राप्त किये गये। उक्त आँकड़ों से तालिकाएं तैयार करने का कार्य किया जा रहा है।

2.6.2 स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़ें–

2.6.2.1 उद्देश्य

राज्य की अर्थ व्यवस्था के मूल्यांकन के सन्दर्भ में तैयार किये जाने वाले राज्य आय अनुमानों विशेष रुप से निर्माण, जल सम्पूर्ति, सार्वजनिक प्रशासन व अन्य सेवा खण्डों के अनुमान तैयार करने हेतु स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्ब़न्धी आँकड़ों की आवश्यकता होती है।

2.6.2.2 पृष्ठ भूमि

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, रोजगार आदि से सम्बंधित सूचना/आँकड़े एकत्र करने का कार्य वर्ष 1967–68 से प्रत्येक वर्ष किया जा रहा है। तत्सम्बंधी वार्षिक प्रतिवेदन का प्रकाशन वर्ष 1983–84 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है।

2.6.2.3 विषय क्षेत्र

स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी आँकड़े प्रदेश के समस्त नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जिला पंचायतों, जल संस्थानों एवं छावनी परिषदों से एकत्र किए जाते है।

2.6.2.4 कार्य विधि

स्थानीय निकायों से सूचना/आँकड़े प्राप्त करने हेतु प्रभाग द्वारा एक अनुसूची निर्धारित की गई है। जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय द्वारा उक्त अनुसूची पर स्थानीय निकायों से आँकड़े प्राप्त कर प्रभाग द्वारा तैयार सॉफ्ट्वेयर पर डेटा इन्ट्री का कार्य किया जाता है।

प्रभाग मुख्यालय पर परिनिरीक्षणोपरान्त राज्य स्तरीय तालिकाओं का संकलन कार्य एवं वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

2.6.2.5 वर्ष 2019–20 में सम्पादित कार्य

- स्थानीय निकायों के आय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बंधी वर्ष 2018–19 के आँकड़े प्रदेश के समस्त 75 जनपदों से प्राप्त कर वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर पत्रिका का प्रकाशन किया गया।
- इसी क्रम में स्थानीय निकायों के वर्ष 2019–20 के आँकड़े समस्त 17 नगर निगमों, 196 नगर पालिका परिषदों, 443 नगर पंचायतों, 75 जिला पंचायतों, 12 जल संस्थानों (उपशाखा सहित) से एकत्र किये गये। उक्त आँकड़ों के संकलन का कार्य किया जा रहा है।

मुख्य परिणाम

- वर्ष 2018–19 में स्थानीय निकायों की कुल आय 1604835.15 लाख रु0 रही जबकि विगत वर्ष 2017–18 में कुल आय 1631207.99 लाख रु0 थी। इस प्रकार वर्ष 2018–19 में आय में गत वर्ष को तुलना में लगभग 1.62 प्रतिशत की कमी हुई।
- कुल आय में राजस्व कर से आय 180185.04 लाख रु0 रही। करेत्तर राजस्व का योगदान 350301. 58 लाख रु0 तथा अनुदान अंशदान व ऋण से आय 1074348.53 लाख रु0 था। कुल आय में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व तथा अनुदान का प्रतिशत अंश क्रमशः 11.23, 21.83 तथा 66.94 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2017–18 में स्थानीय निकायों का कुल व्यय 1391601.27 लाख रु0 था जो कि वर्ष 2018–19 में 13.93 प्रतिशत बढ़कर 1585665.42 लाख रु0 हो गया।
- कुल व्यय में विविध व्यय 49.59 प्रतिशत, सार्वजनिक निर्माण सम्बन्धी व्यय पर 31.24 प्रतिशत, सामान्य प्रशासन एवं राजस्व एकत्रीकरण पर व्यय 14.19 प्रतिशत, जन स्वास्थ्य पर 4.30 प्रतिशत, सुरक्षा एवं सुविधा पर 0.40 प्रतिशत तथा शिक्षा पर व्यय 0.28 प्रतिशत रहा।
- वर्ष 2018–19 में नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा कुल 598498.35 लाख रु0 पूँजी निर्माण पर व्यय किया गया इस व्यय में प्रमुख रुप से नगर निगमों द्वारा 200747.35 लाख रु0 व्यय किये गये जो कि कुल पूँजी निर्माण पर व्यय का 33.17 प्रतिशत है।
- प्राप्त आँकड़ों के आधार पर 31 मार्च, 2019 को समस्त नगरीय स्थानीय निकायों में कुल 33.17 प्रतिशत, कर्मचारी कार्यरत थे जिसमें सर्वाधिक 69242 (49.55 प्रतिशत), कर्मचारी स्वच्छता सेवा में 57911 (41.45 प्रतिशत) कर्मचारी अन्य सेवा में एवं 12578 (9.00 प्रतिशत) कर्मचारी जल सम्पूर्ति सेवा में कार्यरत् थे।

2.7—स्वायत्तशासी संस्थाओं की बैलेंस शीट के विश्लेषण संबंधी कार्य—

राज्य आय अनुमान तैयार करने हेतु निर्माण खण्ड, अन्य सेवाएं व सार्वजनिक प्रशासन खण्ड के आगणन हेतु प्रभाग द्वारा यह कार्य वर्ष 2014—15 में प्रारम्भ किया गया है। जिसके अन्तर्गत प्रदेश में कार्यरत स्वायत्तशासी संस्थाओं व 30 जनपदों के 32 विकास प्राधिकरणों के आय—व्यय संबंधी आँकडों के विश्लेषण का कार्य किया जाता है। वर्ष 2016—17 की 54 स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा 32 विकास प्राधिकरणों की बैलेंस शीट के परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर तथा उनकी अन्तिम लेखा तालिकाऐं तैयार कर, वर्ष 2017—18 की 70 स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा 32 विकास प्राधिकरणों की बैलेस शीट के परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण कार्य पूर्ण कर, वर्ष 2018—19 की 95 स्वायत्तशासी व 32 विकास प्राधिकरणों की बैलेंस शीट का परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर तथा उनकी अन्तिम लेखा तालिकायें तैयार कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार नई दिल्ली को प्रेषित करने का कार्य किया गया। वर्ष 2019—20 की 86 स्वायत्तशासी संस्थाओं व 32 विकास प्राधिकरणों की बैलेंस शीट का परिनिरीक्षण एवं विश्लेषण का कार्य पूर्ण कर तथा उनकी अनन्तिम लेखा तालिकायें तैयार कर राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित करने का कार्य किया गया। वर्तमान में वर्ष 2020—21 की 95 स्वायत्तशासी संस्थाओं व 32 विकास प्राधिकरणों की बैलेंस शीट के विश्लेषण के कार्य हेतु निर्देश प्रेषित किये गये।

****

अध्याय–3
क्षेत्रीय सर्वेक्षण एवं विश्लेषण अनुभाग (रा.प्र.स.)

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा0प्र0स0) का गठन वर्ष 1950 में सांख्यिकीय प्रतिचयन पद्धतियों का उपयोग करके असंगठित समाजार्थिक क्षेत्र के आँकड़ों के एकत्रीकरण हेतु किया गया था। इन आँकड़ों की उपयोगिता विशेष कर नियोजन एवं नीति–निर्धारण हेतु महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश सरकार का अर्थ एवं संख्या प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, भारत सरकार से समन्वय रखते हुए समतुल्य प्रतिदर्श आधार पर नवीं आवृत्ति (वर्ष 1955) से राज्य प्रतिदर्श के रूप में आँकड़े एकत्र करा रहा है।

3.1 क्षेत्राधीक्षण अनुभाग के कार्य एवं उत्तरदायित्व–

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा राज्य प्रतिदर्श के रूप में सर्वेक्षण हेतु उपलब्ध करायी गयी इकाईयों का क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सर्वेक्षण कार्य का सम्पादन कराया जाता है। इस कार्य के प्रारम्भ होने से पूर्व समस्त क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर तैनात अधिकारियों को आवृत्ति की विषयवस्तु सम्बन्धी पूर्ण प्रशिक्षण राज्य स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में दिया जाता है। क्षेत्र में आवृत्ति से सम्बन्धित परिभाषाओं, संकल्पना, परिनिरीक्षण एवं प्रक्रिया सम्बन्धी उठाई जाने वाली पृच्छाओं का समाधान किया जाता है। रा0प्र0स0 के अन्तर्गत एकत्रित किये जा रहे आँकड़ों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य का नियमित पर्यवेक्षण एवं तदर्थ सर्वेक्षणों से सम्बन्धित कार्यो को क्षेत्राधीक्षण अनुभाग द्वारा सम्पन्न कराया जाता है।

3.1.1 वर्ष 2020–21 में सम्पादित किये गये मुख्य कार्य–:

रा0प्र0स0–77वीं आवृत्ति

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण–77वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2019 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण–77वीं आवृत्ति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित कुल 1181 प्रतिदर्श इकाइयों का सर्वेक्षण **"परिवारों की भूसम्पत्ति एवं पशुधन धारिता"** तथा **"कृषक परिवारों की स्थिति का मूल्यांकन"** एवं **"पारिवारिक ऋण एवं निवेश"** के विषयों से सम्बन्धित था।

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण–77वीं आवृत्ति के अन्तर्गत आवंटित कुल 1181 इकाइयों के सर्वेक्षणोपरान्त समस्त 1181 प्रतिदर्श इकाइयों के आँकड़ों को वैलीडेट कराकर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु रा0प्र0स0 अनुभाग–2 (विश्लेषण) एवं संगणक अनुभाग को उपलब्ध कराया गया।

रा0प्र0स0–78वीं आवृत्ति

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (रा0प्र0स0)–78वीं आवृत्ति की सर्वेक्षण अवधि 01 जनवरी, 2020 से 31 दिसम्बर, 2020 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गयी थी। यह सर्वेक्षण तीन–तीन माह की 04 उपावृत्तियों में विभक्त था।

प्रथम उपावृत्ति	जनवरी 2020 से मार्च 2020,
द्वितीय उपावृत्ति	अप्रैल 2020 से जून 2020,
तृतीय उपावृत्ति	जुलाई 2020 से सितम्बर 2020,
चतुर्थ उपावृत्ति	अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020

इस राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण–78वीं आवृत्ति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश राज्य को आवंटित कुल 1684 प्रतिदर्श इकाईयों द्वारा समाजार्थिक विषय–**घरेलू पर्यटन पर व्यय** (Domestic Tourism Expenditure) **एवं मल्टीपल इंडिकेटर्स सर्वे** (Multiple Indicator Survey) से सम्बन्धित आँकड़े निम्नलिखित अनुसूचियों पर संकलित कर एकत्रित कराये जाने थेः–

1. अनुसूची 0.0 : **परिवारों की सूची** (List of Households)

2. अनुसूची 21.1: **घरेलू पर्यटन पर व्यय** (Domestic Tourism Expenditure)
3 अनुसूची 5.1 : **एकाधिक संकेतक सर्वेक्षण** (Multiple Indicator Survey)

प्रथम उपावृत्ति की समस्त 421 इकाईयों का सर्वेक्षण पूर्व निर्धारित अवधि (1 जनवरी, 2020 से 31 मार्च, 2020) में सम्पन्न कराया गया। भारत सरकार के दिनांक 19.06.2020 के निर्देशानुसार कोविड–19 के कारण द्वितीय उपावृत्ति की 421 इकाइयों का सर्वेक्षण स्थगित किया गया। भारत सरकार के दिनांक 20.06.2020 द्वारा दिये गये मार्गदर्शी सिद्धांत के अनुपालन में कोविड–19 के कारण तृतीय उपावृत्ति से ''घरेलू पर्यटन पर व्यय (Domestic Tourism Expenditure)'' सम्बन्धित अनुसूची–21.1 नहीं भरी गयी। विषय–''मल्टीपल इंडिकेटर्स सर्वे (Multiple Indicator Survey)'' से सम्बन्धित अनुसूची–5.1 में ही आँकड़ों का एकत्रीकरण कराया गया है। इसी क्रम में तृतीय उपावृत्ति की आवंटित समस्त 421 प्रतिदर्श इकाइयों एवं चतुर्थ उपावृत्ति की आवंटित समस्त 421 प्रतिदर्श इकाइयों का सर्वेक्षण सम्पन्न कराया गया।

द्वितीय उपावृत्ति (1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020) का सर्वेक्षण, जो भारत सरकार से प्राप्त निर्देशानुसार कोविड–19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, उसे भारत सरकार से पुनः प्राप्त निर्देशों के क्रम में 01 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021 की अवधि में सम्पन्न कराया गया।

सर्वेक्षित इकाइयों के संग्रहित आँकड़ों की डाटा–इन्ट्री एवं वैलीडेशन हेतु भारत सरकार के डी0पी0डी0, कोलकाता से प्राप्त डाटा–इन्ट्री एवं वैलीडेशन सॉफ्ट्वेयर पर उक्त आवृत्ति में आवंटित कुल 1684 प्रतिदर्श इकाइयों में से 1682 इकाइयों के आँकड़ों की डाटा–इन्ट्री व वैलीडेशन पूर्ण हो गया है।

3.2 रा.प्र.स.–2–विश्लेषण अनुभाग

क्षेत्राधीक्षण अनुभाग द्वारा कराये गये सर्वेक्षण के पश्चात प्राप्त आँकड़ों के विश्लेषण से सम्बन्धित कार्य इस अनुभाग द्वारा किया जाता है।

3.2.1 कार्य एवं दायित्व

प्रभाग मुख्यालय पर विश्लेषण अनुभाग को मुख्यतः रा.प्र.स. के अन्तर्गत एकत्रित आँकड़ों का सारिणीयन पूर्व वैलीडेशन, समंक विधायन, सारिणीयन तथा रिपोर्ट आलेखन एवं प्रकाशन आदि का कार्य निर्धारित है। योजना आयोग, भारत सरकार से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों के अनुमान निकालने हेतु निर्धारित कट–ऑफ–प्वाइन्ट्स के आधार पर प्रति व्यक्ति मासिक उपभोक्ता व्यय के राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का अनुमान निकालने का कार्य भी इस अनुभाग द्वारा किया जाता है। पावर्टी एवं सोशल मॉनीटरिंग परियोजना के अन्तर्गत एकत्रित आँकड़ों के विधायन, विश्लेषण व रिपोर्ट आलेखन का कार्य भी सम्पादित किया जाता है। रा.प्र.स. के आँकड़ों के आधार पर आवश्यकतानुसार अन्य स्टेटस पेपर भी समय–समय पर तैयार किया जाता है।

3.2.2 वर्ष 2020–21 में सम्पादित कार्य

- रा.प्र.स. 75वीं आवृत्ति की अनुसूची 25.0 (सामाजिक उपभोग : स्वास्थ्य) के राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन।
- रा.प्र.स. 75वीं आवृत्ति की अनुसूची 25.2 (सामाजिक उपभोग : शिक्षा) के राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन।
- रा.प्र.स. 76वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.2 (पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य परिचर्या एवं आवासीय स्थिति) के राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन।
- रा.प्र.स. 76वीं आवृत्ति की अनुसूची 26.0 (दिव्यांगजनों का सर्वेक्षण) के राज्य प्रतिदर्श के आँकड़ों पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन।

3.2.3 उत्तर प्रदेश में सामाजिक उपभोग : 'स्वास्थ्य' (जुलाई 2017–जून 2018) रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- यह सर्वेक्षण प्रदेश के 796 ग्रामों तथा 580 नगरीय खण्डों में सम्पन्न हुआ।
- प्रदेश में कुल 11008 प्रतिदर्श परिवारों से आँकड़े एकत्र किए गए, जिसमें से 6368 प्रतिदर्श परिवार (57.8 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्र में तथा 4640 (42.2 प्रतिशत) प्रतिदर्श परिवार नगरीय क्षेत्र में पाए गए।
- राज्य स्तर पर अनुमानित कुल व्यक्तियों की संख्या 1832.54 लाख पाई गई, जिसमें से 1446.43 लाख (78.9 प्रतिशत) व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में एवं 386.11 लाख (21.1 प्रतिशत) व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में पाए गए।
- प्रदेश में कुल व्यक्तियों में से ग्रामीण क्षेत्र में 776.68 लाख पुरूष तथा 222.12 लाख महिलाएं पाई गई, जबकि नगरीय क्षेत्र में 215.58 लाख पुरूष तथा 170.47 लाख महिलाएं पाई गई।

I. अस्वस्थता एवं अस्पताल में भर्ती करना

- पिछले 15 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में रुग्णता दर 37 तथा नगरीय क्षेत्र में 32 रही। यह भी परिलक्षित है कि पिछले 15 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्र के पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में रुग्णता दर अधिक रही।
- पिछले 15 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान 45–60 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों में रुग्णता दर अधिक पायी गयी।
- ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्र के व्यक्तियों ने बीमारी के उपचार एलोपैथी पद्धति द्वारा करवाया। इसके अतिरिक्त दोनों ही क्षेत्र के व्यक्तियों ने बीमारी के उपचार निजी अस्पताल के द्वारा प्रमुखता से करवाया।
- गत 365 दिनों में नगरीय क्षेत्र में महिलाओं के अस्पताल में भर्ती होने की संख्या पुरूषों से अधिक रही। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सरकारी/सार्वजनिक अस्पताल की अपेक्षा निजी अस्पतालों से उपचार कराने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक पाई गई।
- रोगों के लक्षण के आँकड़ों से स्पष्ट है कि ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्र के व्यक्ति कैंसर जैसे रोगों के निदान हेतु भर्ती हुए। भर्ती रहने के दौरान बीमारी के उपचार हेतु एलोपैथी पद्धति द्वारा निदान प्रमुखता से किया गया।
- भर्ती रहने के दौरान नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा प्रति भर्ती व्यक्ति के उपचार का औसत कुल व्यय अधिक पाया गया इसके अतिरिक्त यह निजी अस्पताल में अधिकतम रहा।
- ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्र के व्यक्तियों को सरकार संपोषित बीमा योजना के अंर्तगत क्रमशः 3.0 प्रतिशत व 4.3 प्रतिशत स्वास्थ्य व्यय सहायता की व्याप्ति रही।
- ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्र के व्यक्तियों को भर्ती होने की प्रतिपूर्ति की प्रतिशतता काफी कम रही है।
- ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्र के पिछले 365 दिनों में व्यक्तियों को भर्ती होने के व्यय के वित्तीय स्त्रोत में परिवार की आय/जमा की प्रतिशतता अधिकतम रही।

II. 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वृद्ध व्यक्तियों का आर्थिक स्वावलम्बन एवं स्वास्थ्य की दशा

- ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 61 प्रतिशत वृद्ध व्यक्ति एवं नगरीय क्षेत्र में लगभग 68 प्रतिशत वृद्ध व्यक्ति अपने पति/पत्नी के साथ रह रहे थे।
- ग्रामीण क्षेत्र में 30 प्रतिशत वृद्ध व्यक्ति तथा नगरीय क्षेत्र में 42 प्रतिशत व्यक्ति आर्थिक रुप से स्वतंत्र पाये गये।
- आर्थिक रुप से आश्रित वृद्ध व्यक्तियों में 78 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र तथा 80 प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में अपने बच्चों पर ही निर्भर पाये गये।

- ग्रामीण क्षेत्र के 15 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र के 13 प्रतिशत वृद्ध व्यक्तियों में शारीरिक अगतिशीलता पायी गयी। 80 वर्ष व उससे अधिक वर्ग के वृद्ध व्यक्तियों के ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में 18 व 16 प्रतिशत शारीरिक रूप से अगतिशील थे।

III. 0–5 वर्ष उम्र के बच्चों का प्रतिरक्षण

- ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में क्रमशः 99 प्रतिशत व 98 प्रतिशत बच्चों का प्रतिरक्षण हुआ। पिछले 365 दिनों में प्रतिरक्षण पर औसत व्यय ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में क्रमशः रु0 85 व रु0 255 रहा।
- ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में 0–5 वर्ष की आयु के बच्चों का प्रतिरक्षण अधिकांशतः एच एस सी/आंगनबाड़ी में हुआ।

IV. बच्चों के जन्म से सम्बन्धित विषय

- राज्य में गत 365 दिनों के दौरान 15–49 वर्ष की कुल 8 प्रतिशत गर्भवती महिलाएं अनुमानित हुई। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में उक्त प्रतिशत क्रमशः 8.3 एवं 7.1 अनुमानित हुआ।
- राज्य में गत 365 दिनों के दौरान 15 से 49 वर्ष की 84.4 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया तथा 15.6 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का गर्भपात होना अनुमानित हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में 84.9 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया तथा 15.1 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का गर्भपात होना अनुमानित हुआ। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में 82.4 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया तथा 17.6 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का गर्भपात होना अनुमानित हुआ।
- राज्य में बच्चों का जन्म सर्वाधिक 57.2 प्रतिशत संस्थागत क्षेत्र के सार्वजनिक अस्पतालों में, 28.4 प्रतिशत निजी अस्पतालों में, 0.9 प्रतिशत गैर–संस्थागत क्षेत्र में कुशल व्यक्तियों द्वारा तथा 13.5 प्रतिशत अकुशल व्यक्तियों द्वारा कराया जाना अनुमानित हुआ।
- ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों का जन्म सर्वाधिक 59.6 प्रतिशत संस्थागत क्षेत्र के सार्वजनिक अस्पतालों में, 24.8 प्रतिशत निजी अस्पतालों में, 1.0 प्रतिशत गैर–संस्थागत क्षेत्र में कुशल व्यक्तियों द्वारा तथा 14.5 प्रतिशत अकुशल व्यक्तियों द्वारा कराया जाना अनुमानित हुआ।
- नगरीय क्षेत्र में बच्चों का जन्म सर्वाधिक 46.2 प्रतिशत संस्थागत क्षेत्र के सार्वजनिक अस्पतालों में, 44.8 प्रतिशत निजी अस्पतालों में, 0.2 प्रतिशत गैर–संस्थागत क्षेत्र में कुशल व्यक्तियों द्वारा तथा 8.9 प्रतिशत अकुशल व्यक्तियों द्वारा कराया जाना अनुमानित हुआ।

V. उपचार व्यय से सम्बन्धित

- ग्रामीण क्षेत्र में प्रति भर्ती व्यक्ति के उपचार का औसत कुल व्यय रू. 11850 जबकि नगरीय क्षेत्र में यह उससे अधिक रू. 17701 रहा। ग्रामीण व नगरीय दोनों ही क्षेत्रो में उपचार का औसत कुल व्यय सबसे अधिक निजी अस्पतालों में रू. 18633 व रू. 24694 रहा।
- ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान प्रति भर्ती व्यक्ति के उपचार का औसत कुल व्यय सबसे अधिक कैंसर बीमारी के उपचार हेतु क्रमशः रू. 15963 तथा रू. 19938 था।
- ग्रामीण क्षेत्र में प्रति भर्ती उपचार पर 'जेब से बाहर के खर्च 'का औसत व्यय रु. 11797 रहा जबकि नगरीय क्षेत्र में यह रु. 17205 रहा।
- ग्रामीण व नगरीय दोनों क्षेत्रो में अस्पताल में भर्ती होने पर व्यय के वित्तीय स्रोत सबसे अधिक परिवार का आय/जमा 87.6 प्रतिशत व 90.7 प्रतिशत रहा। इसके बाद उधार की प्रतिशतता 7.8 व 5.1 ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रो की रही।
- ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक अस्पतालों में कुल 59.6 प्रतिशत तथा निजी अस्पतालों में कुल 24.8 प्रतिशत बच्चों का जन्म होना पाया गया।
- नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक अस्पतालों में कुल 46.2 प्रतिशत तथा निजी अस्पतालों में कुल 44.8 प्रतिशत बच्चों का जन्म होना पाया गया।

- 15–49 वर्ष की महिलाओं के गर्भधारण के परिणाम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 2.8 प्रतिशत महिलाएं वर्तमान गर्भावस्था की स्थिति में पायी गयी तथा मातृत्व जीवन में 82.1 प्रतिशत गर्भवती महिलाओ द्वारा जीवित बच्चे को जन्म, 0.4 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं द्वारा मृत बच्चे का जन्म (STILL BIRTH) और 14.7 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का गर्भपात होना पाया गया।
- 15–49 वर्ष की महिलाओं के गर्भधारण के परिणाम के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में 4.3 प्रतिशत महिलाएं वर्तमान गर्भावस्था की स्थिति में पायी गयी तथा मातृत्व जीवन के अन्तर्गत 78.6 प्रतिशत गर्भवती महिलाओ द्वारा जीवित बच्चे को जन्म तथा 0.2 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं द्वारा मृत बच्चे का जन्म (STILL BIRTH) और 16.9 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं का गर्भपात होना पाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत बच्चों के जन्म पर किये गये कुल औसत चिकित्सा व्यय सार्वजनिक अस्पताल में कुल रू0 1495, निजी अस्पताल में रू0 14957 व समस्त अस्पताल में रू0 5288 अनुमानित हुआ। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत कुल औसत चिकित्सा व्यय सार्वजनिक अस्पताल में रू0 1790, निजी अस्पताल में रू0 17292 व समस्त अस्पताल में रू0 9511 अनुमानित हुआ।

3.2.4 उत्तर प्रदेश में सामाजिक उपभोग : 'शिक्षा' (जुलाई 2017–जून 2018) रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- राज्य में कुल 364.18 लाख परिवार अनुमानित हुए जिसमें से 283.74 लाख (77.91 प्रतिशत) ग्रामीण तथा 80.44 लाख (22.09 प्रतिशत) नगरीय क्षेत्र में थे।
- राज्य में कुल 1786.37 लाख व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें से 1414.50 लाख (79.18 प्रतिशत) व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में तथा 371.86 लाख (20.81 प्रतिशत) व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में अनुमानित हुए।
- राज्य में परिवार का औसत आकार 4.9 पाया गया जबकि ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में औसत परिवार आकार क्रमशः 5.0 तथा 4.6 पाया गया।
- राज्य में लिंगानुपात 851 अनुमानित हुआ।
- प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के क्रमशः 93.7 प्रतिशत, 76.7 प्रतिशत तथा 37.7 प्रतिशत व नगरीय क्षेत्र के क्रमशः 89.9 प्रतिशत, 87.7 प्रतिशत तथा 68.2 प्रतिशत परिवार ऐसे थे जहाँ शिक्षण संस्थानों की निकटतम दूरी 1 कि.मी. से कम थी।
- राज्य में 7 वर्ष या अधिक आयु वर्ग के पुरूषों की साक्षरता दर 78.0 अनुमानित हुई। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में यह दर क्रमशः 76.4 तथा 83.7 प्रतिशत पायी गयी। 7 वर्ष या अधिक आयु वर्ग की महिलाओं में साक्षरता दर 63.3 अनुमानित हुई। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में यह दर क्रमशः 60.4 तथा 73.9 प्रतिशत पायी गयी।
- राज्य में तकनीकी शिक्षा प्राप्त 15 वर्ष तथा अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत 1.2 प्रतिशत रहा। पुरूषों तथा महिलाओं में यह प्रतिशत क्रमशः 1.7 तथा 0.5 प्रतिशत अनुमानित हुआ।
- 5 वर्ष और उससे अधिक आयुवर्ग के व्यक्तियों में से कम्प्यूटर संचालन में सक्षम व्यक्ति 8.7 प्रतिशत अनुमानित हुआ। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में यह दर क्रमशः 5.5 तथा 20.4 प्रतिशत पायी गयी।
- राज्य में इन्टरनेट संचालन में सक्षम व्यक्तियों का प्रतिशत 10.6 अनुमानित हुआ।
- राज्य में 15 वर्ष और उससे अधिक आयुवर्ग के प्री–प्राइमरी और उससे अधिक स्तर तक के शिक्षित व्यक्तियों का औपचारिक शिक्षा में पूर्ण किये गये औसत वर्ष 10.2 पाया गया जबकि 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुष तथा महिलाओं का औपचारिक शिक्षा पूर्ण किये गये औसत वर्ष क्रमशः 10.5 तथा 9.7 अनुमानित हुआ।
- राज्य में विकलांग व्यक्तियों में से सर्वाधिक प्रतिशत लोकोमोटर का पाया गया जोकि 46.3 प्रतिशत अनुमानित हुआ, जबकि न्यूनतम प्रतिशत मल्टिपल डिसेबिलिटी का रहा जो कि 7.2 प्रतिशत अनुमानित हुआ।
- राज्य में आयु वर्ग 3–35 वर्ष के 19.8 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षा हेतु कभी भी नामांकित नहीं थे। पुरूष तथा महिलाओं के लिये यह प्रतिशत क्रमशः 17.5 व 22.8 था।

- आयु वर्ग 3–35 वर्ष के वर्तमान में उपस्थित व्यक्ति 45.8 प्रतिशत थे। पुरूष तथा महिलाओं के लिये यह प्रतिशत क्रमशः 48.1 प्रतिशत व 42.8 प्रतिशत था।
- राज्य में आयुवर्ग 5–29 वर्ष के 14.4 प्रतिशत व्यक्ति शिक्षा हेतु नामांकित नही थे। पुरूष तथा महिलाओं के लिये यह प्रतिशत क्रमशः 12.7 व 16.7 था।
- आयु वर्ग 5–29 वर्ष के वर्तमान में उपस्थित व्यक्ति 53.4 थे। पुरूष तथा महिलाओं के लिये यह प्रतिशत क्रमशः 56.3 व 49.7 था।
- विभिन्न शैक्षिक स्तर पर अध्ययनरत व्यक्तियों का सकल नामांकन अनुपात प्राथमिक स्तर तक 93.3 था। शुद्ध नामांकन अनुपात 75.5 था व सकल उपस्थिति अनुपात 92..2 था।
- विभिन्न संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों में से निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत सरकारी संस्थानों में 82.4, निजी (सहायता प्राप्त) में 1.6 व निजी (गैर सहायता प्राप्त) में 1.1 प्रतिशत था ।
- मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के प्रत्येक पंचमांश के लिये वर्तमान में उपस्थिति के स्तर के अनुसार वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के दौरान सामान्य शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के बुनियादी पाठ्यक्रम पर औसत व्यय ग्रामीण व नगरीय में क्रमशः रू0 4632 व रू0 10783 था। तकनीकी शिक्षा स्तर पर औसत व्यय ग्रामीण व नगरीय मे क्रमशः रू0 18298 व रू0 44632 था।
- राज्य में ड्राप–आउट की दर 3.1 प्रतिशत अनुमानित हुई। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में यह दर क्रमशः 3.1 तथा 3.2 प्रतिशत पायी गयी।
- राज्य के सरकारी संस्थानों के प्राथमिक विद्यालय के परिसर के मध्यान्ह भोजन प्राप्त करने वाले छात्रों का प्रतिशत 93.8 पाया गया।
- सहायता प्राप्त निजी संस्थानों में मध्याहन भोजन प्राप्त करने वाले छात्रों में सर्वाधिक छात्र उच्च प्राथमिक स्तर पर थे, जो 8.4 प्रतिशत अनुमानित हुए।
- सार्वजनिक परिवहन में रियायत प्राप्त करने वाले छात्रों में पुरूषों तथा महिलाओं का प्रतिशत क्रमशः 13.2 प्रतिशत तथा 16.9 प्रतिशत अनुमानित हुआ।

3.2.5 उत्तर प्रदेश में पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य परिचर्या एवं आवासीय स्थिति (जुलाई–दिसम्बर 2018)

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

- राज्य में कुल 378.05 लाख परिवार पाये गये जिसमें से 294.43 लाख ग्रामीण क्षेत्र में तथा 83.62 लाख परिवार नगरीय क्षेत्र में पाये गये। राज्य की जनसंख्या 1917.84 लाख (ग्रामीण क्षेत्र में 1513. 60 लाख तथा नगरीय क्षेत्र में 404.24 लाख) अनुमानित हुई।

I. पेयजल की सुविधा

- ग्रामीण क्षेत्र में 'हैंडपम्प' का प्रयोग सर्वाधिक 89.4 प्रतिशत पाया गया। इसके पश्चात 4.6 प्रतिशत परिवार ट्यूबवेल/बोरवेल का उपयोग करते पाये गये। मात्र 3.6 प्रतिशत परिवारों ने आवास में पाइप द्वारा पेयजल का प्रयोग किया। नगरीय क्षेत्र में पेयजल हेतु प्रथम मुख्य स्रोत के रूप में दो स्रोत 'आवास में पाइप' एवं 'हैंडपम्प' का उपयोग 74.9 प्रतिशत परिवार करते पाये गये।
- ग्रामीण क्षेत्र में 69.6 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 76.1 प्रतिशत परिवार द्वारा पेयजल उपयोग की सुलभता पायी गयी।
- ग्रामीण क्षेत्र के 2.4 प्रतिशत परिवार तथा नगरीय क्षेत्र मात्र 0.9 प्रतिशत परिवारों को पेयजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं था।
- ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की कमी माह जनवरी से प्रारम्भ हुई और माह फरवरी में शीर्ष पर पहुँच गयी। शनै–शनै यह कमी आगामी माह अर्थात मई से दिसम्बर में पूर्णतया समाप्त हो गई। नगरीय

क्षेत्र में भी इसी प्रकार का प्रभाव परिलक्षित होता है किन्तु नगरीय क्षेत्र में पेयजल की समस्या से प्रभावित परिवारों की संख्या ग्रामीण के सापेक्ष अधिक पायी गयी।

- राज्य के लगभग 68.3 प्रतिशत परिवारों के आवासीय इकाई के भीतर पेयजल का मुख्य स्रोत पाया गया। आवासीय इकाई के भीतर पेयजल का मुख्य स्रोत जो ग्रामीण क्षेत्र में 64.8 प्रतिशत परिवारों के मामले में था, वहीं नगरीय क्षेत्र के मामले में 80.5 प्रतिशत अनुमानित हुआ।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में 46.5 प्रतिशत पुरूषों एवं 39.3 प्रतिशत महिलाओं द्वारा आवास परिसर से बाहर जाकर पेयजल लाने का कार्य किया गया। जबकि नगरीय क्षेत्र में 62.3 प्रतिशत पुरूषों तथा 19.8 प्रतिशत महिलाओं द्वारा परिसर से बाहर जाकर पेयजल लाने का कार्य किया गया।
- ग्रामीण परिवार के सदस्यों द्वारा पेयजल के स्रोत तक जाने और वापस आने में लगा औसत समय एक दिन में 9 मिनट पाया गया, जबकि नगरीय परिवार के सदस्यों द्वारा लगा औसत समय 10 मिनट पाया गया।
- ग्रामीण क्षेत्र में 9.4 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 34.4 प्रतिशत पेय जल के शोधन की अभिक्रिया हुई।
- ग्रामीण क्षेत्र में 1.8 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 21.5 प्रतिशत परिवार जल के शोधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्यूरीफायर का प्रयोग पाया गया। तत्पश्चात् ग्रामीण क्षेत्र में 1.4 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 5.2 प्रतिशत परिवार जल के शोधन के लिए वाटर फिल्टर का प्रयोग करते पाये गये। फिटकरी द्वारा रासायनिक उपचार का प्रयोग बहुत कम पाया गया। ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 0.1 एवं नगरीय क्षेत्र में 0.4 प्रतिशत आँकड़े दर्ज हुए।
- राज्य में पेयजल के भण्डारण हेतु सर्वाधिक 32.1 प्रतिशत परिवार प्लास्टिक के पात्र का प्रयोग करते पाये गये। तदोपरान्त 30.3 प्रतिशत परिवार स्टेनलेस स्टील व 4.3 प्रतिशत परिवार लोहे के पात्र का प्रयोग करते पाये गये। उल्लेखनीय है कि 28.9 प्रतिशत परिवार पेयजल का भण्डारण करते ही नहीं पाये गये।
- ग्रामीण एवं नगरीय परिवारों द्वारा पेयजल निकासी हेतु सर्वाधिक हैण्डल वाला बर्तन क्रमशः 35.5 एवं 39.6 प्रतिशत का प्रयोग पाया गया। उड़ेलकर जलनिकासी विधि का प्रयोग ग्रामीण एवं नगरीय परिवारों द्वारा सबसे कम दर्ज हुआ।
- परिवारों हेतु जलापूर्ति की आवृत्ति से सम्बन्धित आँकड़ों के अध्ययन से पता चलता है कि 91.9 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों एवं 90.9 प्रतिशत नगरीय परिवारों को दैनिक पानी की आपूर्ति हुई।

II. शौचालय एवं स्वच्छता सुविधाएँ

- ग्रामीण क्षेत्र में 60.1 प्रतिशत प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र में 92.1 प्रतिशत परिवरों द्वारा स्नानगृह का उपयोग करते पाए गए ।
- परिवार के उपयोग हेतु स्नानगृह की अधिकता 54.7 प्रतिशत पायी गयी। ग्रामीण क्षेत्र में 47.8 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 79.0 प्रतिशत परिवारों के पास विशेष रूप से स्वयं का स्नानगृह पाया गया।
- अनु. जनजाति हेतु अधिकम 44.3 प्रतिशत स्नानगृह आवासीय इकाई में स्थित एकमात्र परिवार के उपयोग के लिए था। यह प्रतिशत अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य सामाजिक वर्ग हेतु क्रमशः 44.2, 53.2 एवं 71.4 प्रतिशत अनुमानित हुआ।
- राज्य के अनु. जनजाति, अनु. जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य सामाजिक वर्ग हेतु क्रमशः 48.3, 43.6, 34.9 एवं 14.4 प्रतिशत परिवारों हेतु कोई भी स्नानगृह नही पाया गया। राज्य में अनु. जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु भवन में परिवारों के साझा स्नानगृह लगभग बराबर 10.9 प्रतिशत पाये गये। अनु. जनजाति एवं अन्य सामाजिक वर्ग हेतु उक्त प्रतिशत क्रमशः लगभग 7.4 व 13.4 पाया गया।
- राज्य के लगभग 74.6 प्रतिशत परिवारों को आवासीय इकाई से संलग्न स्नानगृह सुविधा प्राप्त हुई। उक्त प्रतिशत ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र हेतु क्रमशः 70.0 व 85.2 प्रतिशत अनुमानित हुआ।

- ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में क्रमशः 26.9 व 13.6 प्रतिशत असंलग्न स्नानगृह की सुविधा ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों अनुमानित हुआ।
- प्रदेश स्तर पर 0.7 प्रतिशत परिवार में किसी भी प्रकार के शौचालय सुविधा का उपयोग नहीं पाया गया। जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 2.0 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र के 0.1 प्रतिशत परिवार थे।
- राज्य के अधिकतर 55.3 प्रतिशत परिवारों द्वारा सैप्टिक टैंक वाले शौचालय का प्रयोग पाया गया। उक्त प्रतिशत ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र हेतु क्रमशः 51.6 व 64.5 प्रतिशत अनुमानित हुआ।
- शौचालय प्रारूप का समग्र रूप से विश्लेषण करने से स्पष्ट होता है कि पाइप वाली सीवर प्रणाली (फ्लश) जिसे स्वच्छता व स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहतर माना जाता है, का प्रयोग मात्र क्रमशः 17.5 प्रतिशत अनु. जनजाति, 5.1 प्रतिशत अनु. जाति, 8.0 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग तथा 15.2 प्रतिशत अन्य सामाजिक वर्ग के परिवारों द्वारा किया जाता।
- ग्रामीण क्षेत्र में 61.4 प्रतिशत परिवारों द्वारा शौचालय का उपयोग एकमात्र परिवार हेतु किया गया, जबकि मात्र 3.8 प्रतिशत परिवारों द्वारा शौचालय सुविधा भवन में परिवारों का साझा उपयोग पाया गया। मात्र 0.1 प्रतिशत परिवारों द्वारा बिना कोई राशि अदा किये सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय का उपयोग किया गया।
- नगरीय क्षेत्र में 87.5 प्रतिशत परिवारों के द्वारा शौचालय सुविधा एकमात्र परिवार हेतु किया गया तथा 6.6 प्रतिशत परिवारों का शौचालय सुविधा का साझा उपयोग पाया गया। मात्र 0.5 प्रतिशत परिवारों द्वारा बिना किसी राशि अदा किये सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय का उपयोग किया गया।

III. आवासीय स्थिति

- ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 99.9 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में लगभग 86.5 प्रतिशत परिवारों के पास अपना आवास था।
- घरों में रहने वाले परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 98.1 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में लगभग 93.9 प्रतिशत परिवारों ने घर का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन/उद्देश्य के लिये किया था।
- घरों में रहने वाले परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 97.3 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र में लगभग 88.6 प्रतिशत परिवारों के पास स्वतंत्र आवास था।
- घरों में रहने वाले परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 81.0 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में लगभग 93.0 प्रतिशत परिवारों के पास पक्की संरचना का आवास था।
- घरों में रहने वाले परिवारों में आवासीय इकाई का औसत फर्शी क्षेत्रफल, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 59.8 वर्गमीटर तथा नगरीय क्षेत्र में लगभग 60.7 वर्गमीटर रहा।
- घरों में रहने वाले परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 79.6 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र में लगभग 97.5 प्रतिशत परिवारों के पास घरेलू उपयोग हेतु बिजली की सुविधा उपलब्ध थी।
- घरों में रहने वाले परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 57.5 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र के लगभग 92.8 प्रतिशत परिवारों ने एल.पी.जी को खाना बनाने के ईंधन के रूप में प्रयोग किया।
- घरों में रहने वाले परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 87.0 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में लगभग 98.3 प्रतिशत परिवारों के पास गंदा पानी/बेकार तरल पदार्थ के निपटान के लिये आवास में जल निकासी की व्यवस्था थी।
- घरों में रहने वाले परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 32.3 प्रतिशत परिवारों ने घरेलू बेकार जल का निपटान बिना किसी उपाय के खुली निचली भूमि क्षेत्रों/गलियों में किया। नगरीय क्षेत्र में लगभग 48.6 प्रतिशत परिवारों ने घरेलू बेकार जल का निपटान बिना किसी उपाय के निकासी व्यवस्था में किया गया।
- घरों में रहने वाले परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 78.7 प्रतिशत परिवारों ने घरेलू कूड़ा–कचरा का निपटान या तो 'परिवारों के अपने व्यक्तिगत कचरा स्थान' पर या 'सामुदायिक कचरा स्थान के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थान' पर किया। नगरीय क्षेत्र में लगभग 79.6 प्रतिशत परिवारों ने घरेलू

कूड़ा–कचरा का निपटान 'परिवारों के अपने व्यक्तिगत कचरा स्थान' पर या तो 'सामुदायिक कचरा स्थान' के अतिरिक्त सार्वजनिक स्थान' पर किया।

- घरों में रहने वाले परिवारों में, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 65.2 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में लगभग 19.7 प्रतिशत परिवारों के पास कूड़ा कचरा जमा करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं थी। नगरीय क्षेत्र में लगभग 69.6 प्रतिशत परिवारों के लिये पंचायत/नगरपालिका/नगर निगम ने घरेलू कूड़ा कचरा जमा करने के लिये व्यवस्था की।
- घरों में रहने वाले परिवारों में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 80.6 प्रतिशत एवं नगरीय क्षेत्र में लगभग 91.0 प्रतिशत परिवारों के पास सड़क/गली/निर्माण पथ पर सीधे सम्पर्क वाला घर था।
- घरों में रहने वाले परिवारों में आवासीय इकाई का औसत कुर्सी स्तर ग्रामीण में लगभग 0.36 मीटर तथा नगरीय क्षेत्र में लगभग 0.39 मीटर रहा।
- राज्य में 87.9 प्रतिशत ग्रामीण परिवार तथा 92.2 प्रतिशत नगरीय परिवार 'अच्छी' या 'सन्तोषजनक' अवस्था के घरों में रहते पाये गये।
- किराये के आवास में रहने वाले परिवारों द्वारा दिया गया औसत मासिक किराया ग्रामीण क्षेत्र में रू. 1228 तथा नगरीय क्षेत्र में रू. 2743 था।
- ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में क्रमशः 53.2 प्रतिशत तथा 57.7 प्रतिशत परिवारों द्वारा पिछले 365 दिनों में मच्छर/मक्खियों की 'गम्भीर' कठिनाई का सामना करना सूचित किया।
- ग्रामीण क्षेत्र के 31.5 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र के 35.5 प्रतिशत परिवारों द्वारा पिछले 365 दिनों के दौरान पेट की समस्या यथा–डायरिया/पेचिश/हैजा इत्यादि से अपने परिवार के किसी सदस्य के पीड़ित होने की सूचना दी गयी। ग्रामीण क्षेत्र में 24.7 प्रतिशत तथा नगरीय क्षेत्र में 32.0 प्रतिशत परिवारों द्वारा पिछले 365 दिनों के दौरान 'मलेरिया/डेंगू/चिकनगुनिया/इन्सेफलाइटिस' से पीडित होने की सूचना दी गयी।
- नगरीय क्षेत्र के परिवारों के लिये 3.1 प्रतिशत परिवार एक वर्ष से कम समय के लिये वर्तमान इलाके अर्थात् अधिसूचित मलिन बस्ती/गैर–अधिसूचित मलिन बस्ती/अवैध निवासियों की नई बस्ती/अन्य इलाके में निवास करते हुए अनुमानित हुए।
- नगरीय क्षेत्र के परिवारों हेतु सर्वाधिक 39.7 प्रतिशत परिवार किसी अन्य शहर के अन्य इलाके से वर्तमान इलाके में आये हुए अनुमानित हुए।
- नगरीय क्षेत्र के परिवारों के लिये 24.3 प्रतिशत परिवारों के विगत एक वर्ष के भीतर पिछले निवास स्थल को छोड़कर वर्तमान इलाके में आने का कारण ''निःशुल्क /कम किराया'' रहा।
- नगरीय क्षेत्र के परिवारों हेतु मलिन/अवैध बस्ती में निवास करने हेतु 36.5 प्रतिशत परिवार के मुखिया द्वारा 'राशन कार्ड' को दस्तावेज के रूप में उपलब्ध कराया गया।
- नगरीय क्षेत्र के परिवारों हेतु 84.2 प्रतिशत परिवारों को मलिन/अवैध बस्ती में कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ।
- नगरीय क्षेत्र हेतु 7.5 प्रतिशत परिवारों ने मलिन/अवैध बस्ती से बाहर जाने का प्रयास किया। इन परिवारों में से 59.6 प्रतिशत परिवारों ने मलिन/अवैध बस्ती से बाहर निकलने का कारण ''बेहतर रिहायशी आवास मिलना'' सूचित किया।

3.2.6 उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन (जुलाई–दिसम्बर 2018) रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष

I. जनसाँख्यिकीय विशेषताएँ

- राज्य में कुल 378.05 लाख परिवार पाये गये जिसमें से 294.43 लाख (77.88 प्रतिशत) परिवार ग्रामीण क्षेत्र में तथा 83.62 लाख (22.12 प्रतिशत) नगरीय क्षेत्र में पाये गये।
- राज्य में कुल 1915.52 लाख व्यक्ति पाये गये, जिसमें से 1509.25 लाख (78.79 प्रतिशत) व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में तथा 406.26 लाख (21.21 प्रतिशत) व्यक्ति नगरीय क्षेत्र में थे।

- राज्य में कुल 1040.89 लाख (54.39 प्रतिशत) पुरूष तथा 873.67 लाख (45.61 प्रतिशत) महिला अनुमानित हुई। ग्रामीण क्षेत्र में 823.76 लाख (54.62 प्रतिशत) पुरूष तथा 684.90 लाख (45.38 प्रतिशत) महिला अनुमानित हुई। नगरीय क्षेत्र में 217.14 लाख (54.53 प्रतिशत) पुरूष तथा 188.77 लाख (45.47 प्रतिशत) महिला अनुमानित हुई।
- राज्य में औसत परिवार आकार 5.1 पाया गया, जो ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में क्रमशः 5.1 तथा 4.9 अनुमानित हुआ।
- राज्य में प्रति 1000 पुरूषों पर महिलाओं की संख्या (लिंगानुपात) 839 अनुमानित हुई जो ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में क्रमशः 831 तथा 869 थी।

II. सामाजिक वर्गानुसार जनसाँख्यिकीय विशेषताएँ

- राज्य में अनुसूचित जन जाति वर्ग में 23.44 लाख (1.22 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 13.29 लाख (56.70 प्रतिशत) पुरूष तथा 10.15 लाख (43.30 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- अनुसूचित जाति वर्ग में 467.95 लाख (24.43 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 252.40 लाख (53.94 प्रतिशत) पुरूष तथा 215.27 लाख (46.00 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- अन्य पिछड़ा वर्ग में 998.12 लाख (52.11 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 542.70 लाख (54.37 प्रतिशत) पुरूष तथा 455.11 लाख (45.60 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- अन्य वर्ग में 426.01 लाख (22.24 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 232.51 लाख (54.58 प्रतिशत) पुरूष तथा 193.14 लाख (45.34 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।

III. धर्मानुसार जनसाँख्यिकीय विशेषताएँ

- राज्य में हिन्दू धर्म के अन्तर्गत 1545.92 लाख (80.71 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 845.44 लाख (54.69 प्रतिशत) पुरूष तथा 699.56 लाख (45.25 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- मुस्लिम धर्म के अन्तर्गत 345.56 लाख (18.04 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 182.65 लाख (52.86 प्रतिशत) पुरूष तथा 162.88 लाख (47.14 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- ईसाई धर्म के अन्तर्गत 6.93 लाख (0.36 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 3.25 लाख (46.86 प्रतिशत) पुरूष तथा 3.68 लाख (53.14 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- सिक्ख धर्म के अन्तर्गत 6.19 लाख (0.32 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 3.22 लाख (52.04 प्रतिशत) पुरूष तथा 2.97 (47.96 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।

IV. दिव्यांगजनों की स्थिति

- राज्य में कुल 378.05 लाख परिवारों के सापेक्ष मात्र 29.89 लाख (7.91 प्रतिशत) परिवारों में दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए। जिनमें 28.26 लाख (7.48 प्रतिशत) परिवारों में 'प्रति परिवार एक दिव्यांग व्यक्ति', 1.52 लाख (0.40 प्रतिशत) परिवारों में 'प्रति परिवार दो दिव्यांग व्यक्ति' तथा 0.11 लाख (0.03 प्रतिशत) परिवारों में 'प्रति परिवार तीन या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति' अनुमानित हुए।
- ग्रामीण क्षेत्र में कुल 294.43 लाख परिवारों के सापेक्ष मात्र 23.69 लाख (8.04 प्रतिशत) परिवारों में दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए। जिनमें 22.39 लाख (7.60 प्रतिशत) परिवारों में 'प्रति परिवार एक दिव्यांग व्यक्ति', 1.21 लाख (0.40 प्रतिशत) परिवारों में 'प्रति परिवार दो दिव्यांग व्यक्ति' तथा 0.11 लाख (0.03 प्रतिशत) परिवारों में 'प्रति परिवार तीन या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति' अनुमानित हुए।
- नगरीय क्षेत्र में कुल 83.62 लाख परिवारों के सापेक्ष मात्र 6.20 लाख (7.40 प्रतिशत) परिवारों में दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए। जिनमें 5.87 लाख (7.02 प्रतिशत) परिवारों में 'प्रति परिवार एक दिव्यांग व्यक्ति', 0.31 लाख (0.36 प्रतिशत) परिवारों में 'प्रति परिवार दो दिव्यांग व्यक्ति' तथा

0.02 लाख (0.02 प्रतिशत) परिवारों में 'प्रति परिवार तीन या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति' अनुमानित हुए।

- राज्य में किसी भी प्रकार की असमर्थता के कारण दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या 31.65 लाख (1.65 प्रतिशत) अनुमानित हुई जिसमें 20.11 लाख (1.93 प्रतिशत) पुरूष तथा 11.51 लाख (1.32 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असमर्थता के कारण दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या 25.10 लाख (1.66 प्रतिशत) अनुमानित हुई जिसमें 16.23 लाख (1.97 प्रतिशत) पुरूष तथा 8.86 लाख (1.29 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असमर्थता के कारण दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या 6.55 लाख (1.61 प्रतिशत) अनुमानित हुई जिसमें 3.89 लाख (1.79 प्रतिशत) पुरूष तथा 2.65 लाख (1.40 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- राज्य में बहुस्तरीय (एक से अधिक प्रकार) दिव्यांगता से ग्रसित 1.58 लाख (0.08 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 0.98 लाख (0.09 प्रतिशत) पुरूष तथा 0.60 लाख (0.07 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- ग्रामीण क्षेत्र में बहुस्तरीय (एक से अधिक प्रकार) दिव्यांगता से ग्रसित 1.26 लाख (0.08 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 0.77 लाख (0.09 प्रतिशत) पुरूष तथा 0.49 लाख (0.07 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- नगरीय क्षेत्र में दिव्यांग व्यक्तियों की संख्या 0.32 लाख (0.08 प्रतिशत) अनुमानित हुई जिसमें 0.21 लाख (0.10 प्रतिशत) पुरूष तथा 0.11 लाख (0.06 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।

V. दिव्यांगता के प्रकार अनुसार दिव्यांगता का प्रतिशत

- केवल लोकोमोटर से संबंधित असमर्थता के अन्तर्गत राज्य में 18.80 लाख (0.98 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 12.23 लाख (1.17 प्रतिशत) पुरूष तथा 6.56 लाख (0.75 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- केवल देखने से संबंधित असमर्थता के अन्तर्गत राज्य में 3.57 लाख (0.19 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 2.01 लाख (0.19 प्रतिशत) पुरूष तथा 1.56 लाख (0.18 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- केवल सुनने से संबंधित असमर्थता के अन्तर्गत राज्य में 1.45 लाख (0.08 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 0.87 लाख (0.08 प्रतिशत) पुरूष तथा 0.58 लाख (0.07 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- केवल बोलने से संबंधित असमर्थता के अन्तर्गत राज्य में 1.79 लाख (0.09 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 1.06 लाख (0.10 प्रतिशत) पुरूष तथा 0.73 लाख (0.08 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- केवल मंदबुद्धि/बौद्धिक असमर्थता के अन्तर्गत राज्य में 1.64 लाख (0.09 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 1.11 लाख (0.11 प्रतिशत) पुरूष तथा 0.53 लाख (0.06 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- केवल मानसिक बीमारी के अन्तर्गत राज्य में 1.57 लाख (0.08 प्रतिशत) व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें 1.06 लाख (0.10 प्रतिशत) पुरूष तथा 0.51 लाख (0.06 प्रतिशत) महिलाएं अनुमानित हुई।
- राज्य में किसी भी प्रकार की असमर्थता के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य सामाजिक वर्ग के क्रमशः 2.2, 1.7, 1.7 तथा 1.6 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए।

- ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असमर्थता के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य सामाजिक वर्ग के क्रमशः 1.5, 1.6, 1.7 तथा 1.7 प्रतिशत थी।
- नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असमर्थता के अन्तर्गत अनुसूचित जन जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य सामाजिक वर्ग के क्रमशः 5.2, 2.2, 1.6 तथा 1.3 प्रतिशत अनुमानित हुई।
- राज्य में कुल 1.7 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों मे 36.9 प्रतिशत व्यक्ति जन्म से दिव्यांग अनुमानित हुए। ग्रामीण क्षेत्र मे कुल दिव्यांग व्यक्तियों में 38.4 प्रतिशत जन्म से दिव्यांग व्यक्ति के सापेक्ष नगरीय क्षेत्र में कुल दिव्यांग व्यक्तियों में 31.0 प्रतिशत जन्म से दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए।
- राज्य में गत 365 दिनों में प्रति 1 लाख व्यक्तियों में 47 दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति 1 लाख व्यक्तियों में 42 दिव्यांग व्यक्तियों के सापेक्ष नगरीय क्षेत्र में 67 दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए।

VI. दिव्यांगजनों में साक्षरता की स्थिति

- राज्य में किसी भी प्रकार की असमर्थता के अन्तर्गत 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों में साक्षरता 53.5 प्रतिशत अनुमानित हुई पुरूषों तथा महिलाओं में यह प्रतिशतता क्रमशः 60.0 तथा 42.1 प्रतिशत अनुमानित हुई।
- कोई असमर्थता नहीं अर्थात सामान्य वर्ग के अन्तर्गत 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में साक्षरता 74.1 प्रतिशत अनुमानित हुई। पुरूषों तथा महिलाओं में यह प्रतिशतता क्रमशः 80.8 तथा 66.3 प्रतिशत अनुमानित हुई।

VII. विद्यालय में पंजीकरण की स्थिति के अनुसार दिव्यांगजन

- राज्य में विद्यालय में पंजीकरण की स्थिति के अनुसार 3 –35 वर्ष आयु वर्ग के किसी भी प्रकार की असमर्थता से ग्रसित 41.6 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति सामान्य विद्यालय में पंजीकृत अनुमानित हुए। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में यह प्रतिशत क्रमशः 40.9 तथा 44.1 प्रतिशत अनुमानित हुआ।
- राज्य में 3–35 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों में मुख्यतः 'दिव्यांग व्यक्तियों के विकलांग होने के कारण' 36.8 प्रतिशत, 'विद्यालय की जानकारी नहीं होने के कारण' 25.0 प्रतिशत विशेष विद्यालय में अपंजीकृत अनुमानित हुए।
- ग्रामीण क्षेत्र में 3–35 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों में मुख्यतः 'दिव्यांग व्यक्तियों के विकलांग होने के कारण' 36.5 प्रतिशत, 'विद्यालय की जानकारी नहीं होने के कारण' 25.7 प्रतिशत विशेष विद्यालय में अपंजीकृत अनुमानित हुए।
- नगरीय क्षेत्र में 3–35 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग व्यक्तियों में मुख्यतः 'दिव्यांग व्यक्तियों के विकलांग होने के कारण' 37.6 प्रतिशत, 'विद्यालय की जानकारी नहीं होने के कारण' 22.2 प्रतिशत विशेष विद्यालय में अपंजीकृत अनुमानित हुए।
- राज्य में 3–35 वर्ष आयु वर्ग के दिव्यांग व्यक्ति में 'विकलांग होने के कारण' 35.6 प्रतिशत, 'विद्यालय की दूरी होने के कारण' 10.5 प्रतिशत, 'विद्यालय के सन्दर्भ में अभिभावक की इच्छा का अभाव होने के कारण' 9.1 प्रतिशत, 'घर के आर्थिक क्रियाकलाप में कार्यो को करने के कारण' 6.9 प्रतिशत विशेष विद्यालय में गैर उपस्थित अनुमानित हुए।

VIII. एक से अधिक प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित दिव्यांगजनों की स्थिति

- लोकोमोटर से संबंधित असमर्थता के अन्तर्गत 5.6 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति चार या उससे अधिक प्रकार की दिव्यांगता, 15.7 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति तीन प्रकार की दिव्यांगता तथा 78.7 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति दो प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित अनुमानित हुए।

- देखने से संबंधित असमर्थता के अन्तर्गत 4.5 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति चार या उससे अधिक प्रकार की दिव्यांगता, 17.2 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति तीन प्रकार की दिव्यांगता तथा 78.2 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति दो प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित अनुमानित हुए।
- मंदबुद्धि/बौद्धिक असमर्थता के अन्तर्गत 15.3 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति चार या उससे अधिक प्रकार की दिव्यांगता, 24.0 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति तीन प्रकार की दिव्यांगता तथा 60.7 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति दो प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित अनुमानित हुए।

IX. जन्म से दिव्यांगजनों की स्थिति

- देखने से संबंधित असमर्थता से ग्रसित 25.6 प्रतिशत व्यक्ति, लोकोमोटर से संबंधित असमर्थता से ग्रसित 29.4 प्रतिशत व्यक्ति, सुनने से संबंधित असमर्थता से ग्रसित 40.6 प्रतिशत व्यक्ति, मानसिक बीमारी से संबंधित असमर्थता से ग्रसित 45.1 प्रतिशत व्यक्ति तथा अन्य प्रकार की असमर्थता से ग्रसित 18.0 प्रतिशत व्यक्ति जन्म से दिव्यांग अनुमानित हुए।

X. बीमारी के कारण दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों की स्थिति

- राज्य में लोकोमोटर में असमर्थता के अन्तर्गत बीमारी के कारण सर्वाधिक 53.7 प्रतिशत दिव्यांग अनुमानित हुए। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में यह क्रमशः 52.5 प्रतिशत तथा 57.8 प्रतिशत है।
- देखने में असमर्थता के अन्तर्गत बीमारी के कारण सर्वाधिक 50.8 प्रतिशत दिव्यांग अनुमानित हुए। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में यह क्रमशः 49.2 प्रतिशत तथा 48.0 प्रतिशत है।
- सुनने में असमर्थता के अन्तर्गत बीमारी के कारण सर्वाधिक 51.1 प्रतिशत दिव्यांग अनुमानित हुए। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में यह क्रमशः 50.2 प्रतिशत तथा 53.7 प्रतिशत है।
- बोलने में असमर्थता के अन्तर्गत बीमारी के कारण 37.6 प्रतिशत दिव्यांग अनुमानित हुए। ग्रामीण तथा नगरीय दोनों क्षेत्रों में यह क्रमशः 61.2 प्रतिशत तथा 49.8 प्रतिशत है।

XI. विभिन्न कारकों के अन्तर्गत दिव्यांगता की स्थिति

- लोकोमोटर में असमर्थ (Locomotor disability) दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों में सर्वाधिक 35.1 प्रतिशत सड़क पर, 33.7 प्रतिशत घर पर तथा 21.2 प्रतिशत कार्यस्थल पर जलने अथवा जलने के अतिरिक्त अन्य कारणों से उक्त दिव्यांगता के अन्तर्गत अनुमानित हुए।
- देखने में असमर्थ (Visual disability) दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों में सर्वाधिक 53.2 प्रतिशत घर पर, 18.1 प्रतिशत सड़क पर तथा 16.5 प्रतिशत कार्यस्थल पर जलने अथवा जलने के अतिरिक्त अन्य कारणों से उक्त दिव्यांगता के अन्तर्गत अनुमानित हुए।
- सुनने में असमर्थ (Hearing disability) दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों में सर्वाधिक 30.1 प्रतिशत घर पर, 27.3 प्रतिशत अन्य स्थान पर तथा 25.3 प्रतिशत कार्यस्थल पर जलने अथवा जलने के अतिरिक्त अन्य कारणों से उक्त दिव्यांगता के अन्तर्गत अनुमानित हुए।
- बोलने में असमर्थ (Speach and Language disability) दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों में सर्वाधिक 37.1 प्रतिशत अन्य स्थान पर, 33.8 प्रतिशत कार्यस्थल पर तथा 19.7 प्रतिशत सड़क पर जलने अथवा जलने के अतिरिक्त अन्य कारणों से उक्त दिव्यांगता के अन्तर्गत अनुमानित हुए।
- लोकोमोटर दिव्यांगता से ग्रसित सर्वाधिक 39.7 प्रतिशत व्यक्ति एक पैर से दिव्यांग अनुमानित हुए। इसी प्रकार दोनों पैर, एक हाथ, हाथ और पैर, शरीर का अन्य भाग तथा दोनों हाथ के अन्तर्गत क्रमशः 20.4, 16.3, 12.5, 7.8 तथा 3.3 प्रतिशत दिव्यांग अनुमानित हुए।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में लोकोमोटर दिव्यांगता से ग्रसित सर्वाधिक 39.4 प्रतिशत व्यक्ति एक पैर से दिव्यांग अनुमानित हुए। जबकि नगरीय क्षेत्र में उक्त प्रतिशत 40.9 अनुमानित हुआ।

- राज्य में लोकोमोटर दिव्यांगता से ग्रसित 62.1 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा डॉक्टर से परामर्श लेकर इलाज करा लिया गया। जबकि 5.8 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा अन्य माध्यम से इलाज करा लिया गया।
- राज्य में देखने से संबंधित दिव्यांगता से ग्रसित 64.5 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा डॉक्टर से परामर्श लेकर इलाज करा लिया गया। जबकि 4.7 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा अन्य माध्यम से इलाज करा लिया गया।
- सुनने से संबंधित दिव्यांगता से ग्रसित 61.1 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा डॉक्टर से परामर्श लेकर इलाज करा लिया गया। जबकि 6.3 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा अन्य माध्यम से इलाज लिया गया।
- बोलने से संबंधित दिव्यांगता से ग्रसित 58.5 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा डॉक्टर से परामर्श लेकर इलाज करा लिया गया। जबकि 8.1 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा अन्य माध्यम से इलाज लिया गया।
- मंदबुद्धि/बौद्धिक असमर्थता से ग्रसित 63.1 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा डॉक्टर से परामर्श लेकर इलाज करा लिया गया। जबकि 5.2 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा अन्य माध्यम से इलाज करा लिया गया।
- मानसिक बीमारी से ग्रसित 57.1 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा डॉक्टर से परामर्श लेकर इलाज करा लिया गया। जबकि 6.0 प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा अन्य माध्यम से इलाज करा लिया गया।

XII. सहायक उपकरणों/यंत्रों का उपयोग करने अनुसार 'दिव्यांगजनों की स्थिति'

- राज्य में लोकोमोटर से संबंधित असमर्थता से ग्रसित 33.7 प्रतिशत व्यक्तियों को इलाज के दौरान सहायक उपकरण/यंत्र के इस्तेमाल का परामर्श दिया गया, जिसमें से 14.0 प्रतिशत व्यक्तियों ने सहायक उपकरण/यंत्र के इस्तेमाल के लिए प्राप्त कर लिया।
- राज्य में देखने से संबंधित असमर्थता से ग्रसित 38.1 प्रतिशत व्यक्तियों को इलाज के दौरान सहायक उपकरण/यंत्र के इस्तेमाल का परामर्श दिया गया, जिसमें से 20.0 प्रतिशत व्यक्तियों ने सहायक उपकरण/यंत्र के इस्तेमाल के लिए प्राप्त कर लिया।
- राज्य में सुनने से संबंधित असमर्थता से ग्रसित 34.1 प्रतिशत व्यक्तियों को इलाज के दौरान सहायक उपकरण/यंत्र के इस्तेमाल का परामर्श दिया गया, जिसमें से 13.6 प्रतिशत व्यक्तियों ने सहायक उपकरण/यंत्र के इस्तेमाल के लिए प्राप्त कर लिया।
- राज्य में इलाज के दौरान सहायक उपकरण/यंत्र प्राप्त करने तथा उसके रोजाना इस्तेमाल करने वाले लोकोमोटर दिव्यांगता से ग्रसित 88.9 प्रतिशत व्यक्ति अनुमानित हुए। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में उक्त प्रतिशत क्रमशः 87.8 तथा 91.9 अनुमानित हुआ।
- लोकोमोटर दिव्यांगता से ग्रसित सर्वाधिक 21.6 प्रतिशत व्यक्ति 'बैसाखी' तथा न्यूनतम 1.4 प्रतिशत व्यक्ति 'रीढ़ की हड्डी को सहारा देने वाले ब्रेस' प्राप्त करने वाले अनुमानित हुए।
- राज्य में इलाज के दौरान सहायक उपकरण/यंत्र प्राप्त करने तथा उसके रोजाना इस्तेमाल करने वाले देखने से संबंधित असमर्थता से ग्रसित 87.9 प्रतिशत व्यक्ति अनुमानित हुए। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में उक्त प्रतिशत क्रमशः 89.0 तथा 83.8 अनुमानित हुआ।
- देखने से संबंधित असमर्थता से ग्रसित सर्वाधिक 60.5 प्रतिशत व्यक्ति 'उच्च पावर वाला चश्मा' तथा न्यूनतम 2.6 प्रतिशत व्यक्ति 'नियमित छड़ी' प्राप्त करने वाले अनुमानित हुए।
- राज्य में इलाज के दौरान सहायक उपकरण/यंत्र प्राप्त करने तथा उसके रोजाना इस्तेमाल करने वाले सुनने से संबंधित असमर्थता से ग्रसित 69.8 प्रतिशत व्यक्ति अनुमानित हुए। ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में उक्त प्रतिशत क्रमशः 72.1 तथा 63.4 अनुमानित हुआ।
- सुनने से संबंधित असमर्थता से ग्रसित 95.1 प्रतिशत व्यक्ति 'श्रवण यंत्र' तथा 4.9 प्रतिशत व्यक्ति 'अन्य' सहायक उपकरण/यंत्र प्राप्त करने वाले अनुमानित हुए।

XIII. दैनिक क्रियाकलाप हेतु सहायता लेने वाले दिव्यांगजनों की स्थिति

- राज्य में लोकोमोटर से संबंधित असमर्थता से ग्रसित 31.1 प्रतिशत व्यक्तियों ने दैनिक क्रियाकलाप के लिए 'सदैव' निजी सहायता ली तथा 40.0 प्रतिशत व्यक्तियों ने 'कभी–कभी' निजी सहायता ली जबकि 28.9 प्रतिशत व्यक्तियों को निजी सहायता की 'आवश्यकता नहीं' रही।
- देखने से संबंधित असमर्थता से ग्रसित 41.8 प्रतिशत व्यक्तियों ने दैनिक क्रियाकलाप के लिए 'सदैव' निजी सहायता ली तथा 40.4 प्रतिशत व्यक्तियों ने 'कभी–कभी' निजी सहायता ली जबकि 17.8 प्रतिशत व्यक्तियों को निजी सहायता की 'आवश्यकता नहीं' रही।
- मंदबुद्धि/बौद्धिक असमर्थता से ग्रसित 57.0 प्रतिशत व्यक्तियों ने दैनिक क्रियाकलाप के लिए 'सदैव' निजी सहायता ली तथा 32.2 प्रतिशत व्यक्तियों ने 'कभी–कभी' निजी सहायता ली जबकि 10.9 प्रतिशत व्यक्तियों को निजी सहायता की 'आवश्यकता नहीं' रही।
- मानसिक बीमारी से ग्रसित 39.5 प्रतिशत व्यक्तियों ने दैनिक क्रियाकलाप के लिए 'सदैव' निजी सहायता ली तथा 44.1 प्रतिशत व्यक्तियों ने 'कभी–कभी' निजी सहायता ली जबकि 16.4 प्रतिशत व्यक्तियों को निजी सहायता की 'आवश्यकता नहीं' रही।

XIV. परिवार के साथ या अन्य व्यक्तियों के साथ रहने की स्थिति अनुसार दिव्यांगजनों की स्थिति

- लोकोमोटर से संबंधित असमर्थता में सर्वाधिक 47.2 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति 'पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हुए' तथा 46.3 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति 'पत्नी के बगैर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ' रहते हुए अनुमानित पाये गये।
- देखने से संबंधित असमर्थता में सर्वाधिक 48.9 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति 'पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हुए' तथा 41.4 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति 'पत्नी के बगैर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ' रहते हुए अनुमानित पाये गये।
- सुनने से संबंधित असमर्थता में सर्वाधिक 54.4 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति 'पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हुए' तथा 38.4 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति 'पत्नी के बगैर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ' रहते हुए अनुमानित पाये गये।
- बोलने से संबंधित असमर्थता में सर्वाधिक 78.2 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति 'पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हुए' तथा 19.8 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति 'पत्नी के बगैर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ' रहते हुए अनुमानित पाये गये।
- मंदबुद्धि/बौद्धिक असमर्थता में सर्वाधिक 80.4 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति 'पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हुए' तथा 17.8 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति 'पत्नी के बगैर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ' रहते हुए अनुमानित पाये गये।
- मानसिक बीमारी में सर्वाधिक 67.2 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति 'पत्नी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते हुए' तथा 27.3 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति 'पत्नी के बगैर और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ' अनुमानित पाये गये।

XV. सरकार अथवा अन्य संस्थानों से सहायता प्राप्त करने वाले दिव्यांगजनों की स्थिति

- राज्य में किसी भी प्रकार की असमर्थता में सहायता प्राप्त करने वाले 13.3 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें सहायता प्राप्त करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सापेक्ष सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले 11.9 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति तथा सरकार के अतिरिक्त अन्य संगठन से सहायता प्राप्त करने वाले 1.4 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए।
- राज्य में लोकोमोटर असमर्थता में सहायता प्राप्त करने वाले 16.0 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें सहायता प्राप्त करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सापेक्ष सरकार से सहायता

प्राप्त करने वाले 14.4 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति तथा सरकार के अतिरिक्त अन्य संगठन से सहायता प्राप्त करने वाले 1.6 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए।

- राज्य में देखने की असमर्थता में सहायता प्राप्त करने वाले 12.7 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें सहायता प्राप्त करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सापेक्ष सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले 11.5 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति तथा सरकार के अतिरिक्त अन्य संगठन से सहायता प्राप्त करने वाले 1.2 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए।
- राज्य में सुनने की असमर्थता में सहायता प्राप्त करने वाले 11.9 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें सहायता प्राप्त करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सापेक्ष सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले 10.6 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति तथा सरकार के अतिरिक्त अन्य संगठन से सहायता प्राप्त करने वाले 1.3 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए।
- राज्य में बोलने की असमर्थता में सहायता प्राप्त करने वाले 11.9 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें सहायता प्राप्त करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सापेक्ष सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले 6.9 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति तथा सरकार के अतिरिक्त अन्य संगठन से सहायता प्राप्त करने वाले 0.8 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए।
- राज्य में मंदबुद्धि/बौद्धिक असमर्थता में सहायता प्राप्त करने वाले 11.9 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए जिसमें सहायता प्राप्त करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों के सापेक्ष सरकार से सहायता प्राप्त करने वाले 6.0 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति तथा सरकार के अतिरिक्त अन्य संगठन से सहायता प्राप्त करने वाले 0.4 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए।

XVI. सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने वाले दिव्यांगजनों की स्थिति

- राज्य में किसी भी प्रकार की असमर्थता में 47.1 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करने वाले अनुमानित हुए। सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग करने वाले दिव्यांग व्यक्तियों में से 69.4 प्रतिशत दिव्यागंता से ग्रसित व्यक्तियो को सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग में विभिन्न प्रकार की समस्या अनुमानित हुयी जिसमें से सर्वाधिक 29.2 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों को रैम्प, लिफ्ट व सीड़ियों की अनुपलब्धता वाली समस्या अनुमानित हुयी।
- लोकोमोटर से संबंधित असमर्थता में 51.9 प्रतिशत, देखने से संबंधित असमर्थता में 39.1 प्रतिशत, सुनने से संबंधित असमर्थता में 41.2 प्रतिशत, बोलने से संबंधित असमर्थता में 42.6 प्रतिशत व मंदबुद्धि/बौद्धिक असमर्थता में 25.3 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा सार्वजनिक परिवहन का उपयोग किया जाना अनुमानित हुआ।

XVII. दिव्यांगता प्रमाणपत्र धारक दिव्यांगजनों की स्थिति

- राज्य में किसी भी प्रकार की असमर्थता में 22.8 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांगता प्रमाणपत्र धारक अनुमानित हुए, इसी प्रकार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र में क्रमशः 22.9 तथा 22.3 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांगता प्रमाणपत्र धारक अनुमानित हुए।
- राज्य में लोकोमोटर से संबंधित असमर्थता में 28.2 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति, देखने से संबंधित असमर्थता में 18.1 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति, सुनने से संबंधित असमर्थता में 14.8 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति, बोलने से संबंधित असमर्थता में 19.5 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति व मंदबुद्धि/बौद्धिक असमर्थता में 13.6 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति दिव्यांगता प्रमाणपत्र धारक अनुमानित हुए।

XVIII. प्रायिक कार्यकलाप अनुसार दिव्यांगजनों की स्थिति

- राज्य में किसी भी प्रकार की असमर्थता के अन्तर्गत प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) की स्थिति के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों में सर्वाधिक 74.9 प्रतिशत

दिव्यांग व्यक्ति 'श्रमबल में नहीं' तथा शेष 25.1 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति 'श्रमबल में' अर्थात क्रियाशील अनुमानित हुए,

- ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असमर्थता के अन्तर्गत प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) की स्थिति के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों में सर्वाधिक 73.7 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति 'श्रमबल में नहीं' तथा शेष 26.3 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति 'श्रमबल में' अर्थात क्रियाशील अनुमानित हुए।
- नगरीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असमर्थता के अन्तर्गत प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) की स्थिति के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के दिव्यांग व्यक्तियों में सर्वाधिक 79.2 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति 'श्रमबल में नहीं' तथा शेष 20.8 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति 'श्रमबल में' अर्थात क्रियाशील अनुमानित हुए।
- राज्य में किसी भी प्रकार की असमर्थता के अन्तर्गत प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) की स्थिति के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के क्रियाशील दिव्यांग व्यक्तियों में 14.5 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति स्व–नियोजित कर्मचारी या नियोक्ता के रूप में, 1.6 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति परिवार के उद्यम में सहायता करने के लिए, 1.5 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति नियमित मजदूरी या वेतन पाने के लिए, 6.9 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति आकस्मिक श्रमिक के रूप में, 0.7 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति बेरोजगार के रूप में अनुमानित हुए।
- ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी प्रकार की असमर्थता के अन्तर्गत प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) की स्थिति के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के क्रियाशील दिव्यांग व्यक्तियों में 15.5 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति स्व–नियोजित कर्मचारी या नियोक्ता के रूप में, 1.8 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति परिवार के उद्यम में सहायता करने के लिए, 1.1 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति नियमित मजदूरी या वेतन पाने के लिए, 7.2 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति आकस्मिक श्रमिक के रूप में, 0.7 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति बेरोजगार के रूप में अनुमानित हुए।
- नगरीय क्षेत्र के किसी भी प्रकार की असमर्थता के अन्तर्गत प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) की स्थिति के अनुसार 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के क्रियाशील दिव्यांग व्यक्तियों में 10.8 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति स्व–नियोजित कर्मचारी या नियोक्ता के रूप में, 1.0 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति परिवार के उद्यम में सहायता करने के लिए, 2.7 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति नियमित मजदूरी या वेतन पाने के लिए, 5.7 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति आकस्मिक श्रमिक के रूप में, 0.5 प्रतिशत क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति बेरोजगार के रूप में अनुमानित हुए।
- राज्य में किसी भी प्रकार की असमर्थता के अन्तर्गत प्रायिक कार्यकलाप (मुख्य+गौण) में 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के सामान्यतया क्रियाशील दिव्यांग व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र (कृषि क्षेत्र) में मात्र 61.4 प्रतिशत, द्वितीय क्षेत्र के निर्माण क्षेत्र में 9.8 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति व निर्माण के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में 6.6 प्रतिशत और तृतीय क्षेत्र के सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक 22.2 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असमर्थता के अन्तर्गत 'वर्तमान में औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे' मात्र 0.2 प्रतिशत दिव्यांग व्यक्ति अनुमानित हुए। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में यह प्रतिशतता 0.3 अनुमानित हुयी।
- राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार की असमर्थता के अन्तर्गत व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिशत 1.9 अनुमानित हुआ। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र में यह प्रतिशत 2.6 अनुमानित हुआ।

******

अध्याय–4
डेटा बैंक अनुभाग

डेटा बैंक अनुभाग द्वारा केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी उपक्रमों तथा विभिन्न एजेंसियों से विकासोन्मुख द्वितीयक आँकड़े प्राप्त कर महत्वपूर्ण प्रकाशनों यथा–उ0प्र0 एक झलक, सांख्यिकीय डायरी, सांख्यिकीय सारांश, जिलेवार विकास संकेतक, अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े आदि प्रकाशित किये जाते हैं। यह सभी प्रकाशन प्रति वर्ष प्रकाशित किये जाते हैं। उक्त के अतिरिक्त प्रभाग के जनपदीय कार्यालयों द्वारा ग्रामवार आधारभूत आँकड़े संग्रहित किये जाते है। इसके अन्तर्गत सुविधाओं से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या सम्बन्धी सूचनायें एकत्रित की जाती हैं जो एक महत्वपूर्ण सूचना है। यह सूचना प्रत्येक ग्राम से सुविधा की दूरी के अनुसार एकत्रित कर विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर तैयार की जाती है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सांख्यिकीय पत्रिकाओं में उक्त आँकड़ों का उपयोग किया जाता है। जनपदीय सांख्यिकीय पत्रिकाओं के आधारभूत आँकड़ो पर प्रभाग स्तर पर अन्तर्जनपदीय आँकड़े (वार्षिक प्रकाशन) प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की जनपदवार/मण्डलवार/क्षेत्रवार/प्रदेश स्तर के आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं। समय–समय पर आवश्यकतानुसार तदर्थ प्रकाशन भी प्रकाशित किये जाते हैं। इस अनुभाग का मुख्य कार्य विकास सम्बन्धी द्वितीयक आँकड़ों का संग्रहण कर प्रकाशन के रूप में या सॉफ्ट्कापी में संरक्षित करना हैं। समय– समय पर शासन, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न एजेंसियों की माँग के अनुरूप उन्हें अपेक्षित आँकड़ें उपलब्ध कराये जाते हैं। प्रकाशित प्रकाशनों में सांख्यिकीय डायरी एवं उ0प्र0 एक झलक प्रदेश के विधानमण्डल में माननीय सदस्यों को वितरित किया जाता है।

सांख्यिकीय कार्यो में समन्वय हेतु प्रदेश स्तर पर उ0प्र0 सॉंख्यिकीय समन्वय समिति का गठन किया गया है जिसके अन्तर्गत 10 उपसमितियाँ हैं। इन उपसमितियों में राज्य सरकार के विभिन्न विभाग सदस्य हैं। इन उपसमितियों का मुख्य कार्य सम्बन्धित विभागों से सांख्यिकीय आँकड़ें प्राप्त कर उनकी विभिन्न बैठकों में आम सहमति से पारित किया जाना है ताकि सभी स्तर पर आँकड़ों में भिन्नता न रहने पाये और सांख्यिकीय कार्यो में समन्वय बना रहे।

4.1 अनुभाग द्वारा तैयार किये जाने वाले मुख्य प्रकाशनों का संक्षिप्त विवरण

4.1.1 सांख्यिकीय डायरी, उत्तरप्रदेश

सांख्यिकीय डायरी उत्तर प्रदेश सरकार की आर्थिक, सामाजिक एवं विकास की महत्वपूर्ण उपलब्धियों से सम्बन्धित आँकड़ों का वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1968 से प्रति वर्ष सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश का प्रकाशन किया जा रहा है । उक्त प्रकाशन में विभिन्न प्रमुख आँकड़ों को 24 अध्यायों के अन्तर्गत 148 तालिकाओं में प्रकाशित किया जाता है। उपयोगकर्ताओं की सुविधा हेतु इस प्रकाशन में 12 ग्राफ/चार्ट् सभी दिये जाते हैं। इस प्रकाशन में अधुनान्त दो वर्षो के साथ ही तुलनात्मक अध्ययन के दृष्टिकोण से विगत पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष तथा वार्षिक योजना की भी सूचनाऐं प्रकाशित की जाती हैं।

सांख्यिकीय डायरी का प्रकाशन हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अलग–अलग किया जाता है।

4.1.2 उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में)

यह प्रकाशन वर्ष 1991 से नियमित किया जा रहा है। इससे पूर्व इस प्रकाशन को फोल्डर के रूप में प्रकाशित किया जाता था। प्रदेश में विकास के महत्वपूर्ण मदों को एक दृष्टि में प्रदर्शित करने के लिये इसका प्रकाशन किया जाता है। यह प्रकाशन दो खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में उ0प्र0 के महत्वपूर्ण मदों के तीन वर्षों के आँकड़े होते हैं तथा द्वितीय खण्ड में भारत सरकार एवं उ0प्र0 के तुलनात्मक संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रथम खण्ड में 15 विभागों/सेक्टरों की सूचनाएं तथा

द्वितीय खण्ड में 47 मदों के संकेतांक सम्मिलित हैं। उ0प्र0 एक झलक (आँकड़ों में) का अंग्रेजी भाषा में रूपान्तर वर्ष 2009 से प्रारम्भ किया गया है।

4.1.3 जिलेवार विकास संकेतक, उत्तर प्रदेश

''उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक'' नामक प्रकाशन वर्ष 1978 से प्रति वर्ष प्रकाशित हो रहा है। इस प्रकाशन से अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं का बोध होता है। वर्ष 2008 से इस प्रकाशन का नाम बदलकर ''जिलेवार विकास संकेतक उत्तर प्रदेश'' करते हुए प्रकाशन को द्विभाषी कर दिया गया है। तुलनात्मक अध्ययन की सुविधा हेतु इस प्रकाशन में उपलब्ध अधुनान्त संकेतकों के साथ ही आधार वर्ष के भी संकेतक दिये गये हैं। इस प्रकाशन को दो भागों में विभक्त किया गया है। इसके प्रथम भाग में कुल 125 संकेतकों को सम्मिलित किया गया है, जो मुख्यतया जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, अवस्थापना सुविधाओं, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, उद्योग, बैंकिंग, वित्त तथा सहकारिता, रोजगार एवं मानवशक्ति तथा आय पर आधारित हैं। इसके द्वितीय भाग में प्रथम भाग के मदों पर ही आधारित 46 महत्वपूर्ण मदों के संकेतकों पर आधारित उच्चतम एवं निम्नतम मान वाले पाँच–पाँच जनपदों को चिन्हित करते हुए उनके विकास संकेतकों को प्रकाशित किया जाता है, जो जनपदों एवं सम्भागों की अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं एवं उनमें विकास के स्तर को पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है।

4.1.4 सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश

''सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश'' नामक प्रकाशन वर्ष 1961 से प्रकाशित किया जा रहा है। यह एक द्विभाषी वार्षिक प्रकाशन है। वर्ष 1986 से इसे केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रारूप पर आधारित, संशोधित कर प्रकाशित किया जा रहा है। तुलनात्मक अध्ययन हेतु इस प्रकाशन की अधिकांश तालिकाओं में विगत वर्षों की राज्यस्तरीय सूचनाओं के साथ ही उपलब्ध अधुनान्त वर्ष की जनपदवार सूचनाएं दी जाती हैं। इस प्रकाशन में तीन खण्डों सामाजिक सॉंख्यिकी, आर्थिक सॉंख्यिकी एवं अन्य सॉंख्यिकी के अन्तर्गत कुल 35 अध्याय दिये जाते हैं। इसमें समाजार्थिक क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं यथा क्षेत्रफल, जनसंख्या, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, राज्य आय, कृषि, पशुपालन, परिवहन, पर्यटन, श्रम एवं रोजगार, वित्त तथा सार्वजनिक प्रशासन एवं निर्वाचन आदि सम्बन्धी आँकड़ों का समावेश किया जाता है।

4.1.5 अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े

अन्तर्राज्यीय विषमताओं का बोध कराने के उद्‌देश्य से ''अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े'' नामक द्विभाषी वार्षिक प्रकाशन तैयार किया जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1976 से प्रारम्भ किया गया। यह प्रकाशन दो भागों में विभक्त है। इसके प्रथम भाग में भारत के 29 प्रमुख व 7 केन्द्रशासित राज्यों के आँकड़ों के साथ–साथ राष्ट्रीय स्तर के भी आँकड़ों का समावेश किया गया है, जिनसे प्रमुख राज्यों एवं राष्ट्रीय औसत से प्रदेश के विकास का पारस्परिक तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है। इसके द्वितीय भाग में महत्वपूर्ण समाजार्थिक संकेतक दिये गये हैं।

इस प्रकाशन हेतु अपेक्षित आँकड़े भारत सरकार के सम्बन्धित विभिन्न विभागों, भारतीय रिज़र्व बैंक, राज्यों के सॉंख्यिकीय ब्यूरो तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं।

4.1.6 अन्तर्जनपदीय आँकड़े

प्रदेश के ग्रामों में उपलब्ध आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाओं एवं उनकी ग्रामों से दूरी के आँकड़े जो प्रतिवर्ष जनपदीय सॉंख्यिकीय पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं, उन्ही सूचनाओं के आधार पर प्रभाग द्वारा वर्ष 1996 से इस प्रकाशन को द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किया जाता था। वर्ष 2015 से यह प्रकाशन प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाने लगा है तथा इसी वर्ष से इसमें भाग–2 सम्मिलित किया गया है जिसमें सम्भागवार रैंकिग प्रदर्शित की गयी है।

4.1.7 जनपद एवं मण्डल की साँख्यिकीय पत्रिका

यह प्रकाशन जनपद स्तर पर वर्ष 1976 एवं मण्डल स्तर पर वर्ष 1980 से प्रारम्भ किये गये। इस प्रकाशन में सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न पहलुओं के आँकड़ें प्रकाशित किये जाते हैं यथा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या, कृषि, पशुगणना तथा कृषि गणना, पशुपालन तथा मत्स्य, सहकारिता, उद्योग, सामान्य शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विद्युत, परिवहन एवं संचार, संस्थागत वित्त, जल सम्पूर्ति, पेयजल, भाव तथा अन्य विविध विषयों के आँकड़ें एवं संकेतक प्रकाशित किये जाते हैं। प्रारम्भ में यह प्रकाशन मैन्युअली प्रकाशित किये जाते थे। वर्ष 1995 से यह पत्रिका वेब बेस्ड कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित की जा रही है। इस प्रकार 1995 से 2019 तक की सांख्यिकीय पत्रिकायें प्रभाग की वेबसाइट updes.up.nic.in इण्टरनेट पर उपलब्ध है।

4.1.8 जनपद एवं मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा

मण्डल एवं जिला समाजार्थिक समीक्षा का प्रकाशन वर्ष 1980 से वर्षानुवर्ष तैयार करना प्रारम्भ किया गया है। इन प्रकाशनों में कुल 17 अध्याय निर्धारित हैं और प्रत्येक अध्याय के अर्न्तगत मदों का भी निर्धारण किया गया है। इस प्रकाशन में जनपद की अर्थव्यवस्था की विस्तृत विवेचना के साथ ही प्रमुख विषयों यथा कृषि, सिंचाई, उद्योग, परिवहन, संचार, शिक्षा, पर्यटन का तथ्यात्मक एवं समीक्षात्मक विश्लेषण किया गया है। इन प्रकाशनों में प्रमुख विषयों को ग्राफ/चार्ट द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है।

4.1.9 विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका

विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 2003–04 से प्रारम्भ किया गया है। यह प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इसमें चार अध्यायों के अर्न्तगत प्रथम अध्याय में विकास खण्ड एक दृष्टि में, द्वितीय अध्याय में महत्वपूर्ण विकास खण्ड संकेतक, तृतीय अध्याय में विकास खण्ड का आर्थिक कार्यकलाप तथा चतुर्थ अध्याय में राजस्व ग्राम एक दृष्टि में से सम्बन्धित आँकड़े प्रकाशित किये जाते हैं।

4.1.10 विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा

विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा का भी प्रकाशन वर्ष 2003–04 से कराया जा रहा है। यह प्रकाशन भी प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। इस प्रकाशन में भी 16 अध्याय है। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर के सामाजिक एवं आर्थिक कार्यकलापों पर प्रकाश डाला जाता है। अर्थव्यवस्था की विस्तृत विवेचना करने एवं साथ ही प्रमुख विषयों, जनसंख्या आर्थिक स्थिति, कृषि, सिंचाईं, पशुपालन, मत्स्य पालन विद्युत एवं खनिज, वित्तीय संस्थायें, सड़क परिवहन एवं संचार, शिक्षा, सामाजिक सेवाये, स्वस्थ, पेयजल, पर्यटन एवं नियोजन के बारे में अधुनान्त सूचनायें दी जाती हैं। इस प्रकाशन में विकास खण्ड स्तर की प्रगति के बारे में पूर्ण जानकारी रहती है।

4.1.11 ग्रामवार आधारभूत आँकड़ों का संग्रहण

ग्राम स्तर पर विकास योजना संरचना हेतु उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं सम्बन्धी आँकड़े नितान्त आवश्यक है। इसी दृष्टि से वर्ष 1973 से प्रदेश के समस्त आबाद ग्रामों में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं तथा उस ग्राम के महत्वपूर्ण आँकड़ों के संग्रहण एवं संकलन का कार्य विकास खण्डों में अर्थ एवं संख्या प्रभाग के तैनात सहायक विकास अधिकारी (साँ.) के पर्यवेक्षण में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा प्रारम्भ किया गया। इनके संग्रहण हेतु रूप पत्र निर्धारित है जिसके खण्ड–1, में परिचयात्मक विवरण तथा खण्ड–2 से 15 तक में जनगणना सम्बन्धी सूचनायें, पशुगणना, कृषि गणना, शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल सुविधा, यातायात एवं संचार, विविध अवस्थापना सुविधा, विपणन भण्डार गृह, ऋण सुविधायें, पारिवारिक उद्योग, व्यवसाय, कृषि साँख्यिकी तथा मुख्य फसलों के अर्न्तगत क्षेत्रफल सम्मिलित है। ग्राम स्तरीय आँकड़े प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार संग्रह किये जाते हैं। इन आँकड़ों के आधार पर जिला साँख्यिकीय पत्रिका की तालिका–64, सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या तैयार की जाती हैं।

4.1.12 उ0प्र0 सांख्यिकीय समन्वय समिति

उ0प्र0 सरकार के शासनादेश सं0 2/39 (3)–नियोजन विभाग (क) दिनांकः लखनऊ 8, अगस्त, 1969 द्वारा उ0प्र0 सांख्यिकीय समन्वय समिति का गठन किया गया है। शासनादेश के अनुसार इस समिति के अधीन विभिन्न विषयों पर 10 उपसमितियों का गठन किया गया है। समिति के संयोजक आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक तथा सदस्य विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्षों या उनके द्वारा मनोनीत सदस्य होते हैं।

10 उपसमितियाँ निम्न हैः–

1–भूमि उपयोगिता, कृषि एवं वन
2–उद्योग, खनिज एवं श्रम व रोजगार
3–सड़क एवं परिवहन
4–चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण
5–पशुपालन एवं मत्स्य
6–सिंचाई, लघु सिंचाई एवं विद्युत
7–बैकिंग, ज्वाइंट स्टॉक कम्पनी एवं सहकारिता
8–शिक्षा एवं प्रावैधिक शिक्षा
9–सांख्यिकीय डायरी
10–क्षेत्रफल, जनसंख्या, राज्य आय एवं आर्थिक सूचकांक

उक्त बिन्दुवार 10 उपसमितियों में से क्रम संख्या 1–9 तक डेटा बैंक अनुभाग द्वारा बैठक आहूत की जाती है तथा बिन्दु 10 से सम्बन्धित बैठक राज्य आय अनुभाग द्वारा आहूत की जातीी है।

4.2. वर्ष 2020–21 में सम्पादित कार्य–

4.2.1 प्रभाग स्तर पर तैयार प्रकाशन

1– उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में), 2020 (हिन्दी तथा अंग्रेजी)
2– साँख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, 2020 (हिन्दी तथा अंग्रेजी)
3– जिलेवार विकास संकेतक, उत्तर प्रदेश, 2020
4– साँख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश, 2020
5– अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़ें 2019

4.2.2 मण्डल/जनपद/ विकास खण्ड स्तर पर प्रकाशित प्रकाशन ।

1–मण्डलीय साँख्यिकीय पत्रिका, 2020
2–मण्डलीय समाजार्थिक समीक्षा, 2020
3–जनपदीय साँख्यिकीय पत्रिका, 2020
4–जनपदीय समाजार्थिक समीक्षा, 2020
5–विकास खण्ड की साँख्यिकीय पत्रिका, 2020
6–विकास खण्ड की समाजार्थिक समीक्षा, 2020

4.3 ग्राम्य विकास आँकड़ा

4.3.1 पृष्ठभूमि

स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के ग्रामीण अचंल के विकास हेतु विभिन्न पंचवर्षीय योजना अवधियों में विभिन्न कार्यक्रम यथा–अवस्थापना सम्बन्धी, रोजगार परक एवं कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु इनकी मासिक, त्रैमासिक एवं वार्षिक समीक्षा करना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत प्रभाग स्तर पर

"सामुदायिक विकास अनुभाग" गठित किया गया जिसे बाद में ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग कर दिया गया।

आयुक्त एवं सचिव, कृषि उत्पादन एवं ग्राम्य विकास के पत्र संख्या 7137/38–2–335/79 दिनांक 25.9.1981 एवं पत्र संख्या–80/प्र0बो0–23/92 दिनांक 13–3–2000 में दिये गये निर्देशों के क्रम में प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में संचालित विकास कार्यों की मासिक/त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन अनुभाग द्वारा तैयार की जाती थी। वर्तमान में ग्राम्य विकास कार्यों की मासिक प्रतिवेदन में नई योजनाओं का समावेश करते हुए पुरानी बन्द हो चुकी योजनाओं को हटा दिया गया है तथा उपरोक्तानुसार ही नये डेटा इन्ट्री सॉफ्ट्वेयर पर ग्राम्य विकास कार्यों की मासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार की जा रही है ।

कृषि विभाग

1. भूमि संरक्षण
2. मृदा परीक्षण
3. गुणात्मक बीज वितरण
4. रासायनिक उर्वरक वितरण
5. जैव उर्वरक वितरण
6. सूक्ष्म पोषक तत्व
7. कृषि प्रदर्शन
8. कृषि रक्षा कार्यक्रम–रसायन वितरण
9. कृषि यंत्र वितरण
10. सोलर फोटो बोल्टाइक पम्प
11. स्प्रिंकलर सेट वितरण
12. फसली ऋण वितरण
13. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना

एकीकृत वाटर शेड मैनेजमेंन्ट प्रोग्राम (आई0डब्लू0 एम0पी0)

1. भूमि संरक्षण

वन

1. वृक्षारोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत रोपित कुल पौधे
2. अग्रिम मृदा कार्य (एडवांस स्वायल वर्क)
3. नर्सरी में पौध उत्पादन
4. सृजित रोजगार

उद्यान एवं फल उपयोग

1. पौधों का वितरण
2. आलू के उत्तम बीज का वितरण
3. सब्जी बीज वितरण
4. खाद्य प्रसंस्करण
5. मौन पालन
6. ग्रीन हाऊस निर्माण

पशुपालन

1. कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों पर कृत्रिम रूप से गर्भित किये गये पशु (गाय/भैंस)
2. नैसर्गिक अभिजनन केन्द्रों पर उन्नतिशील साड़ों से गर्भित किये गये पशु गाय/भैंस
3. रोगों की रोकथाम के लिए पशुओं/पक्षियों को लगाये गये टीके
4. रोगी पशुओं की चिकित्सा

दुग्ध विकास

1. आपरेशन फ्लड–2 योजना
2. नान आपरेशन फ्लड योजना
3. महिला डेरी परियोजना

मत्स्य

1. अंगुलिकाओं का विभागीय जलाशयों में संचय
2. अंगुलिकाओं का निजी मत्स्य पालकों एवं ग्राम पंचायतों को वितरण
3. ग्राम पंचायत के तालाबों को किये गये पट्‌टे
4. तालाबों का सुधार
5. विभागीय जलाशयों में मछली उत्पादन

निजी लघु सिंचाई

1. व्यक्तिगत कार्य
2. बोंरिग

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा

1. भवन निर्माण
2. खडंजा निर्माण/इन्टरलाकिंग
3. पुलिया निर्माण
4. पक्का (लेपन स्तर तक) मार्ग निर्माण
5. सी.सी. रोड का निर्माण

ग्रामीण एवं लघु उद्योग

1. नई लघु औद्योगिक इकाइयों की स्थापना
2. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
3. अन्य योजना

खादी एवं ग्रामोद्योग

1. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार योजना
2. अन्य योजना

वस्त्रोद्योग (हथकरघा)

1. स्थापित नई इकाइयाँ
2. रोजगार सृजन

रेशम उद्योग

1. शहतूत/अर्जुन नर्सरी स्थापना
2. कुल पालित कीटाण्ड
3. कुल कोया उत्पादन
4. उत्पादित रेशम धागा की मात्रा
5. कीट पालकों की संख्या
6. कीट पालकों को वितरित ऋण

सहकारिता

1. सदस्यता में वृद्धि
2. अंशदान में वृद्धि
3. निक्षेप संचय
4. अल्प कालीन ऋण वितरण
5. मध्यकालीन ऋण वितरण
6. दीर्घकालीन ऋण वितरण
7. सरकारी देयों की वसूली (अल्प कालीन व मध्य कालीन)
8. दीर्घ कालीन ऋण वसूली
9. निष्क्रिय समितियों को सक्रिय करना

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

1. प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उपचारित रोगी
2. प्रतिरक्षित बच्चों की संख्या
3. नसबन्दी
4. कुल संस्थागत प्रसव
5. जननी सुरक्षा योजना के लाभान्वित लाभार्थियों की संख्या
6 ड्राप बैंक सुविधा प्राप्त लाभार्थी ।
7. एम0सी0टी0एस0 पोर्टल के अनुशार वर्ष में जन्में बच्चों की संख्या (जिनका पूर्ण टीकाकरण किया गया)

शिक्षा

1. उच्च प्राथर्मिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण
2. विद्यालयों का विद्युतीकरण
3. मिड–डे मिल अन्तर्गत लाभान्वित छात्र/छात्रायें
4. पुस्तक वितरण किये गये छात्र/छात्रायें
5. ड्रेस वितरण किये गये छात्र/छात्रायें

पंचायत एवं ग्रामीण स्वच्छता

1. पंचायत उद्योग
2. पंचायत कर वसूली
3. पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्य
4. पंचायतों द्वारा सम्पन्न कार्यों पर कुल व्यय
5. शौचालयों का निर्माण
6. इण्डिया मार्क–2 हैण्ड पम्प की स्थापना
7. जल निगम द्वारा रिबोर किये गये हैण्ड पम्प
8. पाइप लाइन द्वारा लाभान्वित ग्राम
9. नई पाइप लाइन योजनाओं का निर्माण
10. गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों का संतृप्तीकरण

समाज कल्याण

1. स्वतः रोजगार योजना
2. अनुगम द्वारा संचालित निःशुल्क बोंरिग
3. अनुगम द्वारा संचालित दुकान निर्माण
4 परिवारिक लाभ योजना
5. छात्रवृत्ति
6. पेंशन (लाभार्थी संख्या)

7. पेंशन, वितरण (धनराशि)

बाल विकास एवं पुष्टाहार
1. समन्वित बाल विकास परियोजना (लाभान्वित व्यक्ति)
2. आंगनवाड़ी केंन्द्रों का निर्माण

वैकल्पिक ऊर्जा
1. बायोगैस संयंत्र की स्थापना
2. सोलर लालटेन वितरण
3. सोलर कुकर वितरण
4. सोलर घरेलू बत्ती
5. सोलर पावर प्लांट
6. सोलर वाटर हीटर
7. सोलर स्ट्रीट लाईट की स्थापना

ग्राम्य विकास
1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एन0आर0एल0एम0)
2. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना (मनरेगा)
3 ग्रामीण आवास योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना)
4. अन्य ग्रामीण आवास

प्रादेशिक विकास दल
1. ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता
2. ग्रामीण व्यायामशालाओं की स्थापना
3. युवक/महिला मंगलदलों को प्रोत्साहन
4. सेमिनार/संगोष्ठी का आयोजन

अल्प बचत
1. शुद्ध जमा धनराशि

4.3.2 प्रतिवेदन सम्प्रेषण समय सारिणी

कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव के पत्र संख्या 80/प्र0बो0–23/92 (अर्थ एवं संख्या) दिनांक 13.03.2000 द्वारा उक्त का सम्प्रेषण सुनिश्चित कराने हेतु निम्न समय सारणी बनायी गयी, जिसके अनुसार वर्तमान में कार्य हो रहा है।

1–	ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों (बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं) द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना।	सम्बन्धित मास का अन्तिम कार्य दिवस
2–	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा मुख्य विकास अधिकारी व जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 5 तारीख तक
3–	मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद का मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 10 तारीख तक
4–	आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिवेदन कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रमुख सचिव नियोजन विभाग तथा विकास विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 20 तारीख तक
5–	विकास विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त को आख्या	अगले मास की 30 तारीख तक

4.3.3 निरीक्षण / परिनिरीक्षण

प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा विकास खण्डों का निरीक्षण एवं ग्रामों में जाकर कार्यक्रमों की प्रगति ज्ञात करने हेतु स्थलीय सत्यापन किया जाता है। आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या 96 / प्र0बो0–30 / 81 दिनांक 17.01.1985 द्वारा ग्राम्य विकास कार्यों के निरीक्षण हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया था कि निरीक्षण प्रतिवेदन के प्रथम भाग में विकास खण्ड में संचालित विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा तथा द्वितीय भाग में सहायक विकास अधिकारी (सा.) द्वारा रखे जाने वाले साँख्यिकीय अभिलेखों के निरीक्षण तथा तृतीय भाग में ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता द्वारा रखे जाने वाले अभिलेखों के निरीक्षण तथा ग्राम में हुये विकास कार्यों के स्थलीय सत्यापन का विस्तृत विवरण अंकित किया जाये।

क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षणों के मानक निर्धारित करने हेतु आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के अर्द्धशा0 पत्र 182 / प्र0बो0–31 / 92 दिनांक 09.08.2000 के अनुसार 6 से अधिक विकास खण्डों वाले जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रत्येक माह कम से कम दो विकास खण्डों के निरीक्षण तथा 6 विकास खण्डों तक के जनपदों में तैनात प्रत्येक अधिकारी के लिए प्रति माह कम से कम एक विकास खण्ड के निरीक्षण (प्रत्येक विकास खण्ड के वर्ष में कम से कम दो निरीक्षण) निर्धारित है । इसी प्रकार मण्डलीय उप निदेशक हेतु प्रति माह 3 निरीक्षण का नार्म निर्धारित किया गया है एवं निरीक्षणोपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन, निरीक्षण तिथि से 15 दिन के अन्दर मुख्यालय को प्रेषित किया जाना है।

उक्तानुसार प्रभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों यथा सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय), अर्थ एवं संख्याधिकारी, उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या) द्वारा ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विकास कार्यों की स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाती है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार अपूर्ण / फर्जी रिपोर्टिंग करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने एवं अपूर्ण / फर्जी कार्यों को पूर्ण कराने हेतु कार्यक्रमों से सम्बन्धित विभागाध्यक्षों से पत्र व्यवहार तथा इसकी सूचना समीक्षा हेतु शासन को उपलब्ध करायी जाती है। इन समस्त निरीक्षण प्रतिवेदनों की समीक्षा ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग द्वारा की जाती है एवं समीक्षोपरान्त इनके निरीक्षणों का श्रेणीबद्ध भीं किया जाता है।

4.4 वर्ष 2020–21 में ग्राम्य विकास आँकड़ा अनुभाग में सम्पादित कार्य

4.4.1 क्षेत्रीय अधिकारियों के निरीक्षण– वर्ष 2020–21 के मध्य विभिन्न मण्डलों से उपनिदेशकों एवं अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा प्रभाग द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप सामुदायिक विकास कार्यों के निरीक्षण किये गये। जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा 6 से अधिक विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रति माह 2 निरीक्षण, 6 विकास खण्ड तक के जनपदों शामली, रामपुर, अमरोहा, बागपत, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्व नगर, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट, श्रावस्ती, तथा सन्तरविदास नगर में प्रति माह 1 निरीक्षण और प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाइयों का स्थलीय सत्यापन किया जाता है। इसी प्रकार उपनिदेशक द्वारा मण्डल के विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह 3 निरीक्षण एवं प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाईयो का स्थलीय सत्यापन किया जाता है ।

4.4.2 ग्राम्य विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन–ग्राम्य विकास कार्यों की मासिक प्रगति रिपोर्ट नए साँफ्ट्वेयर पर जनपदों के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा निर्धारित रूपपत्र पर नियमित रूप से वर्ष 2020–21 में प्रत्येक माह मण्डलीय उपनिदेशको को प्रेषित की गयी तथा उनके द्वारा मण्डल की संकलित रिपोर्ट प्रभाग मुख्यालय को प्रेषित करायी गयी।

4.4.3 ग्राम्य विकास कार्यो का स्थलीय सत्यापन–

ग्राम्य विकास कार्यो के निरीक्षणों की संख्या के आधार पर प्रति निरीक्षण कम से कम 25 इकाईयों का स्थलीय सत्यापन किये जाने का नार्म निर्धारित है। वर्ष 2021 में किए गये स्थलीय सत्यापन की स्थिति का विवरण निम्नानुसार है–

मण्डलीय उपनिदेशक अर्थ एवं संख्या/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी/ सहायक विकास अधिकारी (सॉ0) द्वारा किये गये स्थलीय सत्यापनों की संख्या–2020–21

क0सं0	वर्ष 2020–21 में निरीक्षणो की कुल संख्या	ग्राम्य स्तरीय कार्यकर्ता की रिर्पोट के अनुसार इकाई संख्या	पूर्ण	अपूर्ण	फर्जी
1	2	3	4	5	6
1	1588	58098	58023	75 (निर्माणाधीन)	–

वर्ष 2020–21 में क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा ग्राम्य विकास कार्यो के किये गये कुल निरीक्षणों की संख्या निम्नलिखित है :–

क0स0	अधिकारी का पदनाम	वर्ष 2020–21 में किये गये निरीक्षणों की संख्या	
		लक्ष्य	पूर्ति
1–	उपनिदेशक	435	259
2–	अर्थ एवं संख्याधिकारी	1946	1112
3–	सहायक विकास अधिकारी (सां0)	528	217

1–अलीगढ़ मण्डल में उपनिदेशक का पद स्वीकृत नहीं है ।
2–उक्त रिपोर्ट वर्तमान में जनपद/मण्डलीय अधिकारियों के भरे पदों के सापेक्ष तैयार की गयी है।
3–कोविड–19 के कारण माह अप्रैल 2020, मई 2020 एवं जून 2020 का मासिक लक्ष्य शून्य निर्धारित किया गया है।

******

अध्याय–5
भाव अनुभाग

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के भावों से सम्बन्धित आँकड़ों के एकत्रीकरण, परिनिरीक्षण, संग्रहण तथा भाव सम्बन्धी सांख्यिकी एवं नियमित सूचकांकों को तैयार करने और उनके रखरखाव का कार्य प्रभाग के भाव अनुभाग द्वारा किया जाता है।

भाव अनुभाग के कार्यों को समान्यतया दो भागों में बाँटा जा सकता है।

1. **भाव व मजदूरी दरों के संकलन का कार्य**
2. **भाव व मजदूरी दरों के सूचकांक बनाने का कार्य**

यह दोनों ही कार्य प्रभाग के स्थापना काल से ही चले आ रहे हैं। इसमें से भावों एवं मजदूरी की दरों के संग्रह का कार्य क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सम्पन्न किया जाता है जबकि सभी जनपदों के भाव व मजदूरी दरों के संकलन एवं सूचकांक बनाने का कार्य मुख्यालय स्तर पर किया जाता है।

भाव संकलन का उद्देश्य भावों में हो रहे उतार–चढ़ाव का अध्ययन करना तथा शासन को वस्तु स्थिति से अवगत कराना होता है। सूचकांक का उद्देश्य वर्ष विशेष की तुलना में हुए भावों/दरों के परिवर्तन की माप करना है। सूचकांक के निर्माण के लिए आधार वर्ष के भाव के साथ वर्तमान भाव/दर का होना आवश्यक है, ताकि भावों/दरों में हुए उतार–चढ़ाव की प्रतिशत वृद्धि एवं ह्रास की जानकारी सम्भव हो सके।

भाव व मजदूरी की दरों के संग्रह व सूचकांक के सम्बन्ध में संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार हैः–

5.1 भावों/मजदूरी की दरों का एकत्रीकरणः–

5.1.1 ग्रामीण फुटकर भाव

यह भाव 99 चयनित मदों के लिये प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड से प्रत्येक माह प्रथम बाजार दिवस को एकत्र कराये जाते हैं। इनका उपयोग ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

5.1.2 नगरीय फुटकर भाव

यह भाव 101 चयनित मदों के लिये प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह कराये जाते हैं। इनका उपयोग नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक तैयार करने में किया जाता है।

5.1.3 नगरीय अमानी मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक के मजदूरी की दरें संग्रहित की जाती हैं। यह जनपद के प्रत्येक नगरपालिका परिषद एवं नगर निगम में चयनित दो अड्डों से संग्रह करायी जाती हैं। इनका उपयोग नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार किये जाने में किया जाता है।

5.1.4 ग्रामीण मजदूरी की दरें

इसके अन्तर्गत राज, बढ़ई व कृषि श्रमिक (पुरूष/महिला), दर्जी, नाई, तेल की पेराई, ईंट की पथाई व चरवाहा की मजदूरी की दरें संग्रहीत की जाती हैं। यह दरें प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रह करायी जाती है। इनका उपयोग ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक तैयार करने में किया जाता है। यह दरें प्रत्येक माह कृषि एवं किसान कल्याण मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित की जाती हैं। साथ ही साथ कृषि साँख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी उनकी माँग के अनुरूप भेजी जाती हैं।

5.1.5 थोक भाव (कृषि व अकृषीय)

- प्रदेश की 65 मण्डियों से 70 वस्तुओं के साप्ताहिक थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार),
- 48 मण्डियों के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव ,
- 57 केन्द्रों से 286 मदों के कृषीय व अकृषीय मदों के थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) संग्रह कराये जाते हैं।

कृषि मदों के थोक भाव प्रत्येक शुक्रवार को राज्य कृषि विपणन संगठन से एकत्र किये जाते हैं तथा अकृषीय मदों के थोक भाव फर्मो एवं वाणिज्यिक संस्थानों से संग्रह किये जाते हैं। इनका उपयोग थोक भाव सूचकांक तैयार करने, राज्य व जिला आय अनुमान तैयार करने के साथ–साथ भारत सरकार को भी उनकी माँग के अनुरूप भेजा जाता है।

5.1.6 67 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव

यह भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से माह के प्रत्येक शुक्रवार को संग्रह कराकर ई–मेल द्वारा प्रभाग मुख्यालय पर मंगाये जाते हैं। इन भावों में से 47 वस्तुओं के भावों के आधार पर प्रत्येक सप्ताह की समीक्षा जिसमें गत सप्ताह, गत माह, गत त्रैमास एवं गत वर्ष के संगत सप्ताह के भावों से तुलनात्मक विवरण तैयार करके शासन के सम्बन्धित विभागों को उपलब्ध कराये जाते हैं।

5.1.7 भारत सरकार व अन्य विभागों के प्रयोगार्थ विभिन्न प्रकार के भाव संग्रह का कार्य

- श्रम ब्यूरो शिमला के लिए पाँच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा एवं लखनऊ) से भाव संग्रह कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला भेजा जाना । नये आधार वर्ष परिवर्तन हेतु गौतमबुद्धनगर को गाजियाबाद केन्द्र के साथ सम्मिलित करते हुए अन्य शेष केन्द्रों से भाव संग्रह कराकर सीधे श्रम ब्यूरो शिमला भेजा जाना ।
- अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार, भारत सरकार को 20 केन्द्रों से भाव संग्रह कराकर सीधे प्रेषित किया जाना।
- हापुड़ मण्डी के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह कराकर कृषि विभाग को प्रेषित किया जाना ।
- कानपुर नगर से बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर इलायची बोर्ड, गंगटोक को प्रेषित किया जाना।
- कच्चे ऊन के 05 केन्द्रों (प्रयागराज, जौनपुर, संत रविदासनगर, झाँसी, रायबरेली) के थोक भावों को संग्रह कराकर पशुपालन निदेशालय को प्रेषित किया जाना।

5.2 भाव/ मजदूरी की दरों के सूचकांक बनाने का कार्य

5.2.1 उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक नगरीय मध्यम वर्गीय उपभोक्ता भाव सूचकांक है। यह सर्वप्रथम 1948 को आधार वर्ष मानकर 1956 से तैयार कराया जा रहा था, जो उपभोग के स्वरूप में हुए परिवर्तन के कारण आधार वर्ष 1970–71 में परिवर्तित कर जुलाई 1981 से जून 2010 तक तैयार कराया गया। तदोपरान्त आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया। इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से मार्च 2017 तक प्रत्येक माह 101 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक प्रत्येक त्रैमास हेतु तैयार कराया गया। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर जुलाई 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.2 ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक

यह सूचकांक भी मध्यम वर्गीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक है। सर्वप्रथम यह सूचकांक आधार कृषि वर्ष 1954–55 के आधार पर जनवरी 1956 से तैयार कराया गया। पुनः आधार वर्ष को

बदलकर 1957–58 व तत्पश्चात 1970–71 किया गया । उपभोग के स्वरूप में आये महत्पूर्ण परिवर्तन के फलस्वरूप आधार वर्ष परिवर्तित करके 2004–05 कर दिया गया । इस आधार वर्ष पर जुलाई 2008 से मार्च 2017 तक 99 मदों पर आधारित राज्य स्तरीय एवं आर्थिक क्षेत्र स्तरीय ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक प्रत्येक त्रैमास हेतु तैयार कराया गया । वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर जुलाई 2016 से सूचकांक लगातार प्रत्येक माह एवं त्रैंमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.3 थोक भाव सूचकांक

यह सूचकांक कृषि व अकृषीय वस्तुओं पर आधारित थोक भाव सूचकांक है। सर्व प्रथम कृषि थोक भाव सूचकांक का आधार वर्ष 1957–58 एवं औद्योगिक थोक भाव सूचकाकं का आधार वर्ष 1948 है । तत्पश्चात दोनों सूचकांकों को सम्मिलित करते हुए यह सूचकांक आधार वर्ष 1970–71 कर दिया गया है। पुनः इसे आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित कर दिया गया। आधार वर्ष 2004–05 पर 286 मदों के लिए राज्य स्तरीय थोक भाव सूचकांक तैयार कराये जाने का कार्य अप्रैल 2010 से मार्च 2016 तक किया गया। वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिस पर अप्रैल 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है।

5.2.4 ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकाँक

ग्रामीण व नगरीय मजदूरों के लिए तैयार कराये जाने वाला यह सूचकांक आधार वर्ष 1970–71 पर त्रैमासान्त मार्च 1980 से तैयार कराया जाना प्रारम्भ किया गया था जिसे त्रैमासान्त जून 2010 तक बनाया गया। बाद में आधार वर्ष 2004–05 पर परिवर्तित करके इसे जुलाई 2008 से जून 2016 तक लगातार राज्य स्तरीय व आर्थिक क्षेत्र स्तरीय त्रैमासिक ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक तैयार कराया गया । वर्तमान में आधार वर्ष परिवर्तित करके 2011–12 कर दिया गया है जिसपर जुलाई 2016 से लगातार सूचकांक प्रत्येक माह एवं त्रैमास हेतु तैयार कराया जा रहा है। इस सूचकांक में ग्रामीण क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व कृषि श्रमिक जबकि नगरीय क्षेत्र के लिए राज, बढ़ई व अकुशल श्रमिक को शामिल किया गया है।

5.2.5 कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकाँक

यह सूचकांक कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक व कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक का अनुपात है। यह सर्वप्रथम 1957–58 आधार वर्ष पर लगातार 1981–82 तक तैयार कराया गया, बाद में आधार वर्ष परिवर्तित करके 1970–71 कर दिया गया । इस आधार वर्ष पर 2009–10 तक तथा तत्पश्चात् वर्ष 2004–05 को आधार वर्ष मानते हुए वार्षिक आधार पर राज्य स्तरीय सूचकांक वर्ष 2010–11 से 2015–16 तक एवं आधार वर्ष 2011–12 पर 2016–17 से नियमित रूप से तैयार कराया जा रहा है।

5.3 वर्ष 2020–21 में सम्पादित कार्य

5.3.1 विभागीय प्रयोगार्थ भाव संग्रह का कार्य

आलोच्य वर्ष में अब तक विभिन्न भाव श्रृंखलाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित थोक/फुटकर भाव संग्रह का कार्य किया गया :–

- प्रदेश के 65 मण्डियों से कुल 70 वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक थोक व फुटकर भाव राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से एकत्र कराये गये तथा इनका राज्य आय व जिला आय निर्माण में उपयोग किया गया ।
- राज्य आय तथा जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार करने के संदर्भ में राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से प्रदेश के 48 प्रमुख मण्डियों से कृषीय 19 वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।

- प्रदेश के 57 केन्द्रों से 286 मदों के कृषीय व अकृषीय मदों के थोक भाव (प्रत्येक शुक्रवार) प्रभाग के जनपद कार्यालयों के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।
- प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों में चयनित नगरीय बाजार से उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 101 वस्तुओं के नगरीय फुटकर भाव प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को प्रभाग के जनपद कार्यालयों के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।
- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के चयनित ग्राम बाजार से प्रत्येक माह के प्रथम बाजार दिवस को उपभोक्ता वस्तुओं के अन्तर्गत वर्तमान चयनित 99 वस्तुओं के ग्रामीण फुटकर भाव संग्रह कराये गये तथा इनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन किया गया।
- राज्य स्तर पर भाव के उतार चढ़ाव के अनुश्रवण हेतु प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से दैनिक उपभोग की 67 आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के फुटकर भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर इनमें से 47 वस्तुओं के भावों की प्रवृत्ति पर साप्ताहिक विश्लेषण समीक्षाएं तैयार कर प्रदेश के मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (खाद्य एवं रसद) एवं अपर मुख्य सचिव नियोजन, विशेष सचिव नियोजन तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (शोध) वाणिज्यकर विभाग को प्रेषित की गई।

5.3.2 भारत सरकार एवं अन्य विभागों के प्रयोगार्थ भाव संग्रह

- अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता भाव सूचकांक योजनान्तर्गत प्रदेश के पाँच केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा एवं लखनऊ) से 70 वस्तुओं के साप्ताहिक तथा 87 वस्तुओं के मासिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्र के अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा एकत्र कराकर सीधे श्रम संघ शिमला को भेजे गये।
- अर्थ एवं सांख्यिकी सलाहकार, भारत सरकार के उपयोगार्थ प्रदेश के चयनित 20 केन्द्रों से 57 खाद्य एवं 40 अखाद्य आवश्यक वस्तुओं के क्रमशः प्रत्येक शुक्रवार व अन्तिम शुक्रवार के साप्ताहिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्रों के अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा संग्रह कराकर विश्लेषणात्मक टिप्पणी सहित भेजे गये।
- हापुड़ मंडी से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के 11 प्रमुख वस्तुओं के थोक भावों को संग्रह एवं संकलित कराकर गत माह के भावों के आधार पर भावान्तर विवरण के साथ प्रमुख सचिव, कृषि विभाग के कार्यालय को भेजे गये।
- कानपुर नगर केन्द्र से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के बड़ी इलायची के थोक भाव संग्रह कराकर ई–मेल के द्वारा भारत सरकार के इलायची बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, गंगटोक, सिक्किम को भेजे गये।
- प्रदेश के पाँच केन्द्रों यथा वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, झाँसी तथा रायबरेली से कच्चे ऊन के मासिक उत्पादन थोक भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोंपरान्त संकलन कर निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपलब्ध कराये गये।

5.3.3 मजदूरी दरें

- प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को ग्रामीण मजदूरी की दरों के आँकड़ें नियमित रूप से अर्थ एवं संख्याधिकारी के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इन आँकड़ों के परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य प्रभाग मुख्यालय पर किया गया जिसमें से समस्त 75 जनपदों के विकास खण्डवार मजूदरी की दरों के परिनिरीक्षित आँकड़े आर्थिक एवं साँख्यिकी सलाहकार भारत सरकार नई दिल्ली को प्रत्येक माह ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की गयी। साथ ही साथ कृषि साँख्यिकी एवं फसल बीमा, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को भी उनकी माँग के अनुरूप सूचना भेजी गईं।

- प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों/नगरपालिकाओं, नगर निगमों के चयनित दो–दो प्रमुख अड्डे/मुहल्ले से प्रथम अड्डे/मुहल्ले से प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार की तथा द्वितीय अड्डे/मुहल्ले से आगामी सोमवार की अकुशल श्रमिक, राज एवं बढ़ई की नगरीय अमानी मजदूरी की दरों का संग्रह कराकर प्रभाग मुख्यालय पर उनके परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य किया गया।

5.3.4 भाव एवं मजदूरी दरों के सूचकांकों का प्रकाशन

उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक आधार वर्ष 2011–12, उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 एवं उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 पर त्रैमासान्त मार्च 2020 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2020 का सूचकांक प्रकाशित किया गया।

उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)

वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2020 का औसत सूचकांक
राज्य स्तरीय				
1.खाद्य, पेय द्रव्य और तम्बाकू	167.79	167.34	177.46	186.66
2.ईंधन व प्रकाश	220.12	210.91	208.35	207.95
3.आवास	198.57	199.40	201.11	202.43
4.वस्त्र, बिस्तर एवं जूते	165.64	171.18	168.66	173.71
5.विविध	155.98	159.73	157.27	160.21
क्षेत्रवार समस्त वर्ग				
पश्चिमी क्षेत्र	169.12	170.64	172.51	177.17
मध्य क्षेत्र	172.24	170.67	176.85	182.27
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	169.40	168.51	172.73	178.02
पूर्वी क्षेत्र	172.03	171.50	176.38	184.47
उत्तर प्रदेश	170.48	170.96	174.37	179.89

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)

वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2020 का औसत सूचकांक
राज्य स्तरीय				
1.खाद्य पेय द्रव्य और तम्बाकू	179.88	174.89	186.25	199.54
2.ईंधन व प्रकाश	212.64	209.30	210.27	215.13
3.आवास	209.15	210.43	214.67	217.12
4.वस्त्र, बिस्तर एवं जूते	172.37	176.89	176.79	182.65
5.विविध	160.49	163.97	162.32	165.54
क्षेत्रवार समस्त वर्ग				
पश्चिमी क्षेत्र	175.55	174.46	180.23	187.37
मध्य क्षेत्र	178.25	179.24	184.27	193.52
बुन्देलखण्ड क्षेत्र	172.24	171.03	177.19	183.96
पूर्वी क्षेत्र	181.54	177.32	184.66	196.12
उत्तर प्रदेश	178.26	176.34	182.49	191.74

उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
वर्ग	त्रैमासान्त मार्च 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2020 का औसत सूचकांक
समस्त	151.19	151.63	154.56	157.30
प्राथमिक	182.91	185.31	194.55	199.88
ईंधन व प्रकाश	186.84	183.15	183.46	192.11
विर्निमित	140.54	140.73	142.15	143.83

2– उत्तर प्रदेश का ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12 पर) त्रैमासान्त मार्च 2020 से त्रैमासान्त दिसम्बर 2020 का सूचकांक प्रकाशित किया गया ।

उत्तर प्रदेश का ग्रामीण मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)					
कमांक		त्रैमासान्त मार्च 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2020 का औसत सूचकांक
1	**पश्चिमी क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	181.60	182.69	181.13	182.53
	(ii) राज	173.93	174.27	172.81	175.65
	(iii) कृषि श्रमिक	190.71	192.31	192.94	194.23
2.	**मध्य क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	196.36	201.56	202.77	207.37
	(ii) राज	185.07	189.22	192.59	196.02
	(iii) कृषि श्रमिक	226.87	227.12	228.97	227.58
3.	**बुन्देलखण्ड क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	232.20	232.36	234.86	240.22
	(ii) राज	204.79	204.79	206.19	209.46
	(iii) कृषि श्रमिक	191.39	190.38	194.74	197.98
4	**पूर्वी क्षेत्र**				
	(i) बढ़ई	211.98	212.89	214.13	215.18
	(ii) राज	215.36	217.14	219.53	218.40
	(iii) कृषि श्रमिक	216.60	221.13	218.90	225.48
5	**उत्तर प्रदेश**				
	(i) बढ़ई	197.93	199.35	199.43	201.20
	(ii) राज	191.13	192.39	192.96	194.50
	(iii) कृषि श्रमिक	205.01	207.29	207.31	210.14

उत्तर प्रदेश का नगरीय मजदूरी दर सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)					
कमांक	क्षेत्र	त्रैमासान्त मार्च 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त जून 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त सितम्बर 2020 का औसत सूचकांक	त्रैमासान्त दिसम्बर 2020 का औसत सूचकांक
1.	पश्चिमी क्षेत्र				
	(i) बढ़ई	173.87	174.33	175.63	177.03
	(ii) राज	173.13	172.69	174.61	176.14
	(iii) अकुशल श्रमिक	182.36	183.20	184.16	187.73
2.	मध्य क्षेत्र				
	(i) बढ़ई	197.75	194.92	195.10	200.78
	(ii) राज	195.15	195.85	199.63	206.27
	(iii) अकुशल श्रमिक	193.36	192.75	199.78	204.68
3.	बुन्देलखण्ड क्षेत्र				
	(i) बढ़ई	200.01	200.01	201.88	209.32
	(ii) राज	186.35	191.27	192.30	194.37
	(iii) अकुशल श्रमिक	194.42	198.40	199.93	200.58
4.	पूर्वी क्षेत्र				
	(i) बढ़ई	203.04	203.83	208.15	218.07
	(ii) राज	193.44	195.00	196.51	202.77
	(iii) अकुशल श्रमिक	201.76	202.71	204.66	211.87
5.	उत्तर प्रदेश				
	(i) बढ़ई	182.74	182.65	184.17	187.63
	(ii) राज	180.93	181.29	183.47	186.66
	(iii) अकुशल श्रमिक	189.09	189.81	192.31	196.70

5.3.5. कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक का प्रकाशन

आलोच्य वर्ष में उत्तर प्रदेश का कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12) को कृषि वर्ष 2019–20 के लिए प्रकाशनार्थ अन्तिम रूप दिया गया ।

उत्तर प्रदेश का कृषीय क्रय–विक्रय समता सूचकांक (आधार वर्ष 2011–12)				
क्रम संख्या	कृषि वर्ष	कृषकों द्वारा प्राप्त मूल्य सूचकांक	कृषकों द्वारा भुगतान किये गये मूल्य सूचकांक	कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक
1	2	3	4	5
1	2017-18	170.27	152.91	111.35
2	2018-19	174.66	161.41	108.21(अनन्तिम)
3	2019-20	182.13	169.44	107.49 (अनन्तिम)

******

अध्याय–6
औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में औद्योगिक सांख्यिकी अनुभाग में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जाते हैंः–
1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आई.आई.पी.)
2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ए.एस.आई.)

6.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

सामान्य परिचय

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक बनाने का कार्य वर्ष 1976 से आधार वर्ष 1970–71 पर प्रारम्भ किया गया तथा वर्तमान में आधार वर्ष 2011–12 पर सूचकांक का निर्माण किया जा रहा है।
- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक द्वारा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की समुचित औद्योगिक गतिविधियों को सांख्यिकीय विधि के अनुसार मापन करके एक संख्या प्रस्तुत की जाती है जिसके परिमाण से उस समयावधि में किसी संदर्भ अवधि (आधार वर्ष) की तुलना में हुए औद्योगिक उत्पादन के स्तर का बोध होता है। इस प्रकार से औद्योगिक उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों की गतिशीलता/ प्रवृत्ति की जानकारी हेतु औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है।
- उपयोग आधारित औद्योगिक उत्पादन सूचकांक राज्य की विभिन्न उपयोगी वस्तुओं की प्रवृत्ति का संकेतक है। इसके द्वारा राज्य के उपयोग किये जाने वाले मदों में होने वाले परिवर्तन का आंकलन किया जाता है।

राज्य स्तरीय सूचकांक–पृष्ठभूमि व कैलेंडर

राज्य की औद्योगिक स्थिति का सही चित्रण प्रस्तुत करने हेतु राज्य स्तरीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार किया जाता है। राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने की प्रक्रिया वर्ष 1976 से प्रारम्भ की गयी। राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक मासिक एवं वार्षिक तैयार किया जाता है। मासिक सूचकांक माह की समाप्ति के 2 माह के अंदर एवं वार्षिक सूचकांक आगामी वर्ष के नवम्बर माह के अन्त तक तैयार किया जाता है।

आधार वर्ष

औद्योगिक क्षेत्र में हो रहे नवीन परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने हेतु सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली मद तालिका में से पुराने व अप्रसांगिक मदों को छोड़कर नये व प्रचलित मदों को सम्मिलित करते हुए समय–समय पर आधार वर्ष को केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय के मार्ग निर्देशन में नवीन वर्ष पर परिवर्तित किया जाता है।

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक वर्ष 1976 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1998 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2007 से आधार वर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2011 से आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2018 से आधार वर्ष 2011–12 पर सूचकांक तैयार किया जा रहा है। साथ ही वर्ष 2015–16 से भी आधार वर्ष 2011–12 पर सूचकांक तैयार कराया गया है।
- पूर्व में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक क्षेत्रवार ही तैयार किया जाता था किन्तु आधार वर्ष 2004–05 पर 2011–12 से उपयोग आधारित सूचकांक उपलब्ध है। वर्तमान में आधार वर्ष 2004–05 को परिवर्तित कर आधार वर्ष 2011–12 कर दिया गया है।

6.1.1 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित)

- राज्य स्तर पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग आधारित) भारत सरकार की ही भांति औद्योगिक उत्पादन के तीन मुख्य खण्डों/सेक्टर यथा विनिर्माण, ऊर्जा व खनन में हो रही गतिविधियों के संयोजन पर आधारित है। इसके मुख्य सेक्टर विनिर्माण का सृजन राज्य में विभिन्न औद्योगिक समूहों के उत्पादन संकलन से तैयार किया जाता है, जो उन पृथक–पृथक औद्योगिक समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।
  - राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष 2004–05 तक एन. आई.सी. 2004 पर आधारित था। वर्तमान आधार वर्ष 2011–12 एन.आई.सी. 2008 पर आधारित है।
  - सूचकांक से सम्बन्धित भारण आरेख एवं मद तालिका का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:–

खण्ड	भार		कुल मद /मद समूह की संख्या	
	आधार वर्ष 2004–05	आधार वर्ष 2011–12	आधार वर्ष 2004–05	आधार वर्ष 2011–12
विनिर्माण	740.10	809.35	149	174 (144 मद समूह)
खनन	110.16	118.89	4	02 (02 मद समूह)
ऊर्जा	149.74	71.76	1	01 (01 मद समूह)
योग	**1000.00**	**1000.00**	**154**	**177 (147 मद समूह)**

6.1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित)

- विभिन्न उपयोग आधारित सूचकांक औद्योगिक मदों के समूहों के संकलन से तैयार किया जाता है। जो पृथक–पृथक उपयोग समूह में हो रहे परिवर्तन को परिलक्षित करता है।
- राज्य स्तर पर तैयार किया जा रहा उपयोग आधारित सूचकांक आधार वर्ष 2004–05 तक एन.आई.सी. 2004 पर आधारित था। वर्तमान आधार वर्ष 2011–12 एन.आई.सी. 2008 पर आधारित है।
  - सूचकांक से संबंधित भारण आरेख एवं मद तालिका का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है–

कसं.	आधार वर्ष 2004–05			आधार वर्ष 2011–12			
	वर्गीकरण	भार	कुल मदों की संख्या	वर्गीकरण	भार	कुल	
						मद	मद समूह
i	आधारभूत वस्तुएं	483.80	24	i- प्राथमिक वस्तुएं	293.78	10	09
ii	पूँजीगत वस्तुएं	46.65	17	ii- पूँजीगत वस्तुएं	73.19	14	12
iii	मध्यवर्ती वस्तुएं	126.77	42	iii.आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुएं	48.37	12	09
iv	कुल उपभोग की वस्तुएं	342.78	71	iv. मध्यवर्ती वस्तुएं	173.83	46	37
iv-a	टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	70.60	27	v-कुल उपभोग वस्तुएं	410.83	95	80
iv-b	गैर टिकाऊ उपभोग की वस्तुएं	272.18	44	v-.a टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	167.08	50	39
		–	–	v-b गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	243.75	45	41
	योग	**1000**	**154**		**1000**	**177**	**147**

प्रयुक्त आँकड़ें एवं उनके स्रोत–

- सूचकांक तैयार करने में प्रयुक्त आँकड़ों एवं उनके स्रोत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैः–

मद	आँकड़ों का स्रोत
वनस्पति	निदेशक वनस्पति, भारत सरकार
चीनी, खाण्डसारी	चीनी आयुक्त, उ0प्र0
आबकारी	आबकारी आयुक्त, उ0प्र0
विनिर्माण खण्ड	आधार वर्ष 2004–05 के लिए चयनित 820 कारखानों से तथा आधार वर्ष 2011–12 में चयनित 722 कारखानों से जो प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित हैं। प्रत्येक मास के उपरान्त 15 दिन के पश्चात जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्यालय द्वारा उक्त कारखानों से उत्पादन विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर उपलब्ध कराये जाते हैं।
खनिज खण्ड	आई.बी.एम. नागपुर, भारत सरकार
विद्युत खण्ड	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारत सरकार

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने हेतु केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये **रीति विधायन** का प्रयोग किया जाता है।

6.1.3 वार्षिक कृषि उत्पादन सूचकांक–परिमाण एवं मूल्य

- कृषि उत्पादन सूचकांक द्वारा राज्य के कृषि क्षेत्र में हो रहे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के उत्पादन की प्रगति का आंकलन किया जाता है। कृषि उत्पादन की प्रगति का अनुमान परिमाण एवं मूल्य पर आधारित है।
- राज्य स्तर पर कृषि उत्पादन सूचकांक वार्षिक अवधि में नियमित रूप से तैयार किया जा रहा है। सर्वप्रथम यह सूचकांक वर्ष 1978–79 से आधार वर्ष 1970–71 पर तैयार किया गया। वर्ष 1997–98 से आधार वर्ष 1993–94 पर तैयार किया गया। वर्ष 2004–05 से आधार वर्ष 1999–2000 पर तैयार किया गया। वर्ष 2008–09 से आधार वर्ष 2004–05 पर तैयार किया गया है। वर्ष 2018–19 में आधार वर्ष 2004–05 को आधार वर्ष 2011–12 से प्रतिस्थापित कर दिया गया है।

6.1.4 वर्ष 2020–21 में सम्पादित कार्य

- 2019–20 का वार्षिक औद्योगिक उत्पादन (उद्योग एवं उपयोग आधारित) सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 पर तैयार किया गया।
- वर्षान्तर्गत माह फरवरी 2020 (त्वरित) एवं माह जनवरी 2020 (अनन्तिम) से जनवरी 2021 (त्वरित) एवं दिसम्बर 2020 (अनन्तिम) आधार वर्ष 2011–12 पर कुल 12 महीनों के औद्योगिक उत्पादन (उद्योग एवं उपयोग आधारित) सूचकांक तैयार किये गये।
- नवीन आधार वर्ष 2011–12 पर वर्ष 2019–20 का कृषि उत्पादन सूचकांक (परिमाण एवं मूल्य) तैयार किया गया है।

मुख्य परिणाम –

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उद्योग/क्षेत्रवार)
मासिक सूचकांक वर्ष (2019–20) आधार वर्ष 2011–12

सेक्टर	अप्रैल 2019	मई 2019	जून 2019	जुलाई 2019	अगस्त 2019	सितम्बर 2019	अक्टूबर 2019	नवम्बर 2019	दिसम्बर 2019	जनवरी 2020	फरवरी 2020	मार्च 2020
खनिज	152.41	147.19	117.90	110.83	113.89	103.25	115.30	70.28	64.92	136.03	137.48	119.64
ऊर्जा	128.30	154.05	149.14	134.71	142.02	128.60	127.74	111.72	112.80	126.65	114.87	106.02
विनिर्माण	127.71	125.71	115.22	112.06	110.95	118.06	111.57	119.68	118.69	124.31	127.36	104.68
सामान्य सूचकांक	130.69	130.30	117.98	113.54	113.53	117.06	113.17	113.24	111.87	125.87	127.67	106.55

वार्षिक सूचकांक
(आधार वर्ष 2011–12)
वर्ष 2018–19 के सापेक्ष वर्ष 2019–20 में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि/कमी

सेक्टरवार सूचकांक	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20	गत वर्ष के सापेक्ष %वृद्धि/कमी
खनिज	129.01	115.76	–10.27
ऊर्जा	126.59	128.05	1.15
विनिर्माण	123.62	118.00	–4.55
सामान्य सूचकांक	124.47	118.46	–4.83

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (उपयोग आधारित)
मासिक सूचकांक (वर्ष 2019–20)
आधार वर्ष 2011–12

उपयोग आधारित वर्गीकरण	अप्रैल 2019	मई 2019	जून 2019	जुलाई 2019	अगस्त 2019	सित. 2019	अक्टू. 2019	नव. 2019	दिस. 2019	जनवरी 2020	फरवरी 2020	मार्च 2020
1.प्राथमिक वस्तुएं	133.32	141.24	129.53	120.68	125.94	118.60	121.19	97.72	79.86	118.79	126.23	115.82
2. पूँजीगत वस्तुएं	187.11	184.93	170.51	145.50	139.99	214.25	222.69	213.81	173.99	202.35	207.07	132.65
3.आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुएं	123.51	126.63	112.80	111.64	114.08	106.63	111.36	111.54	125.66	120.66	126.97	82.59
4.मध्यवर्ती वस्तुएं	131.22	154.76	144.50	143.92	142.97	131.80	131.22	138.00	132.23	146.71	140.96	109.25
5.कुल उपभोग वस्तुएं	119.37	102.83	89.74	90.12	87.43	93.63	80.51	96.14	113.46	109.10	109.01	96.95
5.1टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	92.90	95.22	74.14	87.08	78.82	78.16	70.96	67.72	75.00	76.99	76.02	63.11
5.2गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	137.51	108.05	100.45	92.19	93.33	104..24	87.06	115.62	139.82	131.11	131.63	120.15
सामान्य सूचकांक	130.69	130.30	117.98	113.54	113.53	117.06	113.17	113.24	111.87	125.87	127.67	106.55

वार्षिक सूचकांक
आधार वर्ष 2011–12
वर्ष 2018–19 के सापेक्ष वर्ष 2019–20 में क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि/कमी

क्रमांक	उपयोग आधारित वर्गीकरण	वर्ष 2018–19	वर्ष 2019–20	गत वर्ष के सापेक्ष %वृद्धि/कमी
1.	प्राथमिक वस्तुएं	125.70	119.08	–5.27
2.	पूँजीगत वस्तुएं	190.00	182.91	–3.73
3.	आधारभूत संरचना/निर्माण वस्तुएं	121.50	114.51	–5.75
4.	मध्यवर्ती वस्तुएं	142.47	137.29	–3.64
5.	कुल उपभोग वस्तुएं	104.66	99-02	–5.39
5.1	टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	87.29	78-01	–10.63
5.2	गैर टिकाऊ उपभोग वस्तुएं	116.57	113-43	–2.69
	सामान्य सूचकांक	124.47	118-46	–4.83

कृषि उत्पादन से सम्बन्धित सूचकांक (वर्ष 2019–20) आधार वर्ष 2011–12

कृषि उत्पादन सूचकांक–परिमाण (volume)

प्रमुख मद	वर्ष 2017–18 (अंतिम)	वर्ष 2018–19 (अनन्तिम)	वर्ष 2019–20 (त्वरित)	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2018–19	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2019–20
अनाज	101.75	109.24	120.62	7.36	10.42
दाल	91.19	95.48	99.23	4.70	3.93
फल एवं सब्जी	144.99	145.33	146.53	0.23	0.83
गन्ना	165.21	167.71	167.57	1.51	–0.08
तिलहन	97.77	95.68	77.46	–2.14	–19.04
सामान्य सूचकांक	122.13	125.88	131.32	3.07	4.32

कृषि उत्पादन सूचकांक–मूल्य (value)

प्रमुख मद	वर्ष 2017–18(अंतिम)	वर्ष 2018–19(अनन्तिम)	वर्ष 2019–20(त्वरित)	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2018–19	वर्षिक % वृद्धि वर्ष 2019–20
अनाज	151.19	176.19	195.55	16.54	10.99
दाल	108.26	127.38	149.97	17.66	17.73
फल एवं सब्जी	210.04	209.60	277.30	–0.21	32.30
गन्ना	222.42	226.75	227.12	1.95	0.16
तिलहन	109.86	115.49	103.16	5.12	–10.68
सामान्य सूचकांक	168.46	181.56	204.15	7.78	12.44

6.2. वार्षिक उद्योग सर्वेक्षणः–

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण सर्वप्रथम 1959 में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार के द्वारा प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में उप महानिदेशक क्षेत्र संकार्य प्रभाग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय को सांख्यिकीय प्राधिकारी (स्टेटिस्टिकल अथॉरिटी) घोषित करके वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जाने लगा। अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा भारत सरकार के निर्धारित रूपपत्र एवं दिशा निर्देशन में वर्ष 1960–61 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।

6.2.1 मुख्य उद्देश्य एवं फ्रेम

इसका मुख्य उद्देश्य औद्योगिक नीति निर्धारकों एवं नियोजकों को औद्योगिक आँकड़े उपलब्ध कराना तथा राज्य/जिला आय के निर्धारण में विनिर्माण समूह के उद्योगों का अनुमान आंकलित करना है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का फ्रेम प्रदेश में मुख्य कारखाना निरीक्षक द्वारा रखी जा रही पंजीकृत कारखानों तथा बीड़ी एवं सिगार प्रतिष्ठानों एवं विद्युत उपक्रमों के सम्बन्ध में लाइसेसिंग प्राधिकरणों द्वारा रखी जा रही सूचियों पर आधारित है। सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 1953 के अन्तर्गत सांख्यिकीय संग्रहण (केन्द्रीय) नियमावली 1959 के आधार पर कारखाना अधिनियम 1948 की धारा–2 एम (i) व 2 एम (ii) में पंजीकृत कारखानों का वार्षिक सर्वेक्षण किया जाता था, किन्तु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010–11 से एवं उत्तर प्रदेश में वर्ष 2013–14 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का कार्य भारत सरकार के सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 के अन्तर्गत कराया जा रहा है। वर्ष 1989–90 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के फ्रेम को प्रति 3 वर्षों में एक बार संशोधन/अद्यतन किया जाता हैं।

6.2.2 अवधि

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के संग्रहीत आँकड़ों का सम्बन्ध सम्बन्धित प्रतिष्ठानों के 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि के बीच किसी भी दिन समाप्त हुए लेखा वर्ष से है।

6.2.3 चयन प्रक्रिया

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण की चयन प्रक्रिया भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2017–18 का फ्रेम दो भागों में वर्गीकृत है केन्द्रीय प्रतिदर्श एवं राज्य प्रतिदर्श तथा केन्द्रीय प्रतिदर्श को भी दो भागो में बाँटा गया है गणना व गैर गणना सेक्टर। गणना सेक्टर में वे कारखानों वर्गीकृत होते हैं, जिनमें 100 या 100 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं तथा जो संयुक्त रिटर्न भरते हैं (अर्थात जिनका संचालन एक ही प्रबंधन के अन्तर्गत आता हो और उसकी कई शाखाएं हों)। उक्त के अतिरिक्त स्ट्रेटा के अर्न्तगत किसी जनपद की एन0आई0सी0 में चार या चार से कम इकाइयाँ हों उन सभी को गणना इकाई समझा जायेगा। गणना सेक्टर के समस्त कारखानों का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया गया है एवं प्रतिदर्श सेक्टर में केन्द्रीय प्रतिदर्श के कारखानों का सर्वेक्षण भी भारत सरकार द्वारा किया गया है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित राज्य के प्रतिदर्श कारखानों का सर्वेक्षण अर्थ एवं संख्या प्रभाग उत्तर प्रदेश द्वारा कराया जाता है।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2017–18 के प्रतिदर्श अभिकल्प के ढाँचे का निर्माण जिला स्तर पर 3 अंकीय राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण–2008 (NIC-2008) पर किया गया है।

6.2.4 सर्वेक्षण हेतु अनुसूची

सर्वेक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा राज्य के लिये निर्धारित अनुसूची भाग–1 (विवरणी) का प्रयोग राज्य द्वारा किया जाता है जिसमें परिसम्पत्तियों एवं देयताओं, रोजगार एवं श्रम लागत, प्राप्ति, व्यय, लागत मदें– देशी एवं आयातित, उत्पाद एवं उपोत्पाद, विभाजक व्यय आदि के सम्बन्ध में आँकड़े संग्रह किये जाते है।

6.2.5 उद्योगों का वर्गीकरण

कारखानों के आर्थिक क्रिया कलापों में उद्योगों का वर्गीकरण प्रचलित राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (एन.आई.सी कोड) का अनुसरण किया जाता है। वर्तमान में एन.आई.सी कोड 2008 का प्रयोग किया जा रहा है।

6.2.6 सर्वेक्षण एवं रिपोर्ट आलेखन

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, कोलकाता द्वारा उपलब्ध करायी हुई राज्य प्रतिदर्श कारखानों की सूची को जनपदवार/मण्डलवार वितरित करके जनपदीय कार्यालय द्वारा प्रतिदर्श कारखानों को नोटिस अनुदेश, अनुसूची आदि प्रपत्र भेजकर आँकड़ों के संग्रहण का कार्य कराया जाता है। कारखानों के आँकड़ों की डेटा इन्ट्री/वैलिडेशन करने हेतु प्रत्येक वर्ष सॉफ्टवेयर को तैयार/विकसित करके क्षेत्रों के सहायकों को प्रशिक्षित किया जाता है। संग्रहित आँकड़ों का मण्डल स्तर पर परिनिरीक्षण व डेटा इन्ट्री/वैलिडेशन करने के उपरान्त प्रभाग को उपलब्ध कराया जाता है। प्रभाग स्तर पर सन्दर्भित वर्ष के राज्य व केन्द्र के आँकड़ों को जनपद के अर्न्तगत उद्योग वर्गानुसार मिलाने के उपरान्त निर्धारित गुणक से उद्योग वर्गानुसार अनुमान प्राप्त कर गणना कारखानों के आँकड़ों को जिलेवार एवं उद्योगवार अनुमानित आँकड़ों के साथ जोड़ कर जनपदवार/मण्डलवार/राज्य स्तरीय अनुमान प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार भारत सरकार तथा प्रभाग द्वारा सर्वेक्षित आँकड़ों को आमेलित कर गुणक का उपयोग करते हुए विनियोजित पूँजी, उपभुक्त सामग्री, कुल आगत, कुल निर्गत, उत्पादन का मूल्य, सकल आवर्धित मूल्य, मूल्य ह्रास, शुद्ध आवर्धित मूल्य आदि महत्वपूर्ण मदों पर आधारित रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है।

6.2.7 वर्ष 2020–21 में सम्पादित कार्य

- **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2017–18** का सर्वेक्षण सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 की जारी अधिसूचना के अर्न्तगत कराया गया। राज्य के सर्वेक्षित आँकड़ों के निष्कर्ष के आधार पर वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2017–18 के रिपोर्ट लेखन का कार्य पूर्ण कर रिपोर्ट विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायी गयी।

- **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2018–19** का सर्वेक्षण सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम 2008 की जारी अधिसूचना के अर्न्तगत कराया गया। माह मार्च 2021 तक कुल राज्य प्रतिदर्श के 3152 कारखानों के सापेक्ष अवशेष 1026 कारखानों का सर्वेक्षण, 1954 इकाईयों का परिनिरीक्षण व 2134 इकाईयों की डेटा इन्ट्री व वैलिडेशन का कार्य पूर्ण कराया गया। प्रभाग स्तर पर 3152 इकाईयों के सापेक्ष अवशेष 3083 इकाईयों के जाँच का कार्य पूर्ण किया गया। इस प्रकार आलोच्य अवधि में शत प्रतिशत कारखानों का सर्वेक्षण/परिनिरीक्षण/डेटा इन्ट्री व वैलिडेशन तथा प्रभाग स्तर पर आँकड़ो के जाँच का कार्य पूर्ण कराया गया।
- **वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 2019–20** के सर्वेक्षण हेतु सी0एस0ओ0 कोलकाता से प्राप्त प्रतिदर्श सूची जनपदवार तैयार कर क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रेषित की गयी। उत्तर प्रदेश हेतु आवंटित 3486 प्रतिदर्श कारखानों का सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कराया गया।

6.2.8 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2017–18 के मुख्य निष्कर्ष

- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2017–18 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के प्रतिचयन ढाँचे में कुल 15925 कारखाने पंजीकृत रहे जिसमें 3863 कारखाने गणना के तथा 1692 केन्द्रीय प्रतिदर्श हेतु चयनित थे। 5555 कारखानों का सर्वेक्षण भारत सरकार द्वारा किया गया। राज्य के सर्वेक्षण हेतु 3299 कारखाने चयनित किये गये।
- प्रदेश के प्रतिचयन ढाँचे के अनुसार कुल 15925 पंजीकृत कारखानों में से पश्चिमी क्षेत्र में 11568 कारखाने, केन्द्रीय क्षेत्र में 2841 कारखाने, पूर्वी क्षेत्र में 1405 कारखाने तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में 111 कारखाने पंजीकृत पाये गये।
- NIC-2 अंकीय कोड के अनुसार सबसे अधिक 12.5 प्रतिशत अंश के साथ 1984 कारखाने खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में पंजीकृत पाये गये। फैव्रिकेटेड धातु उत्पादों का विनिर्माण (मशीनरी तथा उपस्कर के अतिरिक्त) (NIC-25) अन्य अधात्विक एवं खनिज उत्पादों के विनिर्माण (NIC-23) में क्रमशः 1422 (8.9 प्रतिशत) व 130 (8.2 प्रतिशत) व कारखानों का पंजीयन दूसरे व तीसरे स्थान पर रहा।
- केन्द्र व राज्य के लिये चयनित व सर्वेक्षित 8854 कारखानों के सापेक्ष 6974 कारखाने कार्यरत पाये गये। उक्त के आधार पर राज्य में कुल 13676 कारखानें कार्यरत अनुमानित हुए।
- प्रदेश के समस्त उद्योगों में कुल आगत 4707764871 हजाऱ रूपये, निर्गत 5667998166 हजाऱ रूपये, सकल आवर्धित मूल्य 960233295 हजाऱ रूपये, मूल्य ह्रास 123677737 हजाऱ रूपये तथा शुद्ध आवर्धित मूल्य 836555558 हजाऱ रूपये रहा।
- आगत व निर्गत मूल्यों की दृष्टि से सर्वाधिक योगदान खाद्य उत्पाद के विनिर्माण (NIC-10) में क्रमशः 24.5 व 23.2 प्रतिशत रहा। सकल आवर्धित मूल्य की दृष्टि से सर्वाधिक 11.8 प्रतिशत का योगदान खाद्य उत्पाद के विनिर्माण (NIC-10) में रहा।
- शुद्ध आवर्धित मूल्य की दृष्टि से खाद्य उत्पाद के विनिर्माण (NIC-10) में 141636573 हजाऱ रूपये (16.9 प्रतिशत) के साथ प्रथम स्थान पर, रसायन तथा रसायन उत्पाद के विनिर्माण (NIC-20) में 90503654 हजार रु0 (10.8 प्रतिशत) के साथ द्वितीय स्थान पर तथा कम्प्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण (NIC-26) में 76315792 हजाऱ रूपये (9.1 प्रतिशत) के साथ तृतीय स्थान पर रहा।
- राज्य के पंजीकृत कार्यरत कारखानों में कुल 1374857 कार्मिक कार्यरत रहे जिसमें से सर्वाधिक फैब्रिकेटेड धातु उत्पादों का विनिर्माण, मशीनरी तथा उपस्कर के अतिरिक्त (NIC-25) में 253668 (18.45 प्रतिशत), द्वितीय स्थान पर खाद्य उत्पाद के विनिर्माण (NIC-10) में 193740 (14.09 प्रतिशत) तथा तीसरे स्थान पर पहनने के कपड़ों का विनिर्माण (NIC-14) में 127654 (9.28 प्रतिशत), कर्मियों का नियोजन रहा।
- राज्य में प्रति कर्मचारी औसत वार्षिक परिलब्धि 230.82 हजार रूपये पाया गया जो कार्यालय प्रशासनिक, कार्यालय सहयोगी एवं अन्य व्यवसाय सहयोगी क्रियाएं (NIC- 82) में सर्वाधिक प्रति

कर्मी वार्षिक परिलब्धि 753.35 हजार रु0 उसके उपरांत कोक एवं पेट्रोलियम एवं शोधन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-19) हेतु 725.67 हजार रुपये पाया गया।

- प्रदेश के उद्योगों में **कुल ईधन** उपभोग की दृष्टि से रसायन तथा रसायन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-20) में सर्वाधिक 45428480 हजार रु0, मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में 45256444 हजार रूपये तथा अन्य व्यावसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में न्यूनतम् 526 हजार रूपये कुल ईंधन का उपभोग किया गया। **कोयले का** सर्वाधिक उपभोग मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में 5978662 हजार रूपये एवं न्यूनतम् वेस्ट कलेक्शन, ट्रीटमेंन्ट एवं डिस्पोजल क्रियाएं (NIC-38)में 73 हजार रूपये का किया गया। **विद्युत** का सर्वाधिक उपभोग मूल धातुओं का विनिर्माण (NIC-24) में 35308820 हजार रूपये तथा न्यूनतम अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में 514 हजार रूपये का उपभोग किया गया। **पेट्रोलियम** पदार्थो का सर्वाधिक उपभोग खाद्य पदार्थो का विनिर्माण (NIC-10) में 5688249 हजार रूपये तथा न्यूनतम अन्य व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में 12 हजार रूपये का उपभोग किया गया। **गैस** का सर्वाधिक उपभोग रसायन तथा रसायन उत्पादों का विनिर्माण (NIC-20) में 17928616 हजार रूपये तथा न्यूनतम लकड़ी तथा लकड़ी व कार्क के उत्पादों का विनिर्माण फर्नीचर के अतिरिक्त स्ट्रा प्लेटिंग वस्तुओं का विनिर्माण (NIC-16) में 116 हजार रूपये का उपभोग किया गया। इसी प्रकार **अन्य ईंधन** का सर्वाधिक उपभोग खाद्य पदार्थो का विनिर्माण (NIC-10) में 8740261 हजार रूपये तथा न्यूनतम् वेस्ट कलेक्शन, ट्रीटमेंन्ट एवं डिस्पोजल क्रियाएं (NIC-38) में 29 हजार रूपये का उपभोग किया गया।
- प्रदेश में कुल 123677737 हजार रूपये के मूल्य ह्रास में सबसे अधिक खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में 18876478 हजार रूपये तथा सबसे कम न्यूनतम वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्रियाएं (NIC-74) में 55 हजार रूपये मूल्य ह्रास पाया गया।
- प्रदेश में 2314667039 हजार रूपये पूँजी का विनियोजन किया गया जिसमें खाद्य उत्पादों के विनिर्माण (NIC-10) में सर्वाधिक 582211497 हजार रूपये तथा न्यूनतम् हवाई परिवहन (NIC-51) में 1271 हजार रूपये का पूँजी विनियोजन रहा।

भारत सरकार एवं राज्य सरकार की रिपोर्ट के प्रमुख मदों के तुलनात्मक आँकड़े

क्र0सं0	मद	इकाई	राज्य सरकार वा0उ0स0 2016—17	भारत सरकार वा0उ0स0 (उ0प्र0 से सम्बन्धित) 2017—18	राज्य सरकार वा0उ0स0 2017—18	गतवर्ष (2016—17) के सापेक्ष वृद्धि/कमी का प्रतिशत	भारत सरकार के सापेक्ष वृद्धि/कमी का प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	पंजीकृत कारखानें	संख्या	15357	15925	15925	3.7	0
2	अनुमानित कारखानें	संख्या	13743	12824	13676	-0.49	6.64
3	विनियोजित पूँजी	रू0 हजार	2222250977	2169285900	2314667039	4.16	6.7
4	उपभुक्त सामग्री	रू0 हजार	3369110225	3267251100	3521078655	4.51	7.77
5	कुल आगत	रू0 हजार	4338894379	4303244400	4707764871	8.5	9.4
6	कुल निर्गत	रू0 हजार	5473674582	5146354300	5667998166	3.55	10.14
7	उत्पादन का मूल्य	रू0 हजार	4134231508	4427252600	4777235260	15.55	7.91
8	सकल आवर्धित मूल्य GVA	रू0 हजार	1134780203	843109900	960233295	-15.38	13.89
9	मूल्य ह्रास	रू0 हजार	113302871	114556800	123677737	9.16	7.96

क्र0सं0	मद	इकाई	राज्य सरकार वा0उ0स0 2016–17	भारत सरकार वा0उ0स0 (उ0प्र0 से सम्बन्धित) 2017–18	राज्य सरकार वा0उ0स0 2017–18	गतवर्ष (2016–17) के सापेक्ष वृद्धि/कमी का प्रतिशत	भारत सरकार के सापेक्ष वृद्धि/कमी का प्रतिशत
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
10	शुद्ध आवर्धित मूल्य NVA	रू0 हजार	1021477332	728553100	836555558	-18.1	14.82
11	**समस्त कर्मचारी**	संख्या	1048471	1070841	1374857	31.13	28.39
11.1	कर्मी	संख्या	803435	839121	993927	23.71	18.45
11.2	पर्यवेक्षकीय एवं प्रबन्धकीय कर्मचारी वर्ग	संख्या	100106	94001	192493	92.29	104.78
11.3	अन्य कर्मचारी	संख्या	144930	133715	188437	30.02	40.92
12	कुल परिलब्धियाँ कर्मी	संख्या	106762975	114912100	122069857	14.34	6.23
13	कुल परिलब्धियाँ समस्त कर्मचारी	रू0 हजार	323179141	265496200	317338467	-1.81	19.53
14	प्रति कर्मचारी वार्षिक परिलब्धियाँ	रू0 हजार	308.2	247.9	230.82	-25.11	-6.89
15	**कुल ईधन**	रू0 हजार	222296075	236842090	247430148	11.31	4.47
15.1	कोयला मूल्य	रू0 हजार	18337777	17844377	17631939	-3.85	-1.19
15.2	विद्युत क्रय मूल्य	रू0 हजार	113818452	132919134	143855697	26.39	8.23
15.3	पेट्रोलियम उत्पाद	रू0 हजार	33022237	35472033	35115240	6.34	-1.01
15.4	अन्य ईधन	रू0 हजार	57117609	50606546	50827272	-11.01	0.44

******

अध्याय –7
आवास साँख्यिकी अनुभाग

आवास एवं भवन निर्माण सांख्यिकी के संग्रहण और प्रसारण हेतु राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (एन.बी.ओ), शहरी विकास मन्त्रालय, भारत सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर नोडल अभिकरण के रुप में नामित किया गया है। आवास साँख्यिकी संग्रहण की योजना चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (वर्ष 1969) में लागू हुई। योजनान्तर्गत आवास सांख्यिकी राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार की आवश्यकता की पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा एकत्र करायी जाती थी। राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन द्वारा वर्ष 2007–08 से एक नई केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना **"Urban Statistics for HR and Assessments (U.S.H.A)"** प्रारम्भ की गई है जिसका मुख्य उद्देश्य आवास निर्माण, नगरीय गरीबी, झोपड़ पट्टी तथा शहरीकरण से सम्बन्धित सूचना के लिए राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस, सूचना तन्त्र का प्रबन्धन एवं अन्य जानकारियाँ तैयार करना है। जिसकी पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा वांछित आँकड़ें एकत्रित करा कर उपलब्ध कराये जा रहे है जिनका विवरण निम्नवत् है –

- **नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड्यूल पार्ट–1**

वर्ष 2013–14 से अनुसूची–1 एवं अनुसूची–2 के स्थान पर वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 3 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों के नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड्यूल पार्ट–1 के आँकड़ों का त्रैमासिक संग्रहण किया जाता है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 35 नगर चयनित किये गये हैं जिनके आँकड़े जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स सॉफ्ट्वेयर के मॉड्यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार भारत सरकार से ऑनलाइन अनुमोदित कराया जाता है।

- **जारी किये गये भवनो के अनुमति प्रमाण पत्र एवं पूर्णता प्रमाण पत्र**

वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 55 जनपदों के 63 नगर चयनित है। नये आवासीय भवन इकाईयों के अनुमति प्रमाण पत्र एवं कम्प्लीशन सर्टिफिकेट के आँकड़े जनपद कार्यालयों द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स सॉफ्ट्वेयर के मॉड्यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार से ऑनलाइन अनुमोदित कराया जाता है।

- **Housing Start-up index (HSUI)-**

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा ऊषा स्कीम के अन्तर्गत HSUI योजना दिसम्बर, 2014 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना में प्रदेश के 34 जनपदों के 35 टाउन चयनित हैं। योजना के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र के नये आवासीय सम्पत्तियों की सर्किल दरें, बाजार दरें एवं किराया दरों के आँकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स सॉफ्ट्वेयर के मॉड्यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से त्रुटियों का निराकरण कराकर जनपदों द्वारा सीधे राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार से ऑनलाइन अनुमोदित कराया जाता है।

- **भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भाव**

प्रदेश के सभी जिलों से 30 सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमासान्त के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर बाजार भाव राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित रूप पत्र पर एकत्रित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसके अन्तर्गत भवन निर्माण सम्बन्धी

सामग्रियों के 14 मदों के 76 उपमदों के फुटकर भाव प्रत्येक त्रैमासान्त में एकत्र किये जाते हैं। 14 मदों में ईट, रेत, पत्थर की रोड़ी, चूना, इमारती लकड़ी, सीमेन्ट, इस्पात, फर्श के लिए पत्थर की स्लैप, एस्बेस्टस सीमेंट की चादरें, टाइलें, रोगन व वार्निश, चादर काँच, सफाई पात्र एवं इलेक्ट्रिक फिटिंग सम्मिलित है। भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के त्रैमासिक फुटकर भाव के आँकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स सॉफ्ट्वेयर के मॉड्यूल पर ऑनलाइन इन्ट्री किये जाते हैं तत्पश्चात् मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार से ऑनलाइन अनुमोदित कराया जाता है।

- **भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें**

यह कार्य सितम्बर 1970 से प्रत्येक त्रैमास के अन्त में जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा लोक निर्माण विभाग से कुशल मजदूरों यथा राज (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी), बढ़ई (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) तथा अकुशल मजदूर (पुरूष एवं स्त्री) को देय मजदूरी की दरों के आँकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह कर ब्रिक्स सॉफ्ट्वेयर के मॉड्यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते थे। माह जून, 2013 से भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें लोक निर्माण विभाग से संग्रहीत न कराकर सीधे जिले (नगर) के खुले बाजार से आँकड़ों का एकत्रीकरण कर ऑनलाइन इन्ट्री की जाती है। तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार से ऑनलाइन अनुमोदित कराया जाता है।

- **भवन निर्माण लागत सूचकांक**

भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 1983 से (1980–81 के आधार वर्ष पर) प्रदेश के 7 जनपदों (कानपुर, बरेली, झाँसी, गोरखपुर, प्रयागराज, मेरठ तथा वाराणसी) के लिये चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों हेतु तैयार किया जाता था। वर्ष 2007–08 से राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार आधार वर्ष 1999–2000 पर निम्न आय वर्ग कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1(एल. आई.जी.) के लिए सभी जनपदों में लागत सूचकांक तैयार किया जा रहा है। वर्ष 2013–14 से निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 (एल0आई0जी0) के भवन निर्माण लागत सूचकांक आधार वर्ष 1999–2000 के स्थान पर वर्ष 2004–05 किया गया है। वर्ष 2018–19 से अल्प आय समूह हेतु भवन निर्माण सूचकांक आधार वर्ष 2011–12 किया गया है। त्रैमासान्त जून, 2013 से पूर्व की भांति लागत(कास्ट) आवास विकास परिषद/पी0डब्ल्यू0डी0/अन्य कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर भवन निर्माण लागत सूचकांक को त्रैमासिक के स्थान पर वार्षिक ब्रिक्स सॉफ्ट्वेयर पर ऑनलाइन इन्ट्री की जाती है तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार से ऑनलाइन अनुमोदित कराया जाता है।

- **जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचना**

जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवन सम्बन्धी सूचना का एकत्रीकरण वर्ष 2013–14 से प्रारम्भ किया गया है। इसमें प्रदेश के चयनित 35 नगरों के आँकड़ें Municipal commissioners /District Collectors/ City Development Authorities से प्राप्त करने के उपरान्त urban local bodies के Deputy Commissioner के स्तर से सत्यापित कराकर आँकड़े जनपदीय कार्यालयों के द्वारा संग्रह करा कर ब्रिक्स सॉफ्ट्वेयर के मॉड्यूल पर ऑनलाइन फीड किये जाते हैं तत्पश्चात मुख्यालय स्तर से परीक्षण के उपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार से ऑनलाइन अनुमोदित कराया जाता है।

7.1 वर्ष 2020–21 में सम्पादित कार्य

- 75 जनपदों के भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव त्रैमासान्त मार्च 2020, जून 2020, सितम्बर 2020 एवं दिसम्बर 2020 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- 75 जनपदों के भवन निर्माण कार्यो में कार्यरत मजदूरों को देय मजदूरी की दरें त्रैमासान्त मार्च 2020, जून 2020, सितम्बर 2020 एवं दिसम्बर 2020 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- 75 जनपदों के निम्न आय वर्ग के कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 के भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 2019–20 का ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- नये आवासीय भवन इकाईयों के परमिट शिड्यूल पार्ट–1 के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के आँकड़े त्रैमासान्त मार्च 2020, जून 2020, सितम्बर 2020 एवं दिसम्बर 2020 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- जारी किये गये भवन के अनुमति प्रमाण पत्र एवं कम्प्लीशन सर्टिफिकेट चयनित 55 जनपदों के 63 नगरों के आँकड़ें त्रैमासान्त मार्च 2020, जून 2020, सितम्बर 2020 एवं दिसम्बर 2020 को ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- एच0एस0यू0आई0 योजना के अन्तर्गत चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के नये आवासीय सम्पत्तियों के सर्किल दर, बाजार दर एवं किराया दर के आँकड़ें त्रैमासान्त मार्च 2020, जून 2020, सितम्बर 2020 एवं दिसम्बर 2020 को ऑनलाइन अनुमोदन करा कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- जीर्ण–शीर्ण/खतरनाक एवं अनाधिकृत भवनों के चयनित 34 जनपदों के 35 नगरों के वार्षिक आँकड़े वर्ष 2019–20 का ऑनलाइन अनुमोदन कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को प्रेषित किया गया।
- भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक नामक वार्षिक पत्रिका वर्ष 2019–20 का प्रकाशन किया गया।

7.1.1 भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक वर्ष 2019–20 की प्रकाशित रिर्पोर्ट के मुख्य निष्कर्ष–

(i) आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव

- ईट श्रेणी (क) का औसत भाव रू0 5965 तथा रेत निम्न रू0 2145, रेत अव्वल रू0 1334, पत्थर की रोड़ी (15 मि.मी. गेज और कम) रू0 2171, इमारती लकड़ी (क) सी.पी. सागौन रू0 91976, (ख) साल की लकड़ी रू0 68789 प्रति घन मीटर रहा एवं चूना अनबुझा का औसत भाव रू0 1001 प्रति कुन्तल पाया गया।
- सीमेन्ट साधारण सफेद (क) उच्च शक्तिवाली का औसत भाव रू0 7746 (ख) कम शक्तिवाली रू0 6928, इस्पात (साधारण इस्पात की गोल छड़ें) (क) 10 मि.मी. व्यास रू0 45850 (ख) 12 मि.मी. व्यास रू0 45561, इस्पात (साधारण इस्पात की चपटी छड़ें) 30×12 मि.मी रू0 46834, इस्पात (एंगल आयरन) (क) 25×25×5 मि.मी. रू0 46186,(ख) 45×45×6 मि.मी.रू0 45808 साधारण इस्पात के चैनल (150×75 मि.मी.) रू0 48236 प्रति मी0 टन रहा।
- लकड़ी इस्पात कार्य के लिए विशेष पेंट का औसत भाव रू0 263 प्रति लीटर पाया गया।
- चादर काँच के औसत भाव रू0 544 प्रति वर्ग मी. पाया गया ।

- सफाई पात्र एस.डब्ल्यू पाइप (100 मि. मी. व्यास) का औसत भाव रू0 104 प्रति अदद पाया गया ।

(ii) विभिन्न प्रकार की दैनिक मजदूरी की दरें

प्रदेश स्तर की राज प्रथम श्रेणी की औसत मजूदरी रू0 531, राज द्वितीय श्रेणी रू0 481, बढ़ई प्रथम श्रेणी रू0 503, बढ़ई द्वितीय श्रेणी रू0 454, अकुशल मजदूर (पुरूष) रू0 326, अकुशल मजदूर (स्त्री) रू0 306 प्रति दिन पाया गया।

(iii) भवन निर्माण लागत सूचकांक वर्ष 2019—20

वर्ष 2019—20 में भवन निर्माण लागत सूचकांक **सबसे अधिक सूचकांक—**214.00 जनपद बिजनौर तथा **सबसे कम सूचकांक—**124.68 जनपद सोनभद्र का पाया गया।

******

अध्याय–8
संगणक अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण एवं विभिन्न समाजार्थिक सर्वेक्षण कार्यो के माध्यम से एकत्र कराये जा रहे आँकडों की डेटा इन्ट्री के लिए सॉफ्ट्वेयर विकास एवं उनके क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षण, आँकडों की डेटा प्रोसेसिंग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के आँकडों की पूलिंग संबंधी कार्य, प्रभागीय वेबसाइट का प्रबन्धन, स्थानीय निकाय के आय–व्यय के लेखा संबंधी डेटा इन्ट्री एवं रिपोर्टिंग संबंधी सॉफ्ट्वेयर के विकास का कार्य, सपोर्ट फॉर स्टैटिस्टिकल स्ट्रैन्थेनिंग (एस0एस0एस0) योजना के अन्तर्गत ''डेवलेपमेण्ट ऑफ सॉफ्ट्वेयर फॉर ऑफलाइन एण्ड ऑनलाइन डेटा इन्ट्री'' विषयक परियोजना में आई0आई0पी0, वा0उ0स0 एवं भाव सांख्यिकीय मॉड्यूल के अनुरक्षण का कार्य, समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों को सम्बन्धित अनुभाग से निस्तारित कराकर अपलोड करने सम्बन्धी कार्य संगणक अनुभाग द्वारा किये जा रहे हैं। वर्तमान में उक्त कार्यो के अतिरिक्त प्रभाग के क्षेत्रीय एवं मुख्यालय स्तर पर तैनात कार्मिकों की कम्प्यूटर दक्षता व कुशलता में अभिवृद्धि हेतु अनुभाग द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है ।

8.1 वर्ष 2020–21 में किये जाने वाले कार्य

- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 78वीं आवृत्ति सम्बन्धी डेटा इन्ट्री सॉफ्ट्वेयर का क्रियान्वयन सम्बन्धी कार्य किया गया ।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 76वीं आवृत्ति के विभिन्न अनुसूचियों का सारणीयन सम्बन्धी कार्य पूर्ण कर एक्सेल फारमेट के निर्धारित प्रारूप में परिवर्तित किया गया।
- राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 75वीं आवृत्ति के विभिन्न अनुसूचियों का सारणीयन सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया गया।
- ग्राम्य विकास कार्यो के मासिक प्रगति प्रतिवेदन सम्बन्धी सॉफ्ट्वेयर में आँकडों को वैलीडेट करने के लिए वैलीडेशन प्रोग्राम को सम्मिलित करते हुए संशोधित सॉफ्ट्वेयर का विकास कार्य किया गया।
- स्थानीय निकाय के आय–व्यय के लेखा सम्बन्धी वर्ष 2019–20 हेतु डेटा इन्ट्री एवं रिपोर्टिंग सम्बन्धी सॉफ्ट्वेयर के विकास का कार्य किया गया।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2017–18 के सारणीयन सम्बन्धी कार्य पूर्ण करते हुए तालिकाओं का निर्माण सम्बन्धी कार्य किया गया।
- ''डेवलेपमेण्ट ऑफ सॉफ्ट्वेयर फॉर ऑफलाइन एण्ड ऑनलाइन डेटा इन्ट्री'' एप्लीकेशन में आई0आई0पी0, वा0उ0स0 मॉड्यूल तथा भाव सांख्यिकीय मॉड्यूल के सुचारू रूप से संचालन हेतु प्रभाग एवं क्षेत्र स्तर से प्राप्त समस्याओं का निराकरण कराया गया।
- समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली (आई0जी0आर0एस0) के माध्यम से प्राप्त प्रकरणों को सम्बन्धित अनुभाग से निस्तारित कराकर, तत्संबंधी सूचनाओं को अपलोड करने सम्बन्धी कार्य किया जा रहा हैं।
- प्रभाग की वेबसाइट पर विभिन्न अनुभागों से समय–समय पर प्राप्त सूचनाओं को अपलोड कर अधुनान्त करने का कार्य किया जा रहा हैं।
- मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रभाग मुख्यालय स्तर पर समन्वय का कार्य किया गया।

****

अध्याय–9
ग्राफ अनुभाग

प्रभाग में स्थापित ग्राफ अनुभाग द्वारा मुख्यालय से प्रकाशित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रकाशनों व प्रतिवेदनों में प्रयुक्त होने वाले आवरण पृष्ठ, मानचित्र, ग्राफ व लेखाचित्र (चार्ट) को मुख्यालय स्तर पर कार्यरत कलाकार व वरिष्ठ कलाकार द्वारा तैयार किया जाता है। प्रभाग में विभिन्न प्रकार के आँकड़ों एवं प्रतिवेदनों को एक दृष्टि में अवलोकन हेतु ग्राफ, आरेख एवं मानचित्र तैयार किये जाते हैं।

9.1 क्षेत्रीय कार्यालयों में सम्पादित कार्य–

वर्तमान में विकास सम्बन्धी आँकड़ों को मण्डल के मानचित्र के अन्तर्गत जनपदों एवं जनपद के मानचित्रों में विकासखण्डो की परस्पर तुलनात्मक स्थिति को प्रतिबिम्बित करने के उद्देश्य से नियोजन एटलस का प्रकाशन किया जाता है।

जनपद व मण्डल स्तर पर प्रत्येक वर्ष नियोजन एटलस जी.आई.एस. आर्कव्यू सॉफ्ट्वेयर पर नियोजन एटलस को तैयार किया जाता है। नियोजन एटलस की संरचना में प्रयुक्त संकेतकों की सूचना में सांख्यिकीय पत्रिका के आँकड़ो का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकीय पत्रिका के प्रकाशनोपरान्त एक माह के पश्चात जनपदीय नियोजन एटलस का प्रकाशन किया जाता है तथा जनपदीय नियोजन एटलस के प्रकाशन के एक माह बाद मण्डलीय नियोजन एटलस का प्रकाशन किया जाता है।

मण्डलीय नियोजन एटलस में 72 मुख्य विकास संकेतकों के आधार पर मानचित्र व तालिकाओं को तैयार किया जाता है तथा जनपदीय नियोजन एटलस को 2 भागों में तैयार किया जाता है। प्रथम भाग में मण्डल के समस्त जनपदों के 30 विकास संकेतकों के आधार पर 30 तालिकायें व मानचित्र तथा द्वितीय भाग में विकास खण्डों के 69 मुख्य विकास संकेतकों के आधार पर 69 तालिकायें व मानचित्र को प्रदर्शित किया जाता है।

जनपद व मण्डल स्तर पर होने वाले प्रकाशन जैसे–सांख्यिकीय पत्रिका, समाजार्थिक समीक्षा, विकास खण्ड की सांख्यिकीय पत्रिका व समाजार्थिक समीक्षा में आँकड़ों के प्रस्तुतीकरण को आकर्षक एवं सुस्पष्ट बनाने हेतु लगाये जाने वाले रंगीन ग्राफ, आरेख एवं मानचित्र तैयार किये जाते है।

ग्राफ अनुभाग द्वारा प्रत्येक जनपद व मण्डल की नियोजन एटलस के प्रकाशन हेतु तकनीकी मार्गदर्शन व दिशा निर्देश तथा उनके परिनिरीक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता है।

9.2 वर्ष 2020–21 में सम्पादित किये गये कार्य

- रा0प्र0स0 75वीं आवृत्ति की अनुसूची की रिपोर्ट उ0प्र0 में सामाजिक उपभोग, शिक्षा का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- रा0प्र0स0 76वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.2 (पेयजल, स्वच्छता एवं आवासीय स्थिति) का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूँजी व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़ें, वर्ष 2018–19 का आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, वर्ष 2017–18 के रिपोर्ट लेखन में प्रयोगार्थ उत्तर प्रदेश का मानचित्र एवं आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- रा0प्र0स0 73वीं आवृत्ति अनुसूची 2.34 पर आधारित रिपोर्ट (A Report on unincorporated non agricultural enterprises conclusion construction) का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- रा0प्र0स0 74वीं आवृत्ति 2.35 पर आधारित रिपोर्ट Technical report on services sector enterprises in u.p. का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।

- रा0प्र0स0 75वीं आवृत्ति अनुसूची 25.0 (सामाजिक उपयोग स्वास्थ्य) पर आधारित रिपोर्ट का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- सांख्यिकीय डायरी, उत्तर प्रदेश, वर्ष–2020 (हिन्दी/अंग्रेजी संस्करण) का आवरण पृष्ठ, मानचित्र, ग्राफ/चार्ट एवं कैलेंडर 2021 तैयार किये गये।
- एक झलक उत्तर प्रदेश, वर्ष 2020 (हिन्दी/अंग्रेजी) का आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, वर्ष 2020–21 के प्रकाशन हेतु रंगीन आवरण पृष्ठ एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- उत्तर प्रदेश की आय व्ययक के आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण, वर्ष 2020–21 का रंगीन आवरण एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- राज्य आय अनुमान, उत्तर प्रदेश, वर्ष : 2011–12 से 2019–20 के प्रकाशन हेतु रंगीन आवरण पृष्ठ एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2019–20 का रंगीन आवरण पृष्ठ तैयार किया गया।
- सांख्यिकीय सारांश, उत्तर प्रदेश वर्ष–2020 के प्रकाशन हेतु रंगीन आवरण पृष्ठ, मानचित्र (उत्तर प्रदेश व भारत) एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़ें, वर्ष 2018 का रंगीन आवरण पृष्ठ, मानचित्र (भारत) एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- जिलेवार विकास संकेतक, वर्ष 2019 के रंगीन आवरण पृष्ठ मानचित्र (उत्तर प्रदेश) एवं ग्राफ/चार्ट तैयार किये गये।
- न्यूज लेटर का कार्य (जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक), (अप्रैल 2020 से सितम्बर 2020 तक) एवं (अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 तक) को तैयार किये गये।
- नियोजन एटलस, वर्ष 2020 को जी0आई0एस0 सॉफ्ट्वेयर के माध्यम से तैयार कर दिये गये निर्देश के अनुपालन में चित्रकूटधाम मण्डल, आजमगढ़ मण्डल एवं बस्ती मण्डल तथा 15 जनपद (सिद्धार्थनगर, संतकबीर नगर, बस्ती, बाँदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, आजमगढ़, मऊ, बलिया, फर्रूखाबाद, कन्नौज, इटावा, अमेठी व सुल्तानपुर) के नियोजन एटलस को तैयार कर जनपदों को प्रकाशन हेतु उपलब्ध कराया गया।
- उ0प्र0 में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय एवं रोजगार–बेरोजगारी की स्थिति (जनवरी–दिसम्बर वर्ष –2016) का रंगीन आवरण पृष्ठ, मानचित्र/चार्ट तैयार किये गये।
- 18 मण्डलों एवं 75 जनपदों की नियोजन एटलस–2019 का परिनिरीक्षण कर सम्बन्धित मण्डलों एवं जनपदों से पत्राचार द्वारा त्रुटियों/ कमियों को ठीक कराया गया।
- सांख्यिकीय दिवस से सम्बन्धित रंगीन बैनर तैयार किया गया।
- प्रभाग स्तर पर आयोजित होने वाली विभिन्न बैठकों व अन्य कार्यक्रमों में फोटोग्राफी का कार्य भी सम्पादित किया गया।
- जनपदीय व मण्डलीय कार्यालयों तथा प्रभाग मुख्यालय के अधिकारियों व कर्मचारियों के परिचय पत्र बनाने का कार्य किया।
- भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक वर्ष 2019–20 का रंगीन आवरण पृष्ठ, ग्राफ चार्ट एवं मानचित्र तैयार किया गया।
- अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े वर्ष 2019 का रंगीन आवरण पृष्ठ बनाने का कार्य किया।

******

अध्याय–10
वाह्य सहायतित कार्यक्रम एवं सर्वेक्षण अनुभाग

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की संस्तुतियों के क्रम में राज्यों के सांख्यिकीय प्रणाली की क्षमता को विकसित करते हुए भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की क्षमता एवं संचालन में वृद्धि करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में एक केन्द्र पुरोनिधानित योजना "इंडिया स्टैटिस्टिकल स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट" संचालित थी, जो उ0प्र0 में वर्ष 2015–16 में कार्यान्वित हुई और यह योजना 31.03. 2017 तक प्रभावी थी, परन्तु संबंधित योजना भारत सरकार द्वारा "केन्द्रीय सेक्टर" में वर्गीकृत किये जाने पर योजना अवधि मार्च 2020 तक विस्तारित कर दी गयी। वर्तमान में योजना का नाम **Support for Statistical Strengthening (SSS)** है।

10.1 प्रस्तावित कार्य–

दिनांक **03–11–2015** को हस्ताक्षरित MoU के सापेक्ष स्वीकृत कार्य योजना 43.86 करोड़ रूपए की धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015–16 के लिये 6.00 करोड रुपए की धनराशि अवमुक्त की गई है। योजना अवधि मार्च 2020 तक विस्तारित हो जाने व योजना के स्वरुप में परिवर्तन हो जाने के कारण संशोधित कार्य योजना का अनुमोदन राज्य व केन्द्र सरकार से प्राप्त होने के उपरान्त पुनः दिनांक **30.06.2018** को MoU हस्ताक्षरित किया गया।

वर्तमान में योजनान्तर्गत अपूर्ण कार्यों के दृष्टिगत पुनः योजना अवधि जून **2021** तक विस्तारित कर दी गयी है। हस्ताक्षरित संशोधित MoU में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित मदों के अन्तर्गत कार्य प्रस्तावित है–

क्र०स०	मद	आवंटन (धनराशि करोड़ में)
1	साँख्यिकीय अनुप्रयोग	4.082
2	डेटा गैप्स की पूर्ति हेतु विभिन्न चिन्हित विषयों पर अध्ययनोपरान्त तकनीकी समूह/संस्थाओं की संस्तुतियों का क्रियान्वयन।	7.8927
3	मानव संसाधन विकास संबंधी गतिविधियां	7.50
4	सांख्यिकीय प्रक्रिया एवं परिचालन की दक्षता में सुधार हेतु नवोन्मेष तकनीकी एवं रीति विधान का प्रयोग।	0.68
5	हितधारकों से विचार विमर्श तथा आँकड़ो के प्रयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को चिन्हित कर तदनुरुप सर्वेक्षण कार्य करना।	1.61
6	राज्य सांख्यिकीय प्रणाली के निष्पादन पर आधारित वार्षिक प्रतिवेदनों को सर्वसाधारण को उपलब्ध कराना एवं लागत सुधार तथा डेटा उपलब्धता में सुगमता संबंधी गतिविधियां।	0.75
7	आँकड़ों की गुणवत्ता एवं तत्सम्बन्धी सुधार हेतु उपाय।	17.0627
8	सांख्यिकीय उत्पादों एवं सेवाओं के प्रयोग में सुधार हेतु सूचना शिक्षा व संचार के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार।	2.49
	योग	**42.0674**

10.2 योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में सम्पादित कार्य–

MOSPI से प्राप्त SDG से संबंधित activities को SSS योजनान्तर्गत राज्य कार्यक्रम में सम्मिलित करने हेतु निर्देश व SSS योजना की संशोधित गाइडलाइन में विभिन्न कम्पोनेंट में reappropriation की सुविधा उपलब्ध होने के क्रम में Strengthening monitoring framework for SDG संबंधी SSS योजनान्तर्गत अवशेष धनराशि 0.98 करोड़ का प्रस्ताव दीर्घकालीन योजना प्रभाग से प्राप्त कर संशोधित राज्य कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया।

उक्त ''संशोधित राज्य कार्यक्रम'' का मुख्य सचिव, उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित (State high level Steering Committee) SHLSC से दिनांक 31.03.2021 को सम्पन्न बैठक में अनुमोदन प्राप्त किया गया। वर्तमान में केन्द्र स्तर पर गठित High level Steering Committee) HLSC से अनुमोदनार्थ संशोधित राज्य कार्यक्रम MOSPI को उपलब्ध कराया गया है।

10.3 आर्थिक गणना

आर्थिक गणना देश की भौगोलिक सीमाओं में स्थित समस्त उद्यमीय इकाईयों की राष्ट्रव्यापी सम्पूर्ण गणना है। आर्थिक विकास को स्थायी गति व दिशा देने, योजनाओं की वैज्ञानिक आधार पर संरचना करने, राज्य आय के आंगणन, सरकारी तथा निजी क्षेत्र के नव उद्यमियों के लिए समुचित नीति निर्धारण, वास्तविक नियोजन हेतु विश्वसनीय सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराने, वर्तमान व भावी पीढ़ी हेतु नीति निर्धारण तथा विकास कार्यक्रमों में आर्थिक गणना का अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान है।

आर्थिक गणना के अन्तर्गत देश/प्रदेश में संचालित प्रत्येक वह उद्यम अर्थात उपक्रम जो किसी वस्तु के उत्पादन या वितरण या किसी प्रकार की ऐसी सेवा में लगा हो, जो केवल अपने परिवार के उपभोग के लिए न हो, की गणना की जाती है। किसी उद्यम में काम करने वाले, परिवार के सदस्य अथवा भाड़े के श्रमिक अथवा दोनों हो सकते है। उद्यम का कार्य–कलाप एक या एक से अधिक स्थानों पर चलाया जा सकता है। गणना के समय उपलब्ध समस्त बारहमासी व मौसमी रूप में संचालित उद्यमों को सूचीबद्ध किया जाता है। उद्यमों की गणना करते समय बारहमासी उद्यमों के लिए पिछला कैलेण्डर वर्ष एवं मौसमी उद्यमों के लिए पिछले कार्यकारी मौसम को सन्दर्भ अवधि माना जाता है। वे उद्यम जिन्हें हाल ही में प्रारम्भ किया गया हो, की जानकारी गणना के दिनांक की स्थिति के अनुसार की जाती है।

आर्थिक गणना, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के मार्ग निर्देशन में अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उत्तर प्रदेश के द्वारा प्रथम बार वर्ष 1977 में करायी गयी थी। इसके उपरान्त वर्ष 1980 व 1990 में जनगणना के प्रथम चरण के साथ ही क्रमशः द्वितीय व तृतीय आर्थिक गणना के आँकड़े एकत्रित कराये गये। चतुर्थ आर्थिक गणना वर्ष 1998, पंचम आर्थिक गणना वर्ष 2005 तथा छठी आर्थिक गणना वर्ष 2012–13 में स्वतन्त्र रूप से सम्पन्न करायी गयी।

छठी आर्थिक गणना वर्ष 2012–13 में जनगणना–2011 के लिये बनाये गये प्रगणन खण्डों को ही आर्थिक गणना 2012–13 के सर्वेक्षण/गणना कार्य हेतु आधार बनाया गया। तद्नुसार ही प्रगणन खण्डों की Framing जनगणना–2011 में प्रयुक्त की गयी Abridged House List, Layout Map & Charge Register के अनुसार चिन्हित कर सर्वेक्षण/गणना कार्य सम्पन्न कराया गया है। उक्त आधार पर प्रदेश में 1,598 चार्जों के अन्तर्गत 3,95,223 प्रगणन खण्डों की गणना की गयी जिसमें 1,25,917 प्रगणक, 59,018 पर्यवेक्षक तथा 1,598 चार्ज अधिकारी लगाये गये। छठी आर्थिक गणना 2012–13 के मुख्य निष्कर्ष निम्नवत् हैं –

प्रदेश में छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अनुसार समस्त प्रकार के उद्यमों की संख्या 66,83,905 है जिनमें 14,45,337 कृषीय उद्यम में तथा 52,38,568 अकृषीय उद्यम पाये गये तथा इन संचालित उद्यमों में सामान्यतः कार्यरत व्यक्तियों की संख्या 1,41,18,052 पायी गयी है। छठी आर्थिक गणना 2012–13 एवं 5वीं आर्थिक गणना 2005 के आँकड़ों का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है :–

उद्यमों का विवरण

उद्यमों का प्रकार	उद्यमों की संख्या (प्रतिशत)		प्रतिशत वृद्धि (2005-2013)
	2005	2013	
ग्रामीण	2204893 (54.84)	4158955 (62.22)	88.62
नगरीय	1815717 (45.16)	2524950 (37.78)	39.06
कृषीय	257150 (06.40)	1445337 (21.62)	462.06
अकृषीय	3763460 (93.60)	5238568 (78.38)	39.20
कृषीय स्व–कार्यरत उद्यम	218813 (07.69)	1335658 (26.46)	510.41
गैर–कृषीय स्व–कार्यरत उद्यम	2625791 (92.31)	3712735 (73.54)	41.39
स्व–कार्यरत उद्यम	2844604 (70.75)	5048393 (75.53)	77.47
भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित उद्यम	1176006 (29.25)	1635512 (24.47)	39.07
भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित कृषीय उद्यम	38337 (03.26)	109679 (06.71)	186.09
भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित गैर–कृषीय उद्यम	1137669 (96.74)	1525833 (93.29)	34.12
कुल उद्यम	4020610 (100.00)	6683905 (100.00)	66.24

कार्यरत व्यक्तियों का विवरण

उद्यम के प्रकार के अनुसार कामगार	कार्यरत व्यक्तियों की संख्या (प्रतिशत)		प्रतिशत वृद्धि (2005-2013)
	2005	2013	
ग्रामीण उद्यमों में कार्यरत कामगार	4082391 (50.12)	7953379 (56.33)	94.82
नगरीय उद्यमों में कार्यरत कामगार	4062698 (49.87)	6164673 (43.67)	51.74
कृषीय उद्यमों में कार्यरत कामगार	521429 (6.40)	2721087 (19.27)	421.85
गैर–कृषीय उद्यमों में कार्यरत कामगार	7623660 (93.59)	11396965 (80.73)	49.49
कृषीय स्व–कार्यरत संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगार	409656 (10.80)	2416119 (32.47)	489.79
गैर–कृषीय स्व–कार्यरत संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगार	3383834 (89.20)	5026027 (67.53)	48.53
स्व–कार्यरत संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगार	3793490 (46.57)	7442146 (52.71)	96.18
भाड़े पर कार्यरत कम से कम एक व्यक्ति से संचालित उद्यमों में कार्यरत कामगार	4351599 (53.42)	6675906 (47.29)	53.41
प्रति उद्यम कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	2.03 व्यक्ति	2.11 व्यक्ति	-
प्रति संस्थान भाड़े पर	2.86 व्यक्ति	3.70 व्यक्ति	-
कुल उद्यमों में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या	8145089 (100.00)	14118052 (100.00)	73.33

10.3.1 प्रदेश में सम्पन्न करायी गयी आर्थिक गणना 1990, 1998, 2005 एवं 2013 के अनुसार उद्यम एवं रोजग़ारों में पायी गयी क्रमिक वृद्धि की प्रवृत्तिः

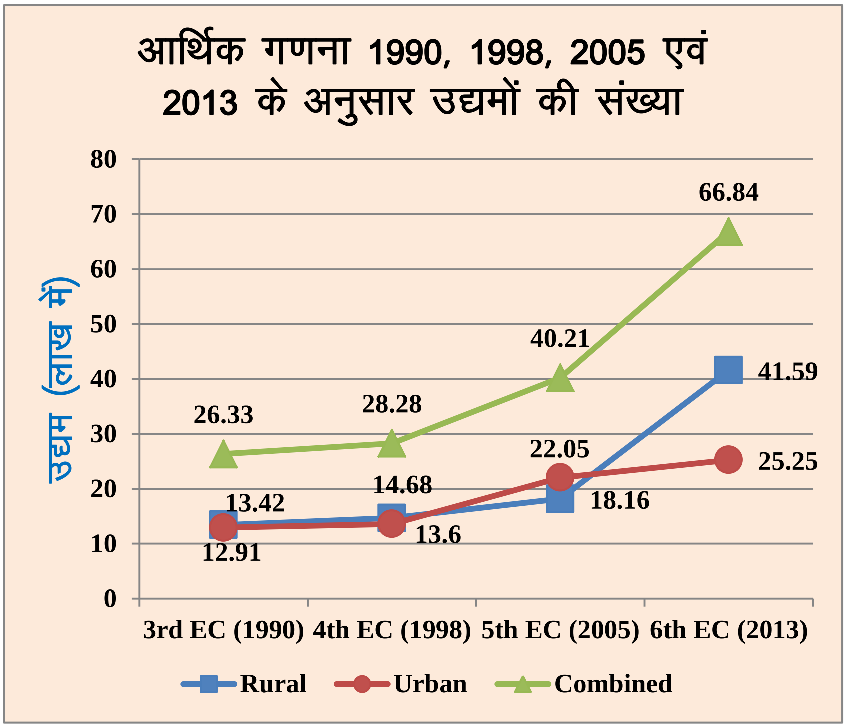

(i) प्रदेश में छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अन्तर्गत ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र में पाये गये उद्यमों की आर्थिक गणना 1998 एवं 2005 से तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। जिसके अन्तर्गत आर्थिक गणना 1998 में 13.60 लाख ग्रामीण, 14.68 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 28.28 लाख उद्यम के सापेक्ष आर्थिक गणना 2005 में 22.05 लाख ग्रामीण, 18.16 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 40.21 लाख उद्यम तथा आर्थिक गणना 2012–13 में 41.59 लाख ग्रामीण, 25.25 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 66.84 लाख उद्यम पाये गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रदेश में उद्यमों की संख्या में नगरीय क्षेत्र के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई और समग्र रूप से प्रदेश में उद्यमों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि पायी गयी है। आर्थिक गणना 1998 एवं 2005 में कृषि उत्पादन एवं बागवानी से सम्बन्धित उद्यमों को छोड़कर गणना करायी गयी थी, जबकि छठी आर्थिक गणना 2012–13 में कृषि उत्पादन एवं बागवानी के अतिरिक्त लोक प्रशासन, रक्षा और अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा सेवाओं की गतिविधियों के उद्यमों को भी गणना में छोड़ा गया है।

(ii) प्रदेश में छठी आर्थिक गणना 2012–13 के अन्तर्गत ग्रामीण, नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र में पाये गये कामगारों की आर्थिक गणना 1998 एवं 2005 से तुलनात्मक विश्लेषण किया गया। जिसके अन्तर्गत

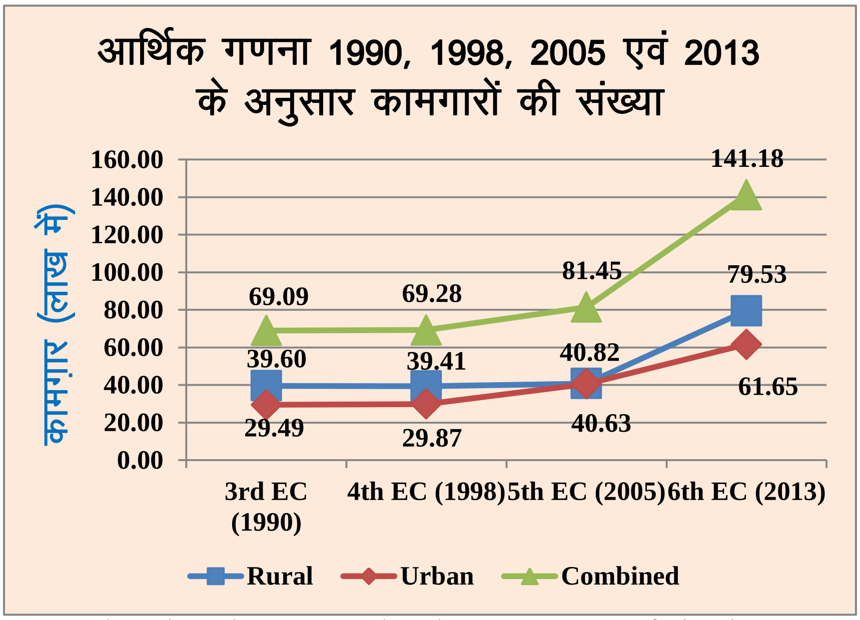

आर्थिक गणना 1998 में 29. 87 लाख ग्रामीण, 39.41 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 69.28 लाख कामगारों के सापेक्ष आर्थिक गणना 2005 में 40.82 लाख ग्रामीण, 40.63 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 81.45 लाख कामगार तथा आर्थिक गणना 2012–13 में 79.53 लाख ग्रामीण, 61.65 लाख नगरीय एवं संयुक्त क्षेत्र के कुल 141.18 लाख कामगार पाये गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रदेश में कामगारों की संख्या में नगरीय क्षेत्र के सापेक्ष ग्रामीण क्षेत्र में अधिक वृद्धि हुई है और समग्र रूप से प्रदेश में कामगारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि पायी गयी है।

10.3.2 सातवीं आर्थिक गणना–2019

- ❖ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार ने 7वीं आर्थिक गणना वर्ष 2019 का सर्वेक्षण/गणना कार्य कॉमन सर्विस सेन्टर, ई–गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लि० के माध्यम से सम्पादित कराये जाने का निर्णय लिया गया ।
- ❖ जिसमें आँकड़ा संग्रहण एवं प्रथम स्तर का पर्यवेक्षणीय कार्य कॉमन सर्विस सेन्टर, ई–गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लि० के द्वारा नियुक्त प्रगणकों/पर्यवेक्षकों के माध्यम से मोबाइल ऐप के माध्यम से एकत्रित किया गया।
- ❖ यह गणना कार्य 26.12.2019 से प्रारम्भ होने के उपरान्त आगामी साढ़े तीन माह में पूर्ण किया जाना निर्धारित था, परन्तु वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण उक्त कार्य दिनांक 31.12.2020 तक सम्पन्न करने हेतु सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया।
- ❖ देशव्यापी 7वीं आर्थिक गणना–2019 का गणना कार्य सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम–2008 के अन्तर्गत सम्पादित करायी गयी।
- ❖ वर्तमान में प्रदेश की अद्यावधिक भौगोलिक सीमा एवं प्रशासनिक इकाईयों के आधार पर 7वीं आर्थिक गणना–2019 प्रदेश के समस्त 75 जनपदों के सभी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सम्पन्न करायी गयी।
- ❖ जनपदों के नवसृजन एवं पुनर्गठन होने के कारण भौगोलिक सीमा के अनुसार क्षेत्र को समायोजित करके सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया।
- ❖ 7वीं आर्थिक गणना –2019 में ग्राम पंचायत को एक इकाई मानकर सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न किया गया।
- ❖ कॉमन सर्विस सेन्टर, ई–गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लि० ने 7वीं आर्थिक गणना–2019 के आँकड़ा संग्रहण एवं प्रथम स्तर का पर्यवेक्षणीय कार्य हेतु 2,22,305 प्रगणक एवं 48,648 VLEs/Supervisor Level-1 को प्रशिक्षित करने हेतु 600 से अधिक उप–जनपद स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित किये गये।
- ❖ कॉमन सर्विस सेन्टर, ई–गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लि० द्वारा संग्रहीत आँकड़ों की उच्च गुणवत्ता एवं शत–प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के दो विभागों यथा–अर्थ एवं संख्या प्रभाग एवं उद्योग विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा 8 प्रतिशत तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार के अन्तर्गत FOD के क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा 2 प्रतिशत सैम्पल के आधार पर द्वितीय स्तर का पर्यवेक्षणीय कार्य सम्पन्न किया गया।
- ❖ कॉमन सर्विस सेन्टर, ई–गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लि० ने द्वितीय स्तर के पर्यवेक्षणीय कार्य हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग के 681 एवं उद्योग विभाग के 109 अधिकारियों एवं कार्मिकों के लिये 4 राज्य स्तरीय एवं 5 सुपरवाइजर लेवल–2 का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
- ❖ उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (FOD), स्टेट कैपिटल, क्षेत्रीय कार्यालय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति (SLOC) का गठन किया गया है। जिसकी अब तक 5 बैठकें 7वीं आर्थिक गणना–2019 के सर्वेक्षण, एरिया फ्रेम, एम०आई०एस० डैशबोर्ड लॉगिन एवं द्वितीय स्तर के पर्यवेक्षणीय कार्य में आ रही समस्याओं के निराकरण करने के सम्बन्ध में आयोजित की गयी।
- ❖ 7वीं आर्थिक गणना–2019 के सर्वेक्षण एवं द्वितीय स्तर के पर्यवेक्षणीय कार्य के अतिरिक्त प्रगति एवं प्राप्त आँकड़ों का अनुश्रवण करने के सम्बन्ध में भारत सरकार ने निम्न तीन वेबिनार आयोजित किये गये–

  1. Web-Meeting to review status of 7th Economic Census with State/UT government officers of Himachal Pradesh, Rajasthan and Uttar Pradesh through the Microsoft Team platform on 31st August, 2020.
  2. Web-Meeting for discussion on 7th Economic Census Provisional Result with State of Uttar Pradesh on 28th October, 2020.
  3. Web-Meeting for discussion on completion/ coverage of fieldwork and subsequent activities to be initiated of 7th Economic Census with State of Uttar Pradesh on 25th January, 2021.

- ❖ दिनांक 31.12.2020 तक कॉमन सर्विस सेन्टर, ई–गवर्नेन्स सर्विसेज इण्डिया लि० के द्वारा नियुक्त प्रगणकों ने प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में लगभग 6,81,18,862 आर्थिक गणना परिवारों से अपेक्षित सूचना सम्बन्धित पोर्टल पर एकत्र की गयी है।
- ❖ दिनांक 31.01.2021 तक उक्त 6,81,18,862 आर्थिक गणना परिवारों के सापेक्ष 5,13,11,929 आर्थिक गणना परिवारों (75.55 प्रतिशत) के आँकड़ों को द्वितीय स्तर के पर्यवेक्षकों के द्वारा अप्रूव्ड किया गया।
- ❖ 7वीं आर्थिक गणना **शत–प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित** है। भारत सरकार की अपेक्षानुसार 7वीं आर्थिक गणना के क्षेत्रीय कार्य के पर्यवेक्षण में लगे कार्मिकों को मानदेय का भुगतान Public Finance Management System (PFMS) के द्वारा किया जायेगा।

******

अध्याय– 11
प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग

11.1 प्रभाग के महत्वपूर्ण नियमित प्रकाशन

प्रभाग मुख्यालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा नियमित रूप से निम्नांकित प्रकाशनों की पाण्डुलिपियां प्रकाशन एवं प्रचार अनुभाग को मुद्रण की कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी जाती है।

क0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन से सम्बन्धित अनुभाग	प्रकाशन का संस्करण	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष
1	साँख्यिकीय डायरी, उ0प्र0 (हिन्दी संस्करण)	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1968
2	उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में)	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1991
3.	उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1994–95
4.	राज्य आय अनुमान, उ0प्र0	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1950–51
5.	उ0प्र0 का आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1965–66
6.	राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 का कार्य विवरण	क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग के समन्वय से राज्य नियोजन संस्थान के सभी प्रभाग	वार्षिक	
7.	सांख्यिकीय सारांश उ0प्र0	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1961
8.	जिलेवार विकास संकेतक	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1978
9.	अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1976
10	अन्तर्जनपदीय आँकड़े	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1976
11.	साँख्यिकीय डायरी उ0प्र0 (अंग्रेजी संस्करण)	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	1968
12.	उत्तर प्रदेश एक झलक (आँकड़ों में) (अंग्रेजी संस्करण)	डेटा बैंक अनुभाग	वार्षिक	2009
13.	जिला घरेलू उत्पाद अनुमान उ0प्र0	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	2019–20
14.	वार्षिक प्रतिवेदन	समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग	वार्षिक	2011

11.2 तदर्थ प्रकाशन

क0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का वर्ष
1.	आर्थिक गणना (प्रत्येक 5 वर्ष में)	1977

11.3 चक्रमुद्रित प्रकाशन

क0सं0	प्रकाशन का नाम	प्रकाशन का सम्बन्धित अनुभाग	प्रकाशन का संस्करण	कार्य प्रारम्भ होने का वर्ष
1.	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण अनुभाग	वार्षिक	1964–65
2.	स्थानीय निकायों के आय–व्यय, पूँजी–व्यय, स्वच्छता सेवा एवं रोजगार सम्बन्धी आँकड़े	राज्य आय अनुभाग	वार्षिक	1967–68
3.	भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक	आवास सांख्यिकी अनुभाग	वार्षिक	1981–82

मुद्रित प्रकाशनों का वितरण जनपदीय/मण्डलीय कार्यालयों में प्रभाग द्वारा किया जाता है।

11.4 वर्ष 2020–21 में मुद्रित प्रकाशन

1	साँख्यिकीय डायरी उ0प्र0(हिन्दी) 2020	वार्षिक
2	उ0प्र0 एक झलक (आँकड़ों में) 2020	वार्षिक
3	उ0प्र0 की आर्थिक समीक्षा 2020–21	वार्षिक
4	जिला घरेलू उत्पाद अनुमान उ0प्र0 2019–20	वार्षिक
5	उ0प्र0 के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्यात्मक वर्गीकरण 2020–21	वार्षिक
6	राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0 का कार्य विवरण 2020–21	वार्षिक
7	राज्य आय अनुमान, उ0प्र0 2011–12 से 2018–19	वार्षिक
8	राज्य आय अनुमान, उ0प्र0 2011–12 से 2019–20	वार्षिक
9	वार्षिक प्रतिवेदन 2018–19	वार्षिक
10	अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आँकड़े 2018	वार्षिक
11	सांख्यिकीय सारांश उ0प्र0 2019	वार्षिक
12	साँख्यिकीय डायरी उ0प्र0(अंग्रेजी) 2019	वार्षिक
13	U•P• AT A GLANCE (in figure) 2019	वार्षिक
14	त्रैमासिक न्यूज लेटर, जुलाई– सितम्बर 2019	त्रैमासिक
15	त्रैमासिक न्यूज लेटर, अक्टूबर–दिसम्बर 2019	त्रैमासिक
16	त्रैमासिक न्यूज लेटर, जनवरी–मार्च 2020	त्रैमासिक
17	भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक बस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा लागत सूचकांक 2018–19	वार्षिक

******

अध्याय–12
समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग

अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के उद्‌देश्य से एक विशेष अनुभाग की स्थापना अनुसंधान अनुभाग नाम से की गयी थी। इस अनुभाग में सम्पादित किये जा रहे कार्यो को देखते हुये इसे अनुसंधान अनुभाग से परिवर्तित कर समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग किया गया। 13 अगस्त, 2007 को समन्वय एवं अनुश्रवण अनुभाग से ही सम्बद्ध एक रिसर्च सेल की स्थापना की गयी, जिसके द्वारा समय–समय पर विभिन्न विषयों पर पेपर/प्रस्तुतीकरण तैयार किये गये। दिनांकः 06.10.2008 को इस अनुभाग का नाम पुनः संशोधित करते हुये समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग रख दिया गया। सम्यक विचारोपरान्त रिसर्च सेल को दिनांक 12.08.2009 को समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग में विलीन कर दिया गया।

12.1 मुख्य उद्‌देश्य

इस अनुभाग का मुख्य उद्‌देश्य अर्थ एवं संख्या प्रभाग, केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, राज्य सरकार तथा राज्य योजना आयोग के मध्य समन्वय स्थापित करने के साथ प्रभाग के विभिन्न अनुभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, प्रस्तुतीकरण तथा शोध सम्बन्धी कार्य करना एवं भारत सरकार/राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिलवाना है।

12.2 सम्पादित कार्यों का विवरण

- समन्वय, प्रशिक्षण एवं शोध अनुभाग द्वारा भारत सरकार, उ0 प्र0 शासन, प्रदेश के अन्य विभागों, अर्थ एवं संख्या प्रभाग के मण्डलों एवं जनपदीय कार्यालयों के साथ समन्वय स्थापित करते हुये भारत सरकार एवं शासन को सूचना का प्रेषण।
- मण्डलों एवं जनपदों के समग्र कार्यो की सूचना प्राप्त कर मण्डलीय उपनिदेशकों एवं जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारियों की जनपद एवं मण्डल के कार्यो की समीक्षा कराना।
- मण्डलीय अधिकारियों द्वारा किये गये कार्यालय निरीक्षण की समीक्षा कराना।
- शासन की मांग के अनुसार प्रभाग की कार्य योजना (टास्क सेटिंग) तथा माहवार प्रगति रिपोर्ट, प्रभाग द्वारा किये जा रहे प्रत्येक माह महत्वपूर्ण कार्य की रिपोर्ट तथा अधिष्ठान एवं लम्बित प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना शासन द्वारा निर्धारित रूप पत्रों पर उपलब्ध कराना।
- समय–समय पर भारत सरकार, राज्य सरकार व अन्य द्वारा आयोजित प्रशिक्षण/सेमिनार कार्यक्रम में प्रभाग, मण्डल एवं जनपद स्तर के कार्मिकों को नामित कराना।
- विभागीय तकनीकी एवं सलाहकार समिति की बैठकों का आयोजन व अन्य सम्बन्धित कार्य।
- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किये जा रहें केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों का सम्मेलन (**COCSSO**) में राज्यों की सांख्यिकीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के अन्तर्गत की जा रही संस्तुतियों की कार्यान्वयन आख्या प्रदेश के अन्य विभागों व प्रभाग के अन्य अनुभागों से प्राप्त कर संकलित रूप में भारत सरकार को भिजवानें के कार्य को भी सम्पादित किया जाता है।

- केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष सम्मेलन आयोजित किये जाने वाले केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों के सम्मेलनों (**COCSSO**) हेतु प्रस्तुतीकरण तैयार किये जाते हैं।
- राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग द्वारा की गयी संस्तुतियों से सम्बन्धित कार्य।
- प्रभाग का त्रैमासिक **News Letter ESR, U.P.** का प्रकाशन प्रभाग द्वारा दिसम्बर 2008 से किया जा रहा है। इस News Letter का उद्देश्य प्रभाग के समस्त कार्यकलापों, अधुनान्त सूचकांको व प्रकाशित रिपोर्ट के मुख्य अंश तथा अन्य सांख्यिकीय कार्यो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना है।
- भारत सरकार के निर्देश के क्रम में स्व० प्रो0 पी0 सी0 महालनोबिस के जन्मदिवस पर प्रत्येक वर्ष दिनांक 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस एवं प्रत्येक 5. वर्ष में 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया जाता है। सांख्यिकी दिवस हेतु विषय का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस से सम्बन्धित आख्या (फोटो सहित) प्रकाशन हेतु **CSO** भारत सरकार को भेजी जाती है।

12.3 वर्ष 2020–21 में सम्पादित कार्य

- प्रभाग द्वारा प्रत्येक माह किये गये महत्वपूर्ण कार्यो की मासिक प्रगति रिर्पोट तैयार की गयी।
- स्व० प्रो0 पी0सी0 महालनोबिस के जन्मदिवस पर 14वां राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस दिनांक 29–06–2020 का आयोजन अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा किया गया। भारत सरकार द्वारा इस वर्ष का विषय **SDG Goal 3-** Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages एवं **Goal 5-** Achieve gender equality and empower all women and girls निर्धारित किया गया। इस. वर्ष 20 अक्टूबर 2020 को विश्व सांख्यिकी दिवस का भी आयोजन किया गया।
- राज्य सरकार/विभिन्न संस्थाओं/प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा आयोजित विभिन्न विषयक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रभाग के 21 अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलवाया गया।
- भारत सरकार/ शासन से प्राप्त विविध प्रकरणों से संबधित कार्य भी किये जाते हैं।
- नियोजन विभाग का रिजल्ट फ्रेमवर्क डाक्यूमेन्ट तैयार करने हेतु अर्थ एवं संख्या प्रभाग से सम्बन्धित सूचना तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी।
- शासन से प्राप्त विविध प्रकरणों से सम्बन्धित सूचना शासन को प्रेषित की गयी।
- मण्डलीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा हेतु समीक्षा बैठक आयोजित की गयी।
- अपर मुख्य सचिव, नियोजन, उ0प्र0 शासन की समीक्षा बैठक हेतु सूचना तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी।
- प्रत्येक माह प्रभाग के शासन स्तर पर लम्बित प्रकरणों की सूचना एवं प्रभाग के निस्तारित प्रकरणों की सूचना तैयार कर शासन को प्रेषित की गयी।
- प्रत्येक माह टास्क सेटिंग की सूचना तैयार कर अनुमोदित करायी. गयी।
- न्यूज लेटर अप्रैल–सितम्बर 2020 तथा अक्टूबर–दिसम्बर 2020 तैयार कर प्रकाशित कराया गया।

******

अध्याय–13
स्थापना अनुभाग

वर्ष 1931 में प्रभाग के अस्तित्व में आते ही स्थापना अनुभाग की स्थापना की गयी तत्समय से ही निम्न प्रकार के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा हैः–

- प्रशासनिक व्यवस्था– मण्डल/जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना।
- नियुक्ति– शासन द्वारा प्रभाग में सृजित पदों पर कार्मिकों की नियुक्ति की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- पदोन्नति – संवर्ग की प्रख्यापित सेवा नियमावली के अनुसार पदोन्नति के पदों पर कार्मिकों की पदोन्नति हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- स्थायीकरण– प्रभाग में नियुक्त कार्मिकों का नियमानुसार स्थायीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- ज्येष्ठता– प्रभाग में नियुक्त कार्मिकों की नियमानुसार ज्येष्ठता की कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- समयमान वेतनमान/वित्तीय स्तरोन्नयन–शासन द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार कार्मिकों को लाभ दिये जाने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करना।
- सेवा संबंधी अन्य प्रकरण।
- शासन द्वारा सौपे गये अन्य कार्य।
- स्थापना संबंधी सूचनाओं का प्रेषण।

13.1 वर्ष 2020–21 में सम्पादित कार्य

अधियाचन

- 02 अर्थ एवं संख्याधिकारियों का अधियाचन लोक सेवा आयोग प्रयागराज को भेजने हेतु प्रस्ताव शासन भेजा गया।
- 112 सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया।
- 25 वाहन चालकों का अधियाचन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा गया।

नियुक्ति

- कनिष्ठ सहायक के पद पर मृतक आश्रित के रूप में 09 अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।
- सहायक साँख्यिकीय अधिकारी के पद पर 12 अभ्यार्थियों के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।
- मृतक आश्रित के रूप में 01 चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति आदेश जारी किया गया।

स्थाईकरण

- 05 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों का स्थायीकरण किया गया।

पदोन्नति

- अपर सांख्यिकीय अधिकारी पद से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर 20 कार्मिकों की डी0पी0सी0 लोक सेवा आयोग प्रयागराज में करायी गयी।
- 07 कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 06 वाहन चालकों को ड्राइवर ग्रेड–1 से ड्राइवर (विशेष ग्रेड) के पद पर पदोन्नत किया गया।
- 01 वाहन चालक को ड्राइवर ग्रेड–3 से ड्राइवर ग्रेड–2 के पद पर पदोन्नत किया गया।

ए0सीपी0

- 12 अपर सांख्यिकीय अधिकारियों को 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ दिया गया।
- 02 सहायक सांख्यिकीय अधिकारियों को 16/26 वर्ष की सेवा पर द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किया गया।
- 01 वरिष्ठ कलाकार को 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किया गया।
- चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों कों 10/16/26 वर्षीय प्रथम/द्वितीय/तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत किया गया।

सेवा निवृत्ति

वर्ष में 01 संयुक्त निदेशक, 04 अपर सांख्यिकीय अधिकारी, 02 वैयक्तिक सहायक, 08 वरिष्ठ सहायक, 01 चालक एवं 03 चतुर्थ श्रेणी कार्मिक, कुल 19 कार्मिकों की अधिवर्षता आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त हुए।

नकदीकरण

- 01 संयुक्त निदेशक का नकदीकरण स्वीकृत किया गया।
- 02 अर्थ एवं संख्याधिकारी का नकदीकरण स्वीकृत किया गया।
- 09 अपर सांख्यिकीय अधिकारियों का नकदीकरण स्वीकृत किया गया।
- 01 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी का नकदीकरण स्वीकृत किया गया।
- 13 अनुसचिवीय कार्मिकों का नकदीकरण स्वीकृत किया गया।
- 03 वाहन चालकों का नकदीकरण स्वीकृत किया गया।
- 01 वरिष्ठ कलाकार का नकदीकरण स्वीकृत किया गया।

अवकाश यात्रा

- 09 राजपत्रित अधिकारियों को अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत स्पेशल कैश पैकेज सुविधा प्रदान की गयी।
- 72 अपर सांख्यिकीय अधिकारियों को अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत अवकाश यात्रा/स्पेशल कैश पैकेज सुविधा प्रदान की गयी।
- 01 सहायक सांख्यिकीय अधिकारी का अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत स्पेशल कैश पैकेज सुविधा प्रदान की गयी।

- 05 वरिष्ठ कलाकार को अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत स्पेशल कैश पैकेज सुविधा प्रदान की गयी। 27 अनुसचिवीय कार्मिकों को अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत स्पेशल कैश पैकेज सुविधा प्रदान की गयी।
- 01 वैयक्तिक सहायक ग्रेड–2 को अवकाश यात्रा सुविधा स्वीकृत किया गया।
- 21 चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को अवकाश यात्रा सुविधा के अन्तर्गत स्पेशल कैश पैकेज सुविधा प्रदान की गयी।

अन्य महत्वपूर्ण कार्यः–

- शासन द्वारा समय–समय पर स्थापना अनुभाग से संबंधित वांछित सूचनाओं का प्रेषण किया गया।
- अराजपत्रित कार्मिकों की लम्बित वार्षिक चरित्र प्रविष्टियों को प्राप्त कराने हेतु नियमित अनुश्रवण कराया गया।
- मृतक आश्रितो की भर्ती की कार्यवाही तथा चतुर्थ श्रेणी से कनिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति हेतु परीक्षाओं का आयोजन कराया गया।
- मा0 सर्वोच्च न्यायालय तथा मा0 उच्च न्यायालय के कोर्ट के प्रकरणों में सहयोग किया गया।
- स्थापना संबंधी लम्बित प्रकरणों की समीक्षा/निस्तारण हेतु जनपद कार्यालयों में निरीक्षण किया गया।

****

अध्याय–14
लेखा अनुभाग

प्रभाग के लेखा अधिष्ठान से सम्बन्धित कार्य के सम्पादन हेतु मुख्यालय पर दो अनुभाग हैं।

- लेखा अनुभाग–1
- लेखा अनुभाग–2

14.1 लेखा अनुभाग–1 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- प्रभाग मुख्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों, मण्डलीय उप निदेशकों एवं जनपद के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के वार्षिक सेवा सत्यापन एवं अवकाश लेखे का रख–रखाव।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति देयकों के निस्तारण।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं मुख्यालय पर कार्यरत समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन निर्धारण का कार्य।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि की स्वीकृति।
- क्षेत्र में कार्यरत कार्यालयाध्यक्षों एवं प्रभाग के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं का रख–रखाव।
- कर्मचारियों/अधिकारियों की पूर्व विभाग में की गयी सेवा को वर्तमान विभाग की सेवा में जोड़ने का कार्य।
- दिनांक 1.1.2016 से पूर्व से0नि0 अधिकारियों/कर्मचारियों का प्रकल्पित वेतन निर्धारण कर पेंशन पुनरीक्षण का कार्य।
- मुख्यालय के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों तथा क्षेत्र के कार्यालयाध्यक्षों की पारिवारिक पेंशन सम्बन्धी कार्य।
- मुख्यालय/मण्डलों/जनपदों के समस्त प्रकार के कालातीत देयकों को कालातीत से मुक्त कराने सम्बन्धी कार्यवाही।
- जनपदों/मण्डलों के सरकारी वाहनों को निष्प्रयोज्य कराने सम्बन्धी कार्यवाही करना।
- मानव सम्पदा पोर्टल पर प्रभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्मिकों का डाटा फीडिंग का कार्य।
- निदेशक, आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग से वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन प्राप्त करना।
- अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार जनपदीय अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालयो का आंतरिक लेखा परीक्षण संबंधी कार्य।

- जनपदो से प्राप्त आंतरिक लेखा परीक्षण की अनुपालन आख्या मंगाकर परीक्षण करना तथा अनिस्तारित प्रस्तरों का निस्तारण कराना।
- आंतरिक लेखा परीक्षण कार्य की त्रैमासिक/वार्षिक रिर्पोट तैयार कर निदेशक, आंतरिक परीक्षा विभाग को भेजने संबंधी कार्य।
- लेखा परीक्षा समिति/उप समिति की बैठक आडिट एवं लेखा कैडर के गठन की स्थिति एवं आडिट की गुणवत्ता आदि से सम्बन्धित समीक्षा बैठक की सूचना तैयार कर निदेशक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को भेजने का कार्य।
- प्रभाग मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को बजट आवंटन।
- विभिन्न प्रभागीय योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था हेतु शासन को आय—व्ययक प्रेषित करना।
- एस0एन0डी0 के माध्यम से नयी योजनाओं की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित करना।
- निष्प्रयोज्य वाहन के पुनर्स्थापना की कार्यवाही की गयी।
- अतिरिक्त अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था हेतु पुनर्विनियोग/अनुपूरक माँग के प्रस्ताव प्रेषित करना।
- प्रभाग में प्रचलित परियोनाओं के अन्तर्गत हुए अन्तिम व्यय/बचत की सूचना ससमय शासन को प्रेषित करना।
- भारत के नियन्त्रक महालेखा परीक्षक के ऑडिट प्रस्तरों का निस्तारण करना।
- विनियोग लेखा तैयार कर महालेखाकार कार्यालय का प्रेषण।
- प्रभाग मुख्यालय का बी.एम.—4 तैयार करना एवं क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त बी.एम.—4 संकलित कर कार्यालय महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)—प्रथम, उ.प्र., प्रयागराज को प्रत्येक माह भेजना।
- वर्ष के अन्तर्गत प्रत्येक त्रैमास में महालेखाकर कार्यालय में पुस्तांकित आँकड़ों से प्रभागीय व्यय के आँकड़ों का मिलान।

14.2 लेखा अनुभाग—2 में सम्पादित होने वाले कार्यों का विवरण

- वेतन का आहरण/भुगतान।
- प्रभाग मुख्यालय के राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि पासबुकों को अधुनान्त कर रख—रखाव करना।
- समय—समय पर प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय अवशेष राशि का आहरण/भुगतान करना।
- प्रभाग के सेवानिवृत्त कार्मिकों की सामान्य भविष्य निधि से 90 प्रतिशत स्वीकृति/भुगतान की समस्त औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना यथा महालेखाकार से मिलान/जाँचकर्ता लेखा प्राधिकारी की संस्तुतियां प्राप्त किया जाना।
- समय—समय पर स्वीकृत महंगाई भत्तों की किश्तों का आहरण/भुगतान करना।
- सेवानिवृत्त कार्मिकों के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण का आहरण तथा सेवानिवृत्ति उपरान्त देय सामूहिक बीमें की राशि के आहरण हेतु समुचित कार्यवाही उपरान्त भुगतान करना।

- चिकित्सा दावों की स्वीकृति/भुगतान की कार्यवाही सहित सक्षम जाँचकर्ता प्राधिकारी की संस्तुति प्राप्त किया जाना।
- प्रभाग के कार्मिकों द्वारा आवेदित भवन निर्माण, भवन मरम्मत, वाहन अग्रिम हेतु शासन से अग्रिम स्वीकृति हेतु धनराशि की माँग, स्वीकृति, आहरण/भुगतान करना।
- प्रभाग की सामान्य व्यवस्था के संचालन हेतु आकस्मिक व्यय बिलों आदि के आहरण/भुगतान की कार्यवाही।
- प्रभाग मुख्यालय के अतिरिक्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यालयों से सेवानिवृत्त होने वाले राजपत्रित/अराजपत्रित कार्मिकों के 90 प्रतिशत जी0पी0एफ0 की स्वीकृति, राजपत्रित अधिकारियों के सामान्य भविष्य निधि के अग्रिमों की स्वीकृति संबंधी कार्यो का सम्पादन।
- रूपया 500000/– तक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति प्रभाग से प्रदान किया जाना तथा रूपया 500000/– से अधिक के प्राप्त चिकित्सा दावों की स्वीकृति हेतु शासन को यथोचित प्रस्ताव भेजे जाने संबंधी कार्य तथा उपचार समाप्ति के तीन माह के पश्चात् प्राप्त चिकित्सा दावें की स्वीकृति पूर्व प्रशासनिक विभाग से विलम्बमर्षण की अनुमति प्राप्त किया जाना।

******

अध्याय–15
क्षेत्रीय स्तर पर सम्पादित किये जाने वाले कार्य

प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किये गये महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण इस अध्याय में दिया जा रहा है।

15.1 भाव एवं मजदूरी दरों का एकत्रण

जनपद कार्यालय द्वारा विभिन्न प्रकार के भावों एवं दरों का एकत्रण निर्धारित दिवस पर किया जाता है जिनका विवरण निम्नवत् है, जो कि ''√'' से प्रदर्शित हैं :–

भाव/मजदूरी दरों का प्रकार

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सहारनपुर	√	√	√	√	√
2	मुजफ्फर नगर	√	√	√	√	√
3	शामली		√	√	√	√
4	बिजनौर	√	√	√	√	√
5	मुरादाबाद	√	√	√	√	√
6	रामपुर	√	√	√	√	√
7	ज्योतिबाफूले नगर		√	√	√	√
8	सम्भल		√	√	√	√
9	मेरठ	√	√	√	√	√
10	बागपत		√	√	√	√
11	गाजियाबाद	√	√	√	√	√
12	गौतमबुद्व नगर	√	√	√	√	√
13	बुलन्दशहर	√	√	√	√	√
14	हापुड़		√	√	√	√
15	अलीगढ़	√	√	√	√	√
16	हाथरस	√	√	√	√	√
17	एटा	√	√	√	√	√
18	कासगंज	√	√	√	√	√
19	मथुरा	√	√	√	√	√
20	आगरा	√	√	√	√	√
21	फिरोजाबाद	√	√	√	√	√
22	मैनपुरी		√	√	√	√
23	बदायूँ	√	√	√	√	√

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24	बरेली	√	√	√	√	√
25	पीलीभीत		√	√	√	√
26	शाहजहाँपुर	√	√	√	√	√
27	खीरी	√	√	√	√	√
28	सीतापुर	√	√	√	√	√
29	हरदोई	√	√	√	√	√
30	उन्नाव	√	√	√	√	√
31	लखनऊ	√	√	√	√	√
32	रायबरेली	√	√	√	√	√
33	फर्रूखाबाद	√	√	√	√	√
34	कन्नौज	√	√	√	√	√
35	इटावा	√	√	√	√	√
36	औरैया		√	√	√	√
37	कानपुर देहात		√	√	√	√
38	कानपुर नगर	√	√	√	√	√
39	जालौन	√	√	√	√	√
40	झाँसी	√	√	√	√	√
41	ललितपुर	√	√	√	√	√
42	हमीरपुर	√	√	√	√	√
43	महोबा	√	√	√	√	√
44	बाँदा	√	√	√	√	√
45	चित्रकूट	√	√	√	√	√
46	फतेहपुर	√	√	√	√	√
47	प्रतापगढ़		√	√	√	√
48	कौशाम्बी	√	√	√	√	√
49	प्रयागराज	√	√	√	√	√
50	बाराबंकी	√	√	√	√	√
51	अयोध्या		√	√	√	√
52	अम्बेदकर नगर	√	√	√	√	√
53	सुल्तानपुर	√	√	√	√	√
54	अमेठी		√	√	√	√
55	बहराइच	√	√	√	√	√
56	श्रावस्ती	√	√	√	√	√
57	बलरामपुर		√	√	√	√
58	गोण्डा	√	√	√	√	√

क्र.सं.	जनपद	थोक भाव	ग्रामीण फुटकर भाव	नगरीय फुटकर भाव	ग्रामीण मजदूरी दरें	नगरीय मजदूरी दरें
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
59	सिद्वार्थनगर	√	√	√	√	√
60	बस्ती		√	√	√	√
61	संतकबीर नगर		√	√	√	√
62	महराजगंज		√	√	√	√
63	गोरखपुर	√	√	√	√	√
64	कुशीनगर		√	√	√	√
65	देवरिया	√	√	√	√	√
66	आजमगढ़	√	√	√	√	√
67	मऊ		√	√	√	√
68	बलिया	√	√	√	√	√
69	जौनपुर	√	√	√	√	√
70	गाजीपुर	√	√	√	√	√
71	चन्दौली	√	√	√	√	√
72	वाराणसी	√	√	√	√	√
73	संतरविदास नगर	√	√	√	√	√
74	मिर्जापुर	√	√	√	√	√
75	सोनभद्र	√	√	√	√	√

इसके अतिरिक्त कच्चे ऊन के थोक भाव 5 केन्द्रों झाँसी, प्रयागराज, सन्तरविदास नगर, जौनपुर एवं रायबरेली से संग्रहित किये जाते हैं। 67 आवश्यक वस्तुओं के साप्ताहिक फुटकर भाव प्रदेश के 18 मण्डलीय जनपदों से प्रत्येक शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं। हापुड़ मण्डी के 11 आवश्यक वस्तुओं के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं। कानपुर केन्द्र के बड़ी इलायची के थोक भाव माह के प्रथम शुक्रवार को संग्रहित किये जाते हैं।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा ग्रामीण फुटकर भाव/दरों का 6 से कम विकास खण्ड वाले जनपदों में प्रतिमाह एक निरीक्षण एवं 6 या उससे ऊपर की स्थिति में प्रतिमाह 2 निरीक्षण किये जाते हैं। उपनिदेशक द्वारा इन मदों का विभिन्न जनपदों में प्रतिमाह कम से कम 2 निरीक्षण किये जाते हैं।

जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा नगरीय फुटकर भाव/मजदूरी दरों का प्रत्येक दो माह में कम से कम 1 बार तथा उपनिदेशक द्वारा प्रतिमाह विभिन्न जनपदों में दो निरीक्षण किये जाते है।

15.2 मण्डलीय उपनिदेशक (अर्थ एवं संख्या)/क्षेत्रीय अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा भाव एवं मजदूरी दरों के किये गये निरीक्षणों की संख्या वर्ष 2020–21

क्र. सं	जनपद/मण्डल का नाम	भाव एवं मजदूरी दरों के निरीक्षणों की संख्या
1	2	3
1	सहारनपुर	51
2	मुजफ्फरनगर	28
3	शामली	27

(I)	सहारनपुर मण्डल	51
	योग सहारनपुर (मण्डल एवं जनपद)	**157**
4	बिजनौर	58
5	मुरादाबाद	98
6	रामपुर	34
7	अमरोहा	18
8	सम्भल	55
(II)	मुरादाबाद मण्डल	97
	योग मुरादाबाद (मण्डल एवं जनपद)	**360**
9	मेरठ	28
10	बागपत	34
11	गाजियाबाद	28
12	गौतमबुद्ध नगर	10
13	बुलन्दशहर	73
14	हापुड़	27
(III)	मेरठ मण्डल	5
	योग मेरठ (मण्डल एवं जनपद)	**205**
15	अलीगढ़	57
16	हाथरस	43
17	एटा	33
18	कासगंज	74
(IV)	अलीगढ़ मण्डल	32
	योग अलीगढ (मण्डल एवं जनपद)	**239**
19	मथुरा	13
20	आगरा	34
21	फिरोजाबाद	19
22	मैनपुरी	6
(V)	आगरा मण्डल	71
	योग आगरा (मण्डल एवं जनपद)	**143**
23	बदायूँ	33
24	बरेली	56
25	पीलीभीत	36
26	शाहजहांपुर	24
(VI)	बरेली मण्डल	65
	योग बरेली (मण्डल एवं जनपद)	**214**
27	खीरी	40
28	सीतापुर	41
29	हरदोई	11
30	उन्नाव	70
31	लखनऊ	71
32	रायबरेली	44

(VII)	लखनऊ मण्डल	118
	योग लखनऊ (मण्डल एवं जनपद)	**395**
33	फर्रूखाबाद	4
34	कन्नौज	45
35	इटावा	49
36	औरैया	33
37	कानपुर देहात	20
38	कानपुर नगर	20
(VIII)	कानपुर मण्डल	28
	योग कानपुर (मण्डल एवं जनपद)	**199**
39	जालौन	50
40	झाँसी	44
41	ललितपुर	40
(IX)	झाँसी मण्डल	3
	योग झांसी (मण्डल एवं जनपद)	**137**
42	हमीरपुर	0
43	महोबा	46
44	बाँदा	48
45	चित्रकूट	16
(X)	चित्रकूटधाम मण्डल	76
	योग चित्रकूटधाम (मण्डल एवं जनपद)	**186**
46	फतेहपुर	62
47	प्रतापगढ	32
48	कौशाम्बी	33
49	प्रयागराज	37
(XI)	प्रयागराज मण्डल	29
	योग प्रयागराज (मण्डल एवं जनपद)	**193**
50	बाराबंकी	58
51	अयोध्या	32
52	अम्बेदकर नगर	47
53	सुल्तानपुर	58
54	अमेठी	61
(XII)	अयोध्या मण्डल	54
	योग अयोध्या (मण्डल एवं जनपद)	**310**
55	बहराइच	51
56	श्रावस्ती	33
57	बलरामपुर	54
58	गोण्डा	42
(XIII)	देवीपाटन मण्डल	27
	योग देवीपाटन (मण्डल एवं जनपद)	**207**
59	सिद्धार्थ नगर	67

60	बस्ती	86
61	संत कबीरनगर	18
(XIV)	बस्ती मण्डल	43
	योग बस्ती (मण्डल एवं जनपद)	**214**
62	महराजगंज	48
63	गोरखपुर	53
64	कुशीनगर	32
65	देवरिया	89
(XV)	गोरखपुर मण्डल	10
	योग गोरखपुर (मण्डल एवं जनपद)	**232**
66	आजमगढ	46
67	मऊ	49
68	बलिया	34
(XVI)	आजमगढ मण्डल	0
	योग आजमगढ (मण्डल एवं जनपद)	**129**
69	जौनपुर	99
70	गाजीपुर	11
71	चन्दौली	59
72	वाराणसी	31
(XVII)	वाराणसी मण्डल	8
	योग वाराणसी (मण्डल एवं जनपद)	**208**
73	**संत रविदास नगर (भदोही)**	19
74	मिर्जापुर	32
75	सोनभद्र	46
(XVIII)	विन्ध्याचल मण्डल	41
	योग विन्ध्याचल (मण्डल एवं जनपद)	**138**

नोट– (–) का अभिप्राय जनपद/मण्डल में पद रिक्त है।

****

फोटो सेक्शन

प्रभाग पर 26 जनवरी 2021 का आयोजन

प्रभाग पर 14वें राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का आयोजन

प्रभाग पर 15 अगस्त 2020 का आयोजन

विश्व सांख्यिकी दिवस 2020 का आयोजन